लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 21 जुलाई, 1978/30 आषाढ़, 1900 (शक)

No. 5, Friday, July 21, 1978/Vaisakha, 30, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 83, 88, 99, 84, 87, 89 और 90	*Starred Questions Nos. 83, 88, 99, 84, 87, 89 and 90	2—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 85, 86, 91 से 98 और 100	Starred Questions Nos. 81, 82, 85, 86, 91 to 98 and 100	14—23
तारांकित प्रश्न संख्या 801 से 816, 818 से 823, 825 से 831, 833 से 870, 872 और 874 से 1000	Unstarred Questions Nos. 801 to 816, 818 to 823, 825 to 831, 833 to 870, 872 and 874 to 1000	23—146
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	Re. Questions of Privilege	147
टाइम्स आफ इंडिया द्वारा संसद की कार्यवाही के संबंध में गलत समाचार देने के बारे में	Re. Wrong Reporting of Proceedings by the Times of India	147—148
सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	148—150
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re. Calling Attention	150—151
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	151—157
जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा काराकोरम सड़क के निर्माण का समाचार—	Reported construction of Karakoram Highway by Pakistan and China in Pakistan occupied territory of Jammu and Kashmir—	
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	151
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	151
डा० वसन्त कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	154
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	154
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	156

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा का कार्य—	Business of the House—	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	157—159
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Setting up of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission—	
श्री धनिक लाल मण्डल	Shri Dhanik Lal Mandal	159—161
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक—	Multi-State Co-operative Societies Bill—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना।	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	161
कार्य-मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
19वां प्रतिवेदन स्वीकृत	Nineteenth Report adopted	161
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	162—163
(एक) सौराष्ट्र और गुजरात में कोयले की कथित कमी का समाचार—	(*i*) Reported shortage of Coal in Surashtra and Gujarat—	
श्री धर्मसिंह भाई पटेल	Shri Dharmasinhbhai Patel	162
(दो) महाराष्ट्र के ताप बिजली स्टेशनों में कोयले की कमी—	(*ii*) Shortage of Coal in Thermal Power Stations in Maharashtra—	
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	162
(तीन) दिल्ली के भूतपूर्व उप-राज्यपाल श्री कृष्ण चन्द्र की मृत्यु—	(*iii*) Death of Former Lt. Governor of Delhi, Shri Kishan Chand	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	162
(चार) आल इण्डिया जूनियर इंजीनियर्स एसोसियेशन द्वारा आंदोलन के समाचार—	(*iv*) Reported Agitation by All India Junior Engineers Association—	
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	162
(पाँच) लन्दन में एशियाई आप्रवासियों पर हमले के समाचार—	(*v*) Reported Assault on Asian Immigrants in London—	
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	Shri Jagdish Prasad Mathur	163
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक—	Air (Prevention and Control of Pollution) Bill—	163—166
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	164
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	165
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	166
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
20वां प्रतिवेदन—स्वीकृत हुआ।	Twentieth Report adoptep	166
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	166—172
(1) संविधान संशोधन विधेयक (प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 1 आदि) श्री चित्त बसु द्वारा	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Preamble and article 1 etc.) by Shri Chitta Basu	166

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन विधेयक) नई धारा 7क का अन्तःस्थापन, श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	(2) Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new section 7A) by Shri Om Prakash Tyagi	167
(3) व्यवसाय संघ संशोधन विधेयक धारा 2, 4 आदि का संशोधन, श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(3) Trade Unions (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 4 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	167
(4) कारखाना संशोधन विधेयक (धारा 8, 9 आदि का संशोधन), श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(4) Factories (Amendment) Bill (Amendment of sections 8, 9 etc.) by Shri Prasannbhai Mehta	168
(5) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण योजना विधेयक, श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(5) Compulsory Miiitary Training Scheme Bill byShri Prasannbhai Mehta	168
(6) अनिवार्य मतदान विधेयक, श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	(6) Compulsory Voting Bill by Shri Prasannbhai Mehta	168
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 171 का संशोधन), श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा	(7) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 171) by Shri P. Rajagopal Naidu	169
(8) सीमान्त कृषक तथा कृषि कर्मकार पेंशन, विधेयक, श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा	(8) Marginal Farmers and Agriculturai Workste't Pension Bill by Shri P. Rajagopal Naidu	169
(9) आयकर संशोधन विधेयक (धारा 53 का संशोधन) श्री आर० डी० गट्टानी द्वारा	(9) Income-tax (Amendment) Bill (Amendment of section 53) by Shri R. D. Gattani	169
(10) भूमिवत जल संसाधनों की खोज तथा उपयोग विधेयक श्री के० लकप्पा द्वारा	(10) Exploration and Utilization of Underground Water Resources Bill by Shri K. Lakkappa	170
(11) छोटे किसान सहायत विधेयक श्री के० लकप्पा द्वारा	(11) Small Farmers Assistance Bill by Shri K. Lakkappa	170
(12) विशेष विवाह संशोधन विधेयक (धारा 4 और 6 का संशोधन), श्री आर० डी० गट्टानी द्वारा	(12) Special Marriage (Amendment) Bill (Amendment of sections 4 and 6) by Shri R. D. Gattani	171
(13) उद्योग विकास तथा विनयमन संशोधन विधेयक (धारा 18 चख का संशोधन) डा० वसन्त कुमार पंडित द्वारा	(13) Industries (Development) and regulation) Amendment Bill (Amendment of section 18 FB) by Dr. Vasant Kumar Pandit	171
(14) जांच आयोग संशोधन विधेयक (धारा 5 का संशोधन), श्री राम जैठलानी द्वारा	(14) Commissions of Inquiry (Amendment) Bill (Amendment of section 5) by Shri Ram Jethmalani	171
(15) लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक (नई धारा 10ख, आदि का अन्तःस्थापन) श्री राम जेठ मलानी द्वारा	(15) Representation of the People (Amendment) Bill (Insert of new section 10B, etc.) by Shri Ram Jethmalani	172

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(16) कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक, श्री के० लकप्पा द्वारा	(16) Agricultural Commodities Supporting Price Bill by Shri K. Lakkappa	172
संविधान (संशोधन) विधेयक— (नये अनुच्छेद 23 क, 23ख और 23ग का अन्त:स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill— (Insertion of new articles 23A. 23B and 23C)	173—179
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	173
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharrya	173
श्री ए० वी० पी० असाईथम्बी	Shri A. V. P. Asaithambi	174
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	175
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal	175
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	175
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	175
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	176
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	176
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	177
श्री रामविलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	177
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib	178
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	178
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	178
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain	179
श्री हरिविष्णु कामत	Shrl Hari Vishnu Kamath	179

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 21 जुलाई, 1978/30 आषाढ़ 1900 (शक)

Friday, July 21, 1978/Asadha 30, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जयन्त राव गणपत नटवाडकर, श्री जे० एस० पाटिल, श्री के० एल० मोरे, श्री मसूरिया दीन तथा श्रीमती दक्षयाणी वेलायुधन के निधन के बारे में सूचित करते हुए खेद है। श्री नटवाडकर पहली लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन पिछड़े वर्गों, विशेषकर आदिवासी जातियों की सेवा में समर्पित कर दिया था।

श्री जे० एस० पाटिल तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह बम्बई विधान सभा के सदस्य रह चुके थे। एक कृषक होने के नाते उन्होंने सहकारी आन्दोलन में अत्यधिक रुचि ली थी और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से वे सम्बद्ध थे। संसद विद् के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में अत्याधिक रुचि ली।

श्री के० एल० मोरे पहली तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह कोल्हापुर राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपना जीवन वकील के रूप में आरम्भ किया। अपने जिले में वे कई स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं से सम्बद्ध थे और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों की भरपूर सेवा की।

श्री मसूरिया दीन संविधान सभा, अस्थायी संसद, पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 1946-52 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलनों में सक्रिय

भाग लिया और 1932 से 1944 के बीच कई बार जेल गए। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ समर्पित कर दिया।

श्रीमती दक्षयाणी वेलायुधन संविधान सभा तथा अस्थायी संसद की सदस्या थी। इससे पूर्व वह कोचीन विधान परिषद की सदस्या रही। वह एक पत्रकार तथा विद्वान महिला थी। वह मद्रास से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका "कामन मैन" तथा "गांधी ऐरा पब्लिकेशन्स" की सम्पादिका थीं। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह दलित वर्गों, लीग आदि की अध्यक्षा थीं। उन्होंने अपना समस्त जीवन सामाजिक कार्यों में लगाया था।

हमें अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख है।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सोने की बिक्री के मानदंड

***83. श्री अनन्त दवे
श्री पी० राजगोपाल नायड़** } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितनी मात्रा में सोना बेचा गया है;

(ख) क्या इस बिक्री के लिए कोई मानदण्ड तैयार किए गए थे;

(ग) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते थे; उन्हें सोने की खरीद करने की अनुमति नहीं दी गई; और

(घ) उस व्यक्ति कम्पनी का नाम क्या है, जिसने सबसे अधिक मात्रा में इस सोने की खरीद की ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अभी तक हुई 6 नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक 7.92 टन सोना बेच चुका है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक नीलामी से पहले उसकी नियम और शर्तें प्रकाशित की थीं, जिनकी मुख्य मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :

सोने की बिक्री टेंडर पद्धति की नीलामी से की जाती है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारी, और व्यापारी का लाइसेंस प्राप्त स्वर्णकार, सहकारी समितियां इन नीलामियों में बोली दे सकती हैं। कोई भी बोली एक किलोग्राम से कम

और 5 किलोग्राम से अधिक तादाद के लिए नहीं होगी। सरकार द्वारा समय समय पर एक निश्चित दर नियत की जाती है जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से एक निर्दिष्ट प्रतिशत अनुपात में अधिक होती है। नियमानुसार पायी गयी बोलियां, उनमें दी गयी दरों के हिसाब से उतरते क्रम में रखी जाती हैं। उन बोली लगाने वालों को सोना बेचा जाता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, नीलामी में बेचे जाने वाले सोने की तादाद और नियत कीमत को ध्यान में रखते हुए, निश्चित की गयी स्थिति से ऊपर होते हैं। सोना बोली में निर्दिष्ट मात्रा और मूल्य पर बेचा जाता है।

चौथी नीलामी से चालू करके परवर्ती नीलामियों में प्रत्येक बोली की उच्चतम तादाद को 5 किलोग्राम से घटा कर 2500 ग्राम और न्यूनतम तादाद को एक किलोग्राम से घटाकर 500 ग्राम कर दिया गया है। इसी चौथी नीलामी से लागू करके व्यापारियों और स्वर्णकारों के समूह द्वारा भी सम्मिलित बोली लगाने की इजाजत दी गयी है; ऐसे समूह में पांच से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

(ग) नीलामियों में बेचा जाने वाला सोना 100 ग्राम की लगड़ियों में बेचा जाता है, क्योंकि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अधीन इतनी ही मात्रा कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है। इन नीलामियों में सामान्य जनता भाग नहीं ले सकती। इसके अलावा मौजूदा स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने निजी कब्जे में अथवा मालिकी में शुद्ध सोना नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(घ) जैसे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, तीसरी नीलामी तक अलग अलग बोली की अधिकतम तादाद 5 किलोग्राम थी। चौथी नीलामी से लगाकर आगे की नीलामी में यह अधिकतम तादाद घटाकर 2500 ग्राम कर दी गई है। पिछली 6 नीलामियों में किन किन व्यापारियों ने सब से ज्यादा तादाद में सोना खरीदा है, उनके बारे में सूचना इकट्ठी करने में जो श्रम लगेगा वह परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप विवरण सभा पटल पर रख सकते थे।

पहले मैं इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 88 और 89 जोड़ रहा हूं क्योंकि यह समान प्रश्न हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या संबद्ध सदस्य उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : संबद्ध सदस्य उपस्थित हैं।

एक माननीय सदस्य : यदि प्रश्नों को एक साथ लेते हैं तो सदस्यों को प्रश्नों का अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि उन व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलेगा।

स्वर्ण नीलामी योजना के विरोध में सुनारों द्वारा हड़ताल

88. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सुनारों ने स्वर्ण नीलामी योजना के विरोध में हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जा रही सोने की नीलामी की वर्तमान योजना के खिलाफ कई स्वर्णकार संघों ने दरख्वास्तें दी हैं और उन्होंने अपनी कई किस्म की मांगें सरकार के सामने रखी हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि उनको निश्चित दामों पर सोना सीधा ही बेचा जाय।

स्वर्णकारों की मांग की पूर्ति के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक ने 2 जून, 1978 को एक आदेश जारी करके यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों को बेचा जाने वाला सोना आगे व्यापारी से व्यापारी को नहीं बेचा जा सकेगा। रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही नीलामियों में जो व्यापारी सोना खरीदते हैं, वे इस सोने को केवल स्वर्णकारों को ही बेच सकेंगे, और यह बिक्री एक समय में 100 ग्राम से अधिक नहीं होगी अथवा वे व्यापारी इस खरीदे गए सोने के गहने बिक्री के लिए खुद ही बनवा सकते हैं।

(2) प्रमाणित स्वर्णकारों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे ऐसे समूह बना सकते हैं जो पांच व्यक्तियों से अधिक नहीं हों और ये समूह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाने वाले सोने के लिए सम्मिलित रूप से बोली लगा सकते हैं।

(3) स्वर्णकारों की जिन सहकारी समितियों के पास सोने का व्यापार करने के वैध लाइसेंस हैं, वे भी रिजर्व बैंक की नीलामियों में बोली लगाने के लिए हकदार हैं।

(4) सरकार एक ऐसी योजना पर भी विचार कर रही है कि रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली सोने की नीलामी के अन्तराल में, देश में चुने हुए नगरों में स्वर्णकारों को निश्चित दामों पर सोना बेचा जाये।

SALE OF GOLD AND EXPORT OF GOLD ORNAMENTS

*89. SHRI G. P. TYAGI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the extent to which the policy of sale of gold by Government and export of gold ornaments has been successful in the country;

(b) whether it is a fact that there is discontentment among goldsmiths as a result of the policy of sale of gold and they have also demonstrated before Reserve Bank on 14th June, 1978;

(c) if so, whether Government propose to change their policy in view of the feelings of goldsmiths;

(d) if so, in what way; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Sale of gold by the Government has been conceived of as an economic measure to supplement the preventive measures to tackle the evil of smuggling of gold into the country. The sales have succeeded in discouraging smuggling of gold. The gold price in India have also shown some tendency to fall since the commencement of the gold sale operations in spite of the rising trend in international prices.

The present scheme of sale of gold is not directly linked with the scheme of export of gold jewellery from the country. A separate scheme for duty-free importation of gold or for sale of gold to exporters at international prices, is separately under the consideration of the Government for the purpose of encouragement of export of gold jewellery from India.

(b), (c) & (d) A number of associations of goldsmiths have represented against the existing scheme of sale of gold by the Reserve Bank of India and they have submitted various demands. It is a fact that they demonstrated before Reserve Bank of India on 14th June, 1978 and presented a memorandum to the Deputy Governor, Reserve Bank of India. Their main demand is for direct sale of gold to them at fixed price.

The different steps taken by the Government in meeting the demand of the goldsmiths are as follows :—

(i) Gold Control Administrator by an Order dated 2-6-1978, has banned the inter-dealer transactions in Reserve Bank of India gold among the dealers. Dealers who purchase the gold in Reserve Bank of India auctions can sell such gold only to goldsmiths upto 100 grammes at a time or themselves convert such gold into ornaments for sale.

(ii) Certified goldsmiths not exceeding five in number are permitted to submit joint bids in the R.B.I. auctions.

(iii) Co-operative Society of goldsmiths holding valid licence to deal in gold is also eligible to bid in the R.B.I. auctions.

(iv) A scheme for the sale of gold at a fixed price to goldsmiths at selected centres in the country, in between the R.B.I. auctions, is under the consideration of the Government.

(e) In view of the reply given above, the question does not arise.

SHRI ANANT DAVE : Mr. Speaker, I want to know as to how many tenders from the cooperative societies were received and how many tenders of the cooperative societies have been accepted and how much gold has been sold to them ?

एक माननीय सदस्य : संभवतः मन्त्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : यह एक बड़ा प्रश्न है। मुझे कोआपरेटिव सोसायटीज़ के नाम पता लगाने हैं। चौथी निलामी में 4.9 के० जी० की बोली स्वीकार की गई थी। पांचवी निलामी में 23 कम्पनियां...

अध्यक्ष महोदय : वह कोआपरेटिव सोसायटीज के बारे में जानना चाहते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी निलामी में किसी स्वर्णकारों की कोआपरेटिव ने भाग नहीं लिया।

SHRI ANANT DAVE : Mr. Speaker, Part 'D' of my question contains :

"The names of persons, company who purchased the largest quantity of gold".

But in the reply given by Minister a list of the firms has not been furnished. I hope that this list would be placed on the Table of the House.

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं सूची लम्बी है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा। उन्होंने सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाली फर्म का नाम पूछा है। मैं निश्चय ही वह दे दूंगा।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 93 के (घ) भाग में निहित है

"उस व्यक्ति/कम्पनी का नाम क्या है, जिसने सबसे अधिक मात्रा में सोने की खरीद की ?"

उसका उत्तर दिया जाना चाहिए था।

SHRI ANANT DAVE : We should be given assurance that it would be laid on the Table.

श्री एच० एम० पटेल : मैं सफल बोली देने वालों के नाम सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सब से अधिक मात्रा में किसने खरीदा। केवल एक नाम बता दिया जाये।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है कि मैं यह जानकारी देने में असमर्थ हूं। सफल बोली देने वालों के नाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। मैं जानकारी एकत्र करके....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निदेश दूंगा कि पार्टी का नाम सोमवार को सभा पटल पर रख दें। उन्होंने भूल स्वीकार कर ली है।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या सरकार भविष्य में भी सोने की निलामी करेगी?

श्री एच० एम० पटेल : हां, हम सोना वेचना चाहते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि आपको पता है सोने की निलामी की नीति पूर्णत: विफल रही है और इस कार्य के संचालन की तीव्र आलोचना हुई है। सोने की बिक्री दो उद्देश्यों से शुरु की गई थी। एक देश में सोने की तस्करी रोकना तथा दूसरे सोने में पूंजी लगाने की प्रवृत्ति को रोकना। सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में पूर्णत: विफल रही है। मूल्य वही वना हुआ है, रुका नहीं। क्या देश में सोने की तस्करी समाप्त हो गई है? यह नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्वयं ही उत्तर दे देंगे तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जेवर बनाने तथा उसका निर्यात करने के लिए सोने का आयात करने पर विचार कर रही है?

श्री एच० एम० पटेल : अन्तिम प्रश्न है कि क्या सरकार जेवर बनाने तथा जेवरों का निर्यात करने के लिए सोना आयात करने पर विचार कर रही है? ऐसा निश्चय किया जायेगा और उसकी घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बद्ध है मैं नहीं मान सकता कि सोने की बिक्री करने की नीति विफल हुई है?

माननीय सदस्य यह समझते हैं कि सोने की बिक्री मूल्य कम करने के लिए नहीं शुरु की गई थी। यह कार्यवाही तस्करी के विरुद्ध कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि तस्करी रुक सके। हम समझते हैं कि इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : देश में लगभग 15,000 प्राप्त सोना व्यापारी तथा 8 लाख स्वर्णकार हैं। लगभग 4000 स्वर्णकारों ने मन्त्री महोदय को उनके विभाग के बारे में ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि सरकार एक निगम की स्थापना करे ताकि 8 लाख स्वर्णकारों

को तथा आम जनता को सोना उचित मूल्य पर मिल सके। क्या सरकार इस प्रकार के निगम अथवा स्वतन्त्र निकाय की स्थापना करेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कुछ केन्द्रों में स्वर्णकारों को सीधे सोना बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसा कुछ चुने हुए केन्द्रों में किया जायेगा। यह उन सभी स्थलों पर जहां कोई भी स्वर्णकार रहता है कर पाना सम्भव नहीं है। इस योजना के सफल होने की दशा में सोने की बिक्री कई केन्द्रों पर शुरु की जायेगी। परन्तु शुरु में कुछ चुने हुए केन्द्रों से कार्य आरम्भ किया जायेगा। परन्तु मैं कह नहीं सकता कि ऐसे कितने केन्द्र होंगे परन्तु उनकी संख्या कम ही होगी।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Mr. Speaker, in the matter of auction of gold there is a condition that that the bid price would not be less than international price of gold. It means that the gold would be sold at a price higher than the international price, so it would not effect the prices of gold non it would help in checking smuggling of gold. So in order to check smuggling the prices of gold would have to be reduced.

I want to ask the hon. Minister whether he is prepared to change the policy of selling gold at rates higher than the international prices. So that smuggling which is deny harm to the country could be checked ?

श्री एच० एम० पटेल : शायद माननीय सदस्य को अनुभव नहीं है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा इस देश में सोने के मूल्य में बहुत अन्तर है। और हम चेष्टा कर रहे हैं कि सोने की सरकारी बोली अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक परन्तु भारत में सोने के मूल्यों से कम रखी जाये। इससे हम मूल्य कम कर पायेंगे। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि मूल्य घटाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उदेश्य तो तस्करी रोकना है ?

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Are you satisfied with this reply.

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : My second question is whether your policy for auction of gold has only benefited a few goldsmiths of the country but there are hundreds of goldsmiths in the country who have not been benefited by this policy. Would be change the policy in such a manner that may help the poors goldsmiths ?

श्री एच० एम० पटेल : सोने की निलामी की नीति में अनुभवों के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं तथा निरन्तर किए जा रहे हैं।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : It has not yielded any results.

श्री एच० एम० पटेल : निश्चय ही इस बारे में काफी परिवर्तन आया है। सबसे पहले हम सोना व्यापारियों को बेचते रहे। फिर हमने उन पर यह पाबन्दी लगाई कि वे सोना केवल सुनारों को बेचें अथवा इसे जेवरातों में परिवर्तित करें। इसके बाद हमने पांच सुनारों को मिलकर बोली देने की अनुमति दी। अब हमने एक ऐसी योजना बनायी है जिसके अनुसार उपलब्ध सोने को कुछ चुने हुए केन्द्रों में सीधे सुनारों को बेचा जायेगा। अब सरकार के सामने सोने को छड़ों में परिवर्तित करने की कठिनाई है, जिसमें कुछ समय लगता है। यहां सिक्का बनाने की क्षमता का प्रश्न भी पैदा होता है। हम कम से कम 100 ग्राम तथा 500 ग्राम बेच रहे हैं। जब हम सीधे सुनारों को बेचना शुरु कर दें तो हमें बिकने के लिए छोटे साईज़ की छड़ें बनानी पड़ेंगी जो लगभग 50 ग्राम अथवा 10

ग्राम की होगी। इसके लिए हमें टकसाल क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के कारण कुछ समय लगा।

श्री० एफ० आर० दामानी : बजट पेश होने के बाद 1400 करोड़ रुपये के अधिक नोट सर्कुलेशन में आये। इस से मुद्रास्फीती की प्रवृतियां पैदा हो गई हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या सरकार सोने की मात्रा निश्चित किए बिना निश्चित दर पर इसे बैंकरों द्वारा लोगों को बेचने पर विचार करेगी?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य का सुझाव अव्यवहारिक है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत सोने की आवश्यकता है। नोटों का सर्कुलेशन बढ़ने से मुद्रास्फिती की प्रवृत्तियां पैदा नहीं हुई। आज कोई भी मुद्रास्फिती की स्थिति नहीं है।

पोतावरोहण कार्ड की जांच

***84. श्री रामदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोतावरोहण कार्ड के सीमा शुल्क भाग की अन्य अधिकारी (सीमा-शुल्क अधिकारी के अतिरिक्त) द्वारा अग्रेतर जांच कराने का उद्देश्य क्या है;

(ख) इसके कारण यात्रियों का कितना अतिरिक्त समय व्यर्थ जाता है; और

(ग) विश्व के किस अन्य देश में ऐसा किया जाता है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अवरोहण कार्ड (disambarkation card) के सीमा-शुल्क वाले भाग की और आगे जांच सीमा-शुल्क अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है?

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

SHRI RAMDEO SINGH : Why so much time is wasted for this work ? Is the Government thinking of employing other people for this work ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : It takes very little time. It takes some time when a number of passengers land together. It takes sometime when passengers have dutiable goods otherwise it takes only half hour on non-tourist traffic. The time taken on remaining goods is generally ten, six or two minutes.

SHRI RAMDEO SINGH : Is the Hon. Minister aware that it takes from one to four hours for passenger to get clearance from custom.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I have no information about it. As already stated it depends on the number of passengers. Sometime is taken by the Immigration Officer and some by the Custom Officer. (*Interruptions*). We are trying to simplify it. However, it relates to the Finance Department. We are trying to minimise the time by consulting them. A committee has also been constituted to evolve a method by which minimum time is taken for clearance by the custom authorities.

श्री० ए० सी० जार्ज : बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सारी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जहाज पर चढ़ने के बाद यात्रियों का सामान उतारा जाता है और उन्हें दलाल आदि घेर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन.....

श्री ए० सी० जार्ज : यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल जांच से सम्बन्धित है।

श्री ए० सी० जार्ज : पोतावरोहण, पोतारोहण से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप उचित प्रश्न पूछें।

श्री ए० सी० जार्ज : यह गम्भीर मामला है, जो मन्त्री महोदय के नोटिस में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय कृत बैंकों के अधिकारियों की हड़ताल

87. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी**
डा० बापू कालदाते } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने 12 जून, 1978 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी शिकायतें या मांगें क्या थीं जिन्हें स्वीकार करना सरकार के लिए असम्भव था;

(ग) क्या उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि उन्हें सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के विरुद्ध उन वेतन-मान बदले जा रहे थे और उन्हें पिल्ले समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित किए गए अध्ययन दल के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा था; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : जी, हां। काफी संख्या में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों ने, वेतनमानों, भत्तों तथा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों को मिलने वाले अन्य अनुलाभों के मानवीकरण के लिए पिल्लै समिति की योजना के कार्यान्वयन के विरुद्ध तथा अपनी इस मांग के समर्थन में कि फैसला, अधिकारी महासंघ के साथ होने वाले करार के द्वारा होना चाहिए; 12 जून, 1978 को सांकेतिक हड़ताल की थी।

पिल्लै समिति द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले अधिकारियों के महासंघ को सुनवाई का मौका दिया गया था। बैंकों के एक दल द्वारा रिपोर्ट की जांच तथा सरकार के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से इण्डियन बैंक एसोसिएशन ने, अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधियों से पिल्लै समिति की योजना के कार्यान्वयन के स्वरूप पर बातचीत की थी।

सरकार ने सम्बन्धित पार्टियों से विचार विमर्श किया है तथा इस बात पर सहमति हो गई है कि इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन, आल इंडिया कान्फैडरेशन आफ बैंक आफीसर्स

आरगेनाइजेशन के प्रतिनिधियों से, उनके द्वारा इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को प्रस्तुत की गई विशेष मुद्दों की सूची पर आगे बात करेगा। महासंघ अपना आन्दोलन समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है।

श्री के० गोपाल : इतना लम्बा विवरण पढ़ने का क्या लाभ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि मैं ऐसा न करूं तो भय है आप उत्तर को समझ न सकेंगे।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या अधिकारियों का महंगाई भत्ता 1100 रुपये से घटा कर 360 रुपये कर दिया गया है और जोखिम और जिम्मेदारी सम्बन्धी सभी भत्ते मकान किराए समेत बन्द कर दिए गए हैं? क्या एक वरिष्ठ क्लर्क को अब एक अधिकारी से भी अधिक पैसा मिलेगा और क्या इतनी बड़ी कटौती किसी अन्य केन्द्रीय सरकार की सेवा में की गई है?

श्री एच० एम० पटेल : कटौती करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो स्तरीकरण है। 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और सभी बैंकों के वेतनमानों में बड़ा अन्तर था। यह सम्भव है कि कुछ अधिकारियों के वेतन में कमी हुई हो, परन्तु उसके लिए व्यक्तिगत वेतन की व्यवस्था की गई है। अधिकतर लोगों को इस प्रस्ताव से लाभ हुआ है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : वे कौनसी मांगें हैं जो पूरी नहीं की गईं और अधिकारियों को हड़ताल करनी पड़ी। तथा बाद में उन्हें मान लिया गया?

श्री एच० एम० पटेल : हमने अधिकारियों की अभी तक कोई मांग नहीं मानी है। हमने केवल उनसे कहा है कि भारतीय बैंक संघ इस सम्बन्ध में हमारे साथ बातचीत करने को राजी हो गया है। जैसा कि मैंने बताया पिल्लई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। और बैंकों में लागू किया गया। पिल्लई समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन देने से पहले बैंक अधिकारियों से विस्तार से बात की गई थी। और उनके कथन पर विचार किया गया। वे इससे संतुष्ट नहीं थे और वे चाहते थे कि सीधे बातचीत की जाए और इसे हमने मान लिया था। यह सही है कि कुछ श्रेणी के लोग अधिकारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं। ऐसे महंगाई भत्ते की पद्धति के कारण हुआ है। इन मामलों में भी हम इस प्रकार विभन्नता को दूर करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : पिल्लई समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतनमानों और अन्य बातों का मानकीकरण करने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह माना है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतनमानों में विभिन्नता है। क्या इस सम्बन्ध में वे गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतन मानों आदि के सम्बन्ध में भी व्यापक रूप से विचार करेंगे। जिससे उन्हें ऐसा न लगे कि उनके साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में भेदभाव किया जाना है?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस पर विचार करने में प्रसन्नता होगी परन्तु हमारी सिफारिशों को स्वीकार करना गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरल नहीं होगा। फिर भी मैं इसे सुझाव को ध्यान में रखूंगा कि इसे कहां तक लागू किया जा सकता है?

श्री के० ए० राजन : पिल्लई समिति के बारे में बड़ा असन्तोष और विरोध है तथा सरकार ने इसे लागू करना रोक दिया है। इन अधिकारियों के संघों से तुरन्त बात-

चीत शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बातचीत कहाँ तक पहुंची है ?

श्री एच० एम० पटेल : भारतीय बैंक संघ और बैंक अधिकारी संघ की एक बार बैठक हुई है और उन्होंने अपनी मांगें पेश की हैं। वे फिर मिलेंगे।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : पिल्लई समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने पर मन्त्री महोदय ने मुझे बड़ा सन्तोषजनक उत्तर दिया था कि बातचीत के बाद यह समस्या हल कर दी जाएगी।

मैं अनुरोध करता हूं कि बैंकों की सेवा के गिरते स्तर की ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें। क्या पिल्लई समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी ?

श्री एच० एम० पटेल : आशा है बैंकों की सेवा में उत्तरोत्तर सुधार होगा। हम मानते हैं कि इसमें गिरावट आई थी। इसके कई कारण हैं। ऐसा मात्र राष्ट्रीयकरण के कारण नहीं हुआ। यह बहुत पहले शुरू हो गया था। हम इसमें सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस मामले में समझौता होने या इसमें सुधार होगा।

श्री सौगत राय : हड़ताल करते समय पिल्लई समिति की सिफारिशों को लागू न करने की मांग के साथ अधिकारियों की यह मांग भी थी कि अधिकारियों के कार्य में वृद्धि होने के साथ उनकी संख्या बढ़ायी जाये। और रिक्त स्थानों को सीधे भरती कर या पदोन्नति कर भरा जाए। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० एम० पटेल : अधिकारियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न बैंकों में अपने कर्मचारियों के साथ अलग अलग समझौता है। कुछ बैंकों में अधिकारियों की भरती निचले कर्मचारियों से ही की जाती है और कुछ में सीधे भरती भी कुछ प्रतिशत तक की जाती है। यह प्रतिशत 15 से 25 प्रतिशत है। हम भरती को व्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

INK FOR BANK NOTE PRESS, DEWAS

†*89. **SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantity of ink imported from various countries for Bank Note Press, Dewas during the last three years indicating the value thereof and the expenditure in foreign exchange incurred thereon;

(b) whether it is a fact that ink used in notes is being produced in the country for the last several years;

(c) if so, since when and who is producing it and whether the country is in a position to export it and if so, the quantity thereof;

(d) whether the persons who are producing this ink are Government employees; and

(e) if so, the nature of assistance and facilities given to them and if not, the reasons therefor ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक नोट प्रेस, देवास के लिए पिछले तीन वर्षों में स्याही का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) और (ग) : करेंसी और बैंक नोटों की छपाई के काम आने वाली "सिक्यूरिटी" स्याहियां बैंक नोट प्रेस, देवास में हाल ही में स्थापित स्याही कारखाने में तैयार की जाती हैं। इस कारखाने में उत्पादन जून 1975 में शुरु हुआ था। बैंक नोट प्रेस, देवास तथा इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक रोड की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यह कारखाना विदेशी मंडियों के लिए स्याही का उत्पादन करने की स्थिति में है।

विदेशों में सिक्यूरिटी-स्याहियों के आयातकों (इम्पोटर्स) को ढूढ़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु अभी तक किसी देश के साथ बन्धकर ऐसा प्रबन्ध कर सकना सम्भव नहीं हो सका है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार का स्याही कारखाना स्विट्जरलैण्ड के मैसर्स सिकपा (एस० आई० सी० पी० ए०) के सहयोग से स्थापित किया गया था। विभिन्न प्रकार की सिक्यूरिटी स्याहियों का निर्माण करने के लिए यह कारखाना नवीनतम उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। इस कारखाने में एक कोटि नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला (क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च लैबोरेटरी) भी है और अनुसंन्धान कार्य को पूरा करने के लिए यथोचित कर्मचारी भी हैं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The Hon. Minister has not answered many of my questions. This information regarding quality control is misleading. For the last 4 months Dewas Note Press is not working due to inferior quality of ink. During last one month 30 notes were sent stating that the ink is of bad quality, and it could not be used. This happened due to the posting of non-specialist in place of speciality. As much as 5 tonne ink is lying unused. May I know whether Hon. Minister will give the correct information ?

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय ने सदन को जो जानकारी दी है वह निश्चय ही मुझे नहीं थी। हो सकता है उनके पास जानकारी पाने के विशेष स्रोत हों। मेरे विचार से स्याही फैक्टरी ठीक प्रकार चल रही है, क्वालिटी कन्ट्रोल ठीक है, तथा जिन कठिनाइयों का जिक्र किया गया, वैसी कोई भी कठिनाई नहीं है। अब जो जानकारी उन्होंने दी है मैं उसकी जांच करूंगा, यद्यपि मेरे विचार से स्थिति इतनी खराब नहीं है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It is beatening that ink is being produced in the country. But the officers who produced have been turned out of office instead of remanding them and in their place the relations of high ups have been posted. When they were given letter of appreciation. Other officers who even do not know to A.B.C. of the technique also got the appreciation.

I have get the information, as it is a case of my area. If you assure me to enquire into all these facts, I am ready to forward the same to you.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने गम्भीर आरोप लगाए हैं। आप इनकी जांच अवश्य करें।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा माननीय सदस्य ने बताया है वैसी स्थिति होने पर दोनों प्रेस बन्द हो जाने चाहिएं थे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं है, काम चल रहा है।

किन्तु अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थिति गम्भीर है, मैं स्वयं तो नहीं जा सकता किन्तु मैं उनके साथ किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां भेजने की व्यवस्था करूंगा। वह जो कुछ बातें कह रहे हैं; हम उन पर विचार करेंगे और उन्हें तथा स्वयं को भी सन्तुष्ट करेंगे।

LOANS TO BIDI MANUFACTURERS THROUGH NATIONALISED BANKS

†*90. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to advance loans to bidi manufacturers through nationalised banks for purchasing additional quantity of "bidis" and tobacco; and

(b) if so, the likely amount of such loans and the rate of interest thereon ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) आंकड़े इकट्ठा करने की वर्तमान प्रणाली में बीड़ी उत्पादकों को दिए गए ऋणों के बारे में अलग से आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है। परन्तु बैंकों की मौजूदा योजनाओं के अन्तर्गत बीड़ी उत्पादक अपनी कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों द्वारा ये ऋण ब्याज की वर्तमान दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं । इसके साथ-साथ ही जो उत्पादक विभेद ब्याज दर योजना के अन्तर्गत पात्रता-मापदंडों को पूरा करते हैं उन्हें 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : I want to know whether Government is considering the measures to advance loans from nationalized banks to Bidi Manufacturing Cooperative Societies or Cooperative Unions in order to protect the poor bidi workers from being exploited by the Bidi industry owners ? Is the Government aware of the fact that besides societies, the other workers also find it difficult to get loans from these banks. I want to know whether Government is considering to make facilities available for getting loans from these banks and enquiring into the complaints received in this regard ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे पता नहीं है कि इस मामले में सरकार या बैंक क्या कर सकते हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि साहुकार ब्याज की लम्बी दर वसूल करते हैं। हमने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि वे सामान्य नियमों के अन्तर्गत ऐसे निर्माताओं तथा वहां काम कर रहे श्रमिकों की पूरी सहायता करें। अब यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्य नियमों में संशोधन कर लिया गया है कि वे कमजोर वर्गों की यथा सम्भव पूरी सहायता करें किन्तु बीड़ी श्रमिकों तथा छोटे-छोटे बीड़ी निर्माताओं को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की योग्यता अधिकांशतः उन्हीं पर निर्भर करती है या सामाजिक कार्यकर्ताओं पर। सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती और बैंक भी योजनाएं आरम्भ करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : They are a number of Cooperative Societies and Unions of Bidi Workers in the country. They applied for loans but instead of considering their applications bundles have been put. I want to know whether the Minister has received such complaints and if so, the remedial measures taken by the department to redress these complaints ?

Can the Minister take some steps to protect the Bidi workers from being exploited by the Bidi manufacturers and the middle-men ? Will the Minister make arrangements under which the Bidi workers may get loans from the nationalized banks without any difficulty and the bank officials could not take any bribe from them while advancing loans to them ? I want to know whether the Government is prepared to take stern action in this regard ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे बीड़ी श्रमिकों के किसी भी संगठन से अभी तक ऋण के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु यदि मुझे कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य ही उस पर विचार करूंगा और जो भी सहायता बन पड़ेगी, दूंगा। जहां तक बीड़ी निर्माताओं का सम्बन्ध है, यदि उन्हें कोई कठिनाई होगी तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि उनका कोई संगठन हमारे पास आयेगा तो हम उनकी कठिनाइयों पर विचार करेंगे। या वे यदि अपनी सहकारी समितियां बना लें तो उन्हें नियमित ढंग से सहायता मिल सकती है ।

श्री बी० पी० मंडल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी निर्माताओं को प्रोत्साहन देने में क्या औचित्य है? इससे तो नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कंवर लाल गुप्त : उद्योगपतियों की अपनी लाबी है। बैंकों द्वारा ही आने वाली वित्तीय सहायता का बड़ा भाग उद्योगपतियों के हिस्से में जाता है। किन्तु यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि बीड़ी श्रमिकों तथा छोटे-छोटे व्यापारियों को भरसक प्रयास करने के बावजूद भी ऋण नहीं मिलता और मैं मन्त्री जी को यह भी बता दूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भ्रष्टाचार के कई मामले हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री जी बैंकों को ऋण देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए कहेंगे। दूसरे क्या वह कोई विशेष सीमा निर्धारित करेंगे कि इतनी राशि छोटी लोगों को मिलेगी ताकि वे इससे लाभान्वित हो सकें ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे उद्योगपतियों की लाबी का पता नहीं है लेकिन यह निश्चित तौर पर सही है कि उद्योगपति इन बैंकों से ऋण लेने में सफल हुए हैं और वे जानते हैं कि अपना व्यापार क्षमतापूर्वक कैसे चलाना है। किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि छोटे लोगों को यथासम्भव अधिकाधिक सुविधा दी जायें।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह गरीब लोगों को ऋण देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। दूसरे क्या वह गरीब लोगों को ऋण देने के लिए कोई राशि नियत करेंगे? वह सामान्य उत्तर दे रहे हैं जबकि मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम निश्चय ही इस प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं तथा बनाते रहेंगे।

जहां तक किसी विशिष्ट राशि के निर्धारण का प्रश्न हो, इसकी मांग नहीं की गई है और ना ही यह व्यावहारिक है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय :

अध्यक्ष महोदय : बीड़ी अच्छी चीज नहीं है।

SHRI ISHWAR CHAUDHRY : I want to know from the Hon. Minister whether he keeps in view the objectives of the nationalization of banks? At the time of nationalization of banks was it one of the objectives that the poor people, weaker sections' and the workers will be encouraged. But unfortunately when the poor people and workers ask for loans, the officials of these banks do not advance them loans and say that these are the directions from the higher officers. What arrangements have been made to make loans available to these people on easy terms? The Agents and the Managers of the banks procrastinate them and you receive complaints in this regard. What action you are taking against such officers?

श्री एच० एम पटेल : यह वैसा ही प्रश्न है, जैसा कि श्री गुप्त ने पूछा है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कमजोर वर्गों को आसानी से अधिकाधिक ऋण सुविधाएं दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयात नीति को और अधिक ढीला बनाना

†81. **श्री एस० जी० गुरुमय्यम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात नीति को और ढीला बनाने का निश्चय कर लिया है ताकि बालों में डालने के तेल, चिकने तेजाबों, आदि जैसी कुछ निर्यात वस्तुओं के लिए अपेक्षित कच्चा माल आयात किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग)

(क) केश तेलों, चिकनाईयुक्त तेजाबों तथा कुछ अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्यात के बदले कतिपय प्रकार के माल की आयात प्रतिपूर्ति देने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में डकैतियां

*82. **श्री सरत कार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों में बैंकों में डकैतियों के अनेक मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तबसम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) लूटी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि मार्च से जून 1978 तक के महीनों में सरकारी अंग के बैंकों में छः डकैतियां पड़ी हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क्र० सं०	डकैती की तारीख	बैंक का नाम	शाखा का नाम	अन्तर्गस्त राशि (रुपयों में)
1		2	3	4
1.	3-4-78	सिंडिकेट बैंक	करोल बाग नई दिल्ली	2,93,100.00
2.	19.5.78	पंजाब नेशनल बैंक	न्यू मार्केट पटना, स्टेशन रोड (बिहार)	72,266.01
3.	29.5.78	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कानपुर जनरल गंज (उ० प्र०)	2,61,000.00

1	2	3	4
4. 29.5.78	भारतीय स्टेट बैंक	पटना, डाक बंगला रोड बिहार)	55.908.11
5. 15-6-78	पंजाब नेशनल बैंक	कवल, मुजफ्फर नगर (उ० प्र०)	55,761.00
6. 15-6-78 को कोशिश की गई	सिंडिकेट बैंक	दक्षिणी दिल्ली आर० के० पुरम शाखा	कोई हानि नहीं हुई क्योंकि डकैतों को स्ट्रोंग रूम की चाबियां नहीं मिल सकीं।

भारत सरकार बैंकों में डकैती की घटनाओं को बहुत गम्भीर मानती है। इसे आशा है कि राज्य सरकारें इस बात के लिए समुचित उपाय करेंगी कि इस प्रकार की डकैतियां रोकी जा सकें या जब डकैतियां पड़ जायें तो अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए कारगर कारवाई की जा सके। सभी बैंकों के आन्तरिक सुरक्षा के अपने प्रबन्ध हैं जिनकी वे समय समय पर अनुभव के आधार पर समीक्षा करते रहते हैं और जहां जरूरत हो इसके लिये वे स्थानीय पुलिस से भी परामर्श करते हैं।

धार्मिक पर्यटकों के लिए सस्ते होटल

*85. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धार्मिक पर्यटकों के लिए सस्ते होटलों की स्थापना करने तथा उन्हें बेहतर सुविधा देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) (ख) और (ग) सरकार का चार महा नगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकता तथा मद्रास में और ऐसे अन्य केन्द्रों पर, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा, जनता होटलों की एक श्रृंखला स्थापित करने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली में 300 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक 1250 शय्याओं वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास) का निर्माण किया जा रहा है जो 1980-81 के दौरान क्रमिक चरणों में पूरा हो जायेगा। तीर्थ यातायात के महत्व को दृष्टि में रखते हुए पर्यटन विभाग का "यात्री आवास विकास समिति" इस नाम से एक सोसाइटी स्थापित करने का प्रस्ताव है जो धर्मशालाओं, सरायों, मुसाफिरखानों के निर्माण/संधारण तथा किफायती आवास के निर्माण/संधारण के लिए ट्रस्टों/संस्थानों को अनुदानों अथवा ऋणों के माध्यम से खंड उपलब्ध करायेगी।

IA BOEING DAMAGED AT CALCUTTA AIRPORT DUE TO STORM

*86. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether he is aware that an Indian Airlines Boeing 737 was damaged while standing at Calcutta airport due to a storm of velocity of 50 kilometres per hour;

(b) if so, the number of persons injured thereon; and

(c) whether any measure was taken to avert this accident ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) One member of the staff while standing on the ground sustained a minor injury.

(c) Yes, Sir. Necessary precautions were taken, such as appropriate positioning of the aircraft.

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

*91. श्री पी० के० कोडियन
श्री वी० एम० सुधीरन } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में फिर से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान कीमतों में वस्तुत: कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) कीमतों में वृद्धि के क्या करण हैं ; और

(घ) कीमतों को नियन्त्रित रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) व (ख) मई और जून, 1978 के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती का रुख रहा है । अप्रैल, 1978 और जून, 1978 के बीच समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई वर्ष 1977 और वर्ष 1976 की इसी अवधि के दौरान इस सूचकांक में क्रमश: 2.3 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) पिछले दो महीनों में कुछ वस्तुओं में वृद्धि इसलिए हुई है कि मई से अक्तूबर की अवधि कमी की अवधि होती है, जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खरीफ की फसलों के मूल्यों में बढ़ती का रुख रहता है: आम खपत की विनिमित कुछ वस्तुओं में वृद्धि का कारण अशत: उत्पादन शुल्कों में वृद्धि होना, इस्पात के मूल्य में वृद्धि होना और कोयले व रेल वैगनों के संचलन में रुकावट आना कहा जा सकता है ।

(घ) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के उतार चढ़ाव और उनका उपलभ्यता पर लगातार निगरानी रख रही है । इस बारे में पिछले 15 महीनों में अनेक उपाय दिये गये तथा आवश्यकता होने पर और उपाय किये जायेंगे। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता की स्थिति में सुधार करने और उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के विचार से कुछ मौलिक नीति निर्णय किये हैं ।

आवश्यक वस्तुओं कृषि वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं, दोनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अत्यधिक प्राथकिता दी गई है। यह प्राथमिकता विशेषकर दालों, तिलहनों, इस्पात और फीमेंट जैसी वस्तुओं के बारे में दी गई है, क्योंकि इन वस्तुओं की देश में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप आपूर्ति नही हो पा रही है। इसके लिये गहन एकीकृत उत्पादन आधार तैयार करने, आम खपत की वस्तुओं के पर्याप्त उत्पादन के लिए योजना बनाने और सारे देश में उचित मूल्यों पर पर्याप्त रूप से वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। यह उत्पादन-एवं वितरण प्रणाली की आधारशिला है, जो इस समय विचाराधीन है।

आम आदमी की मूल आवश्यकताओं का ध्यान में रखने के लिये आयात और निर्यात नीति फिर से बनाई गई ह। वह खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात जारी रखा जा रहा है क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार हाथ से चुनी मूंगफली, दालों, ताजी सब्जियों, आलू, हल्दी, प्याज और लिविंग कैटल कुछ कृषि वस्तुओं के निर्यात पर रोक/प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, ताकि घरेलू उपभोक्ता को ये वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकें। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जैसी राष्ट्र-स्तरीय समितियां उत्पादकों से उचित मूल्यों पर आवम्यक वस्तुयें खरीदने और उनकी उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आपूर्ति करने के लिये कार्य में अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं। इसी प्रकार रेल द्वारा माल की ढुलाई, कोयले और बिजली की सप्लाई में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जा रहा है, ताकि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राज्य सरकारों से समय-समय पर आश्वयक ताकि वस्तुओं सम्बन्धी उपबन्ध लागू करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण तथा विपणन के मामले में जमाखोर, चोरबाजारी करने वाले तथा असामाजिक तत्व भ्रष्टाचार न करें।

एक समन्वित उत्पादन आधार तैयार करना, प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना, बाह्य तथा आन्तरिक व्यापार नीतियों को नयी दिशा देना तथा वसूली और वितरण के काम में सार्वजनिक अभिकरणों को और अधिक शामिल करना आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार करने और देश के सभी भागों में उन्हें उपभोक्ताओं को स्थिर एव उचित दरों पर उपलब्ध कराने की समेकित नीति के अग हैं।

डां० धर्भ तेजा का विदेश भाग जाना

*92. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या **पर्यतन आर नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्मतेजा एयर इंडिया के एक विमान द्वारा भारत से कहीं विदेश चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और

(ग) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की गई है जिन्होंने भारत से भागने में उसकी सहायता की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : डा० धर्म तेजा, 22 जुलाई, 1977 को, फ्रैंकफर्ट एयर इडिया के विमान से नहीं बल्कि एक "पेन एम"

की उड़ान से गये। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने विमान वाहव (connien) के विरुद्ध आयकर अधिनियम के उपबधों के अन्तर्गत पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

93. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :**
श्री वी० जी० हांडे : क्या } वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मूल्यों को रोकने के लिए किये गये समी-प्रयासों के बावजूद गत तीन महोनों के दौरान जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि होती रही है ?

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक क्या था और इनमें से प्रत्येक महीने में 12 महीने का औसत क्या था;

(ग) क्या वर्तमान फार्मूले के अन्र्गत मंहगाई भत्ते की कोई और किस्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों को देय हो गई है और

(घ) यदि हां, तो इस वाटे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) अभी तक केवल मई, 1978 के अन्त तक की अवधि के सूचकांक आंकड़े उपलब्ध हैं। मार्च, अप्रैल और मई, 1978 के सूचकांक आंकड़े और इन महीनों का 12 महीने का औसत सूचकांक इस प्रकार है:—

मास	सूचकांक	सूचकांक का 12 महीने का औसत
मार्च 1978	321	324.17
अप्रैल 1978	322	324.92
मई 1978	323	325.33

इन आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल सीमान्तिक वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयकर विभाग द्वारा श्री धर्म तेजा से आयकर की बकाया राशि की वसूली के बारे में जारी किये गये नोटिस

*94. **डा० बलदेव प्रकाश:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने श्री धर्म तेजा की ओर, जो गैर-कानूनी ढंग से भाग कर देश से बाहर चले गये हैं, आयकर की बकाया राशियों की वसूली के लिये एयर इंडिया तथा पान अमेरिकन विमान कम्पनियों को नोटिस जारी किये हैं; और

(ख) क्या उनके भाग कर बाहर चले जाने को रोकने के लिए आयकर विभाग ने कोई निवारक कदम उठाये थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारअल्ली) : (क) और (ख) डा० तेजा की तरफ केन्द्रीय करों की काफी बड़ी रकमें बकाया होने के कारण राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किये गये थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल थे

(i) डा० तेजा का कर-निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारी ने 27 फरवरी 1975 को देश भर के विदेश जाने वालों के कर-निर्धारण का काम करने वाले सभी आयकर अधिकारियों को इस निवेदन के साथ पत्र भेजा था कि उपभोक्त आयकर अधिकारी की अनुमति लिये बिना डा० तेजा को आयकर अधिनियम की धारा 950 के अधीन आयकर अदायगी प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेंगे; और

(ii) 5 मार्च 1975 को विभिन्न एयरलाइन्स को सतर्क करते हुए चिट्ठियां जारी की थीं कि आवश्यक आयकर अदायगी प्रमाण-पत्र पेश किये बिना डा० तेजा के लिए वे देश से बाहर जाने के लिए कोई बुकिंग नहीं करेंगे। इतना सब करने पर भी डा० तेजा 22 जुलाई 1977 को पान अमरीकन बर्ल्ड एयरवे की उड़ान से भारत से चले गये। तब से वे भारत नहीं लौटे हैं। पता चला है कि डा० तेजा की उस उड़ान के लिए टिकट मैसर्स इवेरियन एयरवे द्वारा सजुवान नाम स्थान से जारी किया गया था। इस टिकट का पृष्ठांकन मेसर्स एयर इंडिया द्वारा पान अमरीकन के पक्ष में किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 230(2) की व्यवस्थाओं के अनुसार, मेसर्स पान अमरीकन वर्ल्ड एयरवे को, डा० धर्म तेजा को भारत से बाहर जाने के कारण एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है। मैसर्स एयर इंडिया को भी धारा 230(2) के अधीन इस बात के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है कि उस कम्पनी ने मैसर्स पान अमरीकन के पक्ष में डा० तेजा को टिकट पर पृष्ठांकन क्यों किया।

MERGER OF DEARNESS ALLOWANCE WITH BASIC PAY

†*95. SHRI ISHWAR CHAUDHRY
SHRI C. R. MAHATA } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Central Government employees had submitted any memorandum to Government for merging dearness allowance with basic pay; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Representations have been received from certain Staff Unions and Associations for merging dearness allowance in basic pay. A demand had also been made by the Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for the merger of dearness allowance sanctioned to the Central Government employees at the index average level of 272 with their pay at least for pension and other retirement benefits. This demand along with two other demands relating to D.A. issues were discussed with the Staff Side of the Standing Committee of the National Council, but no agreement could be reached. The demand will now be referred to Arbitration.

† Original notice of the question received in Hindi.

ADVERSE BALANCE OF TRADE

*96. SHRI YUVRAJ
SHRI RAM DHARI SHASTRI } : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether there has been an adverse balance of trade to the tune of Rs. 600 crores during the year 1977-78;

(b) whether during the preceding year there was favourable balance of trade to the tune of Rs. 76 crores;

(c) if so, the remedial measures proposed to be taken in this regard and the time by which they will be taken; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE,, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Based on provisional figures India's overall exports (including re-exports) and imports during 1977-78 amounted to Rs. 5252.67 crores and Rs. 5832.49 crores respectively, resulting in an adverse balance of trade of about Rs. 580 crores. / These figures will however undergo upward revision on receipt of late/supplementary returns in the next few months.

(b) As per revised figures the year 1976-77 had a trade surplus of about Rs. 72 crores.

(c) and (d) The slow growth in exports during 1977-78 has been due to various factors viz. growing trends towards protectionism in the developed countries, continued recessionary situation in the world economy, fluctuations in dollar value and in the case of certain mass consumption items Government's deliberate policy to regulate their exports in the interest of domestic requirements. The total exports of these commodities was only Rs. 160 crores during 1977-78, against Rs. 600 crores during 1976-77.

To promote exports a number of steps have been taken which include participation in Trade Fairs & Exhibitions abroad, identification of areas and export items with export potential, visits of trade delegations, grant of market development assistance, drawback of custom and excise duty, provision of export finance, quality control and supply of imported and domestic inputs, establishment of joint ventures and industrial cooperation in third countries etc.

The Export Policy seeks change in exports from primary commodities to products with higher valued added content and also aims at securing higher export product surplus through better capacity utilisation, new investment and modernisation. It also aims at cultivating and developing new export markets.

Keeping in view the unfavourable world trade situation and the increasing resistance encountered by India's exports on account of recessionary conditions in the world economy, eight Task Forces have been formulated for the following product groups :

1. Electronics
2. Project
3. Agriculture
4. Handicrafts
5. Gems & Jewellery
6. Leather & Leather Manufacturers
7. Small Scale Sectors
8. Export Services

The above Task Forces have been formulated with the undermentioned terms of reference :

(a) to review the present trends in world trade, and the structure of Indian exports of the given product groups;

(b) to identify major commodities/item-wise export potential and recommend their export targets for the next five year period and beyond;

(c) to identify external markets for intensive export drive and the required market strategies for export promotion;

(d) to identify the priority-wise measures necessary to remove the existing production and capacity constraints in order to actualise the targeted exportable surplus;

(e) to review the existing policy framework and identify necessary changes and policies for export assistance, export services and export infra-structure in order to achieve export targets.

Immediate follow-up action will be initiated on the basis of the recommendations of the task forces.

भारतीय चाय पर निर्यात शुल्क

97. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय चाय पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के कारण यह विदेशी मडियां खो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चाय को फिर से प्रतियोगिता के स्तर पर लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीग चाय की प्रतिप्वगिता क्षमता के बारे में सतर्क है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष कीनिया के सिवाय चाय के अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आई है, यह आशंका नहीं है कि भारतीय चाय अपनी प्रतियोगिता क्षमता खो देगी।

चाय पर निर्यात शुल्क घरेलू उपभोक्ता के लिए कीमत नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया था : क्योंकि यह संभव है कि घरेलू बाजार में चाय की कीमत मजबूत हो सकती है, अत: यह विनिश्चय किया गया है कि चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त न किया जाये। इसके अतिरिक्त, जो चाय मूल्य वार्धित रूप में निर्यात की जाती है, उस पर निर्यात शुल्क नहीं लिया जाता।

निर्यात आयात बैंक की स्थापना

*98. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**
श्री मुख्तियार सिंह म लक : } क्या **वित्त** मंत्री यह पताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित निर्यात-आयात बैंक के कब स्थापित होने की संभावना है ;

(ख) इसकी कार्यवाही पूंजी, प्रस्तावित कृत्यों का ब्यौरा क्या है,; और

(ग) बैंक निर्यात किस प्रकार बढ़ायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल : (क) निर्यात आयात बैंक की स्थापना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किये बिना डा० धर्म तेजा का भाग निकलना

100. श्री के० मालन्ना :

श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्मतेजा ने आयकर विभाग को करोड़ों रुपये देने हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किये बिना भारत से चले गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार डा० तेजा की तरफ आयकर की 4.87 करोड़ रुपये की और धन-कर की 70 लाख रुपये की रकम बकाया है।

(ख) यह सच है कि डा० तेजा आयकर अदायगी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भारत से चले गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 230(2) के अधीन एक 'कारण बताओ नोटिस' डा० तेजा को, बिना आयकर अदायगी के प्रमाण-पत्र के देश से बाहर ले जाने वाली कम्पनी, मैसर्स अमरीकन वर्ल्ड एयरवे को जरी किया जा चुका है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 230(2) के अधीन एक दूसरा 'कारण बताओ नोटिस मैसर्स एयर इंडिया को भी जारी किया गया है क्योंकि मैसर्स इवोरियन एयरवे ने मूलत: जो टिकट में सर्स पान अमरीकन वर्ल्ड एयरवे के पक्ष में जारी की थी उसका पृष्ठाँन्कन सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार मैसर्स एयर इंडिया ने किया है।

रबड़ का निम्नतम मूल्य पुनः निर्धारित करना

801. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री को रबड़ का निम्नतम मूल्य पुनः निर्धारित करने के बारे में मालाबार लघु उत्पादनक संघ, कालीकट द्वारा दिया गया एक ज्ञापन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृष्ण कुमार (गोयल) : (क) जी हां।

(ख) मालाबार लघु उत्पादक संघ, कालीकट ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन (अगस्त, 1977 में) दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 1,000 रु० प्रति क्विटल की दर पर रबड़ की न्यूनतम कीमत पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि कोट्टायम बाजार में रबड़ की कीमतें अधिसूचित न्यूनतम कीमतों से काफी ऊंची चल रही थी, इस लिये आर० एम० ए०-1 ग्रेड के लिये 655 रु० प्रति क्विंटल, अन्य ग्रेडों

की कीमतों में भिन्नता सहित, की निर्धारित कीमतों की चालू रहने की अवधि, जो 6 अगस्त 1977 से 31 मार्च 1978 तक थी और बाद में यह 31 मई 1978 तक बढ़ाई गई थी आगे 31 अगस्त 1978 तक बढ़ा दी गई। स्थिति की समीक्षा अगस्त 1978 में उस समय की बाजार कीमतों की प्रवृति को देखते हुए की जायेगी।

विदेशों में पर्यटन संवर्धन केन्द्रों का खोला जाना

802. श्री अमर सिंह वी० राठवा
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में पर्यटन संवर्धन केन्द्र खोलने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) विदेशों में कितने पर्यटन संवर्धन केन्द्र कहाँ-कहाँ कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नए केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक)। (क) विदेशों में "पर्यटन प्रोत्साहन कार्यालय" खोलने के लिए अन्य बातों के साथ साथ जिन बातों का खास तौर से ध्यान म रखना पड़ता है वे ये हैं:— उपलब्ध मार्केट का विस्तार; यहां से भारत आने वाले पर्यटक यातायात की संभावनाएं : मार्केट के खर्च करने की क्षमता ; सम्बनधित देश की जनसंख्या प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन (ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट) तथा प्रति व्यक्ति खर्च की जाने वाली आय जिसका यात्रा के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) अब विदेशों में भारत सरकार के 18 पर्यटन कार्यालय हैं। ऐसे कार्यालयों की एक सूचि संलग्न है जिसमें इनके कार्य क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ।

(ग) और (घ) मलेशिया से भारत के लिए और अधिक पर्यटन यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए कोआलालम्पुर में एक नया पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

विदेशों में स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों की सूची।

इस समय विदेशों में 18 कार्यालय हैं जिनके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:—

1. न्यूयार्क	"अमरीका अभियान" जिसके अन्तर्गत यू० एस० ए०, लेटिन अमरीका, कनाडा तथा केरीबियन द्वीपसमूह आते हैं ।	क्षेत्रीय निदेशक, न्यूयार्क इन कार्यालयों के कार्यकलापों का अधीक्षण करता है।
2. लास एजंल्स		
3. शिकागो .		
4. टोरांटो .		
5. लंदन .	"यू० के० अभियान" जिसके अन्तर्गत यू०के० तथा आयर आते हैं।	

6. जिनेवा 7. पैरिस	"यूरोप अभियान" जिसके अंतर्गत महाद्वीपीय यूरोप आता है।	क्षेत्रीय निदेशक, जिनेवा इन कार्यालयों के कार्यक्लापों का अधीक्षण करता है।
8. फ्रैंकफर्ट 9. ब्रुसेल्स 10. स्टाकहोम 11. वियाना 12. मिलान		
13. सिडनी 14. पर्थ 15. सिंगापुर	"आट्रेलिया अभियान" जिसके अंतर्गत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप समूह, सिंगापुर, मलयेशिया तथा इंडोनेशिया आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, सिडनी इन कार्यालयों के कार्यक्लापों का अधीक्षण करता है।
16. टोकियो 17. बैंकांक	"पूर्वी एशिया अभियान", जिसके अंतर्गत जापान, फिलिपाइन्स हांग कांग तथा थाईलैंड आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, टोकियो इन कार्यालयों के कार्यक्लापों का अधीक्षण करता है।
18. कुवैत	"पश्चिमी एशिया अभियान" जिसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया के देश आते हैं।	

इसके अलावा, उपर्युक्त कुछ कार्यालयों से संबद्ध पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी यू० एस० ए० में वाशिंग्टन डी० सी० मियामी, डालास तथा सान फ्रांसिस्को में और तेहरान (ईरान) मैल्बौर्न (आस्ट्रेलिया) तथा ओसाका (जापान) में तैनात हैं।

केन्द्रीय व्यापार सेवा

803. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1977 में केन्द्रीय व्यापार सेवा की घोषणा एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रारम्भिक रूप से अभी तक कर्मचारियों को नहीं रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सेवा में प्रारम्भिक भर्ती शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री) श्री आरिफ बेग): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) प्रवरण समिति पहले ही नियुक्त कर दी गई है। उसने एक बैठक भी कर ली है और ऐसी आशा है कि उसका कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा।

भारत और सेशिलीज के बीच विमानों की उड़ान का करार

804. **श्री डी० अमात** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और सेशिलीज के अधिकारियों के बीच विमानों की उड़ान सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए जून, 1978 में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) जी, हां। सेशलीज गणराज्य की सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडलों की 26 से 30 जून, 1978 तक विक्टोरिया में बैठक हुई और उनके संबंधित भूभागों के बीच तथा उनसे परे विमान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक विमान सेवाओं संबंधी करार के पाठ पर सहमति हुई व उस पर अदयाक्षर किए गए । करार के अंतर्गत, भारत तथा सेशलीज दोनों देशों की नामित विमान कम्पनियों को बोइंग 707 विमान या इतनी ही अथवा इससे कम क्षमता वाले विमानों से सप्ताह में अधिक से अधिक दो सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा, परन्तु इन विमानों में सुपरसॉनिक विमान सम्मिलित नहीं होंगे। विमान सेवा करार लागू होने तक, इसके उपबंधों के तत्काल क्रियान्वित किए जाने के बारे में भी सहमति हुई है।

भारतीय फिल्मों की तस्करी

805. **श्री अहमद एम० पटैल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्में चोरी छिपे भारत से बाहर भेजी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 और 1977 के दौरान पकड़े गये मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राय मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि कुछ भारतीय फिल्मों को चोरी-छिपे भारत से बाहर ले जाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 1976 और 1977 में, सात हिन्दी फिल्मों की तस्करी करने के प्रयास के 4 मामले पकड़े गये थे । इन मामलों में से दो में पांच फिल्मों का कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ और उनको किसी के साथ संबद्ध नहीं किया जा सका। अतः इन दो मामलों में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दो फिल्में पकड़ने के शेष दो मामलों में, 9 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। इन नौ व्यक्तियों में से दो व्यक्ति, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निर्धारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द हैं और बाकी सात व्यक्ति जमानत पर रिहा हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रस्त व्यक्तियों पर वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाने की विभागीय न्यायनिर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही है।

RULES SENT TO LAW MINISTRY FOR TRANSLATION IN HINDI

806. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the details of the rules sent so far by his Ministry and attached and subordinate offices to the Law Ministry for translation in Hindi;

(b) the rules, out of them, translated and the rules out of them, published; and

(c) the action being taken to translate the rest of the rules ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (c) All the rules including recruitment rules framed and amended by this Ministry in regard to the subject under its charge as also those framed and amended by the attached and subordinate offices except those shown in the statement attached herewith have been translated and published in Hindi as well as English. The Official Language (Legislative) Commission of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs have been reminded from time to time to get the remaining rules translated into Hindi.

STATEMENT

DETAILS OF RULES SENT TO OFFICIAL LANGUAGE (LEGISLATIVE) COMMISSION OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIR WHICH ARE PENDING FOR TRANSLATION INTO HINDI

DEPARTMENT OF COMMERCE

1. The Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.
2. Tea Rules, 1954.
3. U. K. India Trade Agreement Rules, 1939.
4. Additional Duty Rules, 1969.
5. Coffee Rules, 1955.
6 Rubber Rules, 1955.
7. Cardamom Board Service (Recruitment) Rules, 1967.
8. Cardamom Board Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971.
9. The Textile Committee Rules, 1965.
10. The Textile Committee (Discipline and Appeal) Regulation, 1968.
11. The Textile Committee's Employees (Conduct) Regulations, 1968.
12. The Textile Committee's Employees (Conditions of Service) Regulations, 1968.
13. The Textile Committee's Employees (Recruitment) Regulations, 1968.
14. The Textile Committee's Employees (Seniority) Regulations, 1968.
15. The Textile Committee's Employees (Medical Benefits) Regulations, 1968.
16. Cardamom Rules, 1966.

DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

1. Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 (As amended in 1962).
2. Forward Contracts (Regulation) Rules, 1954.

DEVELOPMENT DIAMOND INDUSTRY

807. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have provided any special facilities for the development of diamond industries under the new foreign trade policy and if so, the details thereof;

(b) the value of diamonds exported during 1977-78 and the value thereof likely to be exported during 1978-79;

(c) whether trade of diamonds is mostly in Gujarat and if so, the number of persons engaged in this trade there and the names of the districts in Gujarat where trade of diamond is still going on; and

(d) the nature of facilities being extended to the people engaged in diamonds trade with a view to develop the Diamond Industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (d) With a view to develop the Diamond Industry and its export trade, Government *inter alia* has provided facilities such as (a) exemption from payment of 5% import duty on rough diamonds; (b) facility for direct imports by doing away with canalisation; (c) establishment of Institutes to train artisans in the modern art of cuttng and polishing in Surat and Jaipur and (d) establishment of Hindustan Diamond Company for procurement and sale of rough diamonds.

The value of diamonds exported during 1977-78 (April-February) have been estimated at about Rs. 385 crores. During 1978-79 according to tentative estimates the diamonds exports may reach Rs. 450 crores.

The diamond industry is mainly localised in Gujarat and also in Maharashtra and Kerala. While the main cutting and polishing centres are in Gujarat (Surat, Navsari, Banaskantha, Mehsana, Bhavnagar) the diamond export trade is predominantly Bombay-based. It is estimated that the number of artisans and craftsmen engaged in the diamond industry in Gujarat would be over one lakh.

तम्बाकू उत्पादकों की सहायता के लिये तम्बाकू का उचित मूल्य

808. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में तम्बाकू का क्या मूल्य रहा ;

(ख) तम्बाकू उत्पादकों की सहायता के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि उचित मूल्य का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के उत्पादकों को भी प्राप्त हो ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) इस वर्ष तम्बाकू की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में सामान्यत: कम ही रही हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

ख) इस वर्ष राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) को 10,000 मे० टन वर्जीनिया तम्बाकू तथा नैशनल एग्रीकल्चरल कोआप्रेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि० को 25,000 मे० टन गैर-वर्जीनिया तम्बाकू खरीदने को कहा गया है।

(ग) ये खरीदारियां करने का प्राधिकार उपजकर्ताओं के हितार्थ किया गया है। अत: एस० टी० सी० उपजकर्ताओं को कोआप्रेटिव/सिंडीकेटों/एसोसियेशनों के माध्यम से खरीदारियां कर रहा है और नेफेड भी स्टेट कोआप्रेटिव मार्केटिंग फैडरेशनों के माध्यम से खरीदारियां कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन व्यवस्थाओं के अधीन दूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी लाभ होगा।

विवरण

वर्ष 1977-78 के दौरान तम्बाकू की थोक कीमतें

प्रति क्विंटल मूल्य रु० में

राज्य/केन्द्र	किस्म	1977		1978	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1. आन्ध्र प्रदेश (गुन्टुर तथा प्रकाशम जिले)	एफ० सी० वी० ग्रेड-1-5	900	980	650	970
	एफ० सी० वी० ग्रेड 2-5	550	870	400	850
	एफ० सी० वी० ग्रेड 3-5	300	450	250	500
	एफ० सी० वी० ग्रेड 5-5	200	450	250	425
	एफ० सी० वी० ग्रेड 6-5	150	360	100	325
	एफ० सी० वी० ग्रेड 8-5	50	290	100	200
2. आन्ध्र प्रदेश (वारंगाल)	नजविद (पहली किस्म)	1150	1400	900	1200
3. महाराष्ट्र (नागपुर)	चबाने वाला काला	1100	1100	1100	1120
4. कर्नाटक (मंगलौर)	रेतीला	600	1400	1100	1450
5. तमिलनाडु (इरोड)	चबाने वाला (पहली किस्म)।	773	1045	818	955
6. गुजरात (आनन्द)	बीड़ी-1	282	596	260	380

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

809. श्री फतेहसिंह राव पी० गायकवाड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978 से 30 जून, 1978 तक कितनी निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गईं ;

(ख) प्रत्येक छापों में कितने मूल्य की वस्तुयें पकड़ी गईं;

(ग) पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुयें किस-किस प्रकार की थीं ;

(घ) कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ;

(ङ) क्या विदेशी वस्तुओं की ये बड़ी मात्रायें यह बताती हैं कि तस्करी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है ; और

(च) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (च) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि अप्रैल से जून, 1978 तक की अवधि के दौरान 18336* मामलों में निषिद्ध माल पकड़ा गया था जिसमें लगभग 7.89 *करोड़ रुपये के कुल मूल्य का सोना, घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र, हीरे आदि शामिल हैं, और 512 *व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। माल पकड़ने के इन मामलों के स्वरूप और परिणाम और उनमें ग्रस्त माल के कुल मूल्य से यह पता नहीं लगता कि तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। फिर भी तस्करी पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक तस्करी-निवारक उपाय किये गये हैं, जिनमें निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, समुद्र तटीय और भू-सीमाओं के साथ-साथ तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों की गश्त लगाना और प्रमुख समुद्री पत्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों पर अधिक सतर्कता बरतना, तस्करी विरोधी कार्यों पर लगे कर्मचारियों की दक्षता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए बेहतर संचार पद्धति और उपस्कर की व्यवस्था करना शामिल है। सरकार के पास पड़े स्टाक से सोने की बिक्री शुरू करने के अतिरिक्त, तस्करी के प्रति आकर्षण कम करने हेतु अनेक आर्थिक उपाय किये गये हैं।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारत और ईरान के बीच व्यापार में वृद्धि

810. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत और ईरान के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और किन-किन वस्तुओं के मामले में यह वृद्धि हुई है?

वाणिय, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 1974-75 से भारत तथा ईरान के बीच व्यापार के आंकड़े निम्नोक्त हैं :—

(लाख रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1974-75	21483	47266
1975-76	27224	45988
1976-77 . .	14458	50787
1977-78 (अप्रैल-सितम्बर) . .	4970	22178

1972-73 से 1975-76 तक ईरान को निर्यातों का बढ़ता हुआ रुख था किन्तु 1976-77 के दौरान निर्यातों में मुख्य रूप से इस कारण काफी गिरावट आई कि 1976-77 के दौरान चीनी के निर्यात काफी कम हुए। तथापि, 1975-76की तुलना

में 1976-77 के दौरान जिन कुछ मदों के सम्बन्ध में निर्यातों के स्तरों में वृद्धि रिकार्ड की गई वे निम्नोक्त प्रकार हैं ;

(1) चाय, (2) बेराइटिस, (3) चमड़ा, (4) चमड़े अथवा कृत्रिम अथवा पुनः तैयार चमड़े का माल, (5) रबड़ का माल और कच्चा रबड़, (6) कागज तथा गत्ता और उनका माल, (7) सूती धागा, (8) वस्त्र फैब्रिक्स, (9) बहु-मूल्य पत्थर, (10) लौह तथा इस्पात (11) धातु का माल, (12) विद्युत तथा गैर-विद्युत मशीनरी, (13) जहाज तथा नावें और (14) सिले-सिलाये परिधान।

आयात में वृद्धि मुख्य रूप से पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों, रासायनिक अवयवों और संघटकों तथा कच्चे वनस्पति में हुई ।

इंजिनियरी वस्तुओं का निर्यात

811. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में भारत से कुल कितनी इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात हुआ ;

(ख) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1976-77 में हुए इंजीनियरी वस्तुओं के कुल निर्यात में निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यातकर्ताओं का कितने प्रतिशत हिस्सा था;

(एक) छोटे पैमाने के उद्योग (निर्माता-निर्यातकर्ता) ;

(दो) बड़े पैमाने के एकक निर्माता-निर्यातकर्ता (डी० जी० टी० डी० एकक) ;

(तीन) व्यापारी निर्यातकर्ता (अर्थात् वे निर्यातकर्ता जो स्वयं निर्माण नहीं करते) ; और

(ग) वर्ष 1977-78 और 1976-77 में इंजीनियरी वस्तुओं के कुल निर्यात निर्यातकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों द्वारा किये गये निर्यात का कितने प्रतिशत हिस्सा था;

(एक) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात-गृह ;

(दो) वे सभी को में जिन्हें निर्यात-गृह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है ;

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान इंजीनियरी माल का कुल निर्यात निम्न प्रकार रहा :

(करोड़ रु०)

1975–76	408.00
1976–77	552.00
19 7–78	625.00 (अनुमानित)

(ख) इंजीनियरी माल के कुल निर्यातों में सम्बन्धित श्रेणियों का प्रतिशत भाग नीचे दिया जाता है :

	कुल निर्यातों का प्रतिशत भाग
	1976–77
लघु क्षेत्र के एकक	13.46
बड़े क्षेत्र के एकक (डी० जी० टी० डी० आदि) . .	54.92
व्यापारी निर्यातक (निर्यात सदनों सहित) . .	31.62

1977-78 के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इंजीनियरी माल के कुल निर्यातों से सम्बन्धित श्रेणियों का प्रतिशत भाग निम्नोक्त प्रकार है :

	कुल निर्यातों का प्रतिशत भाग	
	1976–77	1977–78
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात सदन (विनिर्माता निर्यात सदनों को छोड़कर) . . .	24.06	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।
सभी अन्य निर्यातक	75.94	

बम्बई में होटल का निर्माण

812. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री गत तीन वर्ष में महाराष्ट्र के पर्यटकों के आकर्षण हेतु खर्च की गई राशि के बारे में 12 मई, 1978 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 10221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में और अधिक पर्यटकों के आकर्षण के लिए बम्बई में एक होटल के निर्माण के प्रस्ताव को कार्यरूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन महीनों में कठिनाइयों, यदि कोई हों तो, को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) ने बम्बई में एक 150 कमरों वाला होटल के निर्माण के लिए निगम की छठी योजना (1978–83) में 300 लाख रुपए की व्यवस्था की है ।

(ख) और (ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 लाख रुपये है । इस परियोजना के लिए निगम की वार्षिक योजना 1978–79 में कोई व्यवस्था नहीं है । यदि

उपयुक्त स्थान तथा आवश्यक निधि उपलब्ध हो गयी तो भारत पर्यटन विकास निगम का 1979-80 में इस स्कीम का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही

813. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मूल आधार तैयार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों तथा इसके निहायत नाजुक वातावरण (very fraglle envorment) के कारण, केन्द्रीय सैक्टर में अंडमान द्वीप समूह में पर्यटन विकास की अब तक कोई योजनाएं प्रारम्भ नहीं की गयी हैं। तथापि, प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में एक "टूरिस्ट होम" तथा "मेगापॉड्स नैस्ट" का निर्माण किया है। उनकी 1978-79 की वार्षिक योजना में "टूरिस्ट होम" में 25 शय्याएं और जोड़ने का प्रस्ताव है। कार्बिन्स कोव बीच में प्राइवेट सैक्टर में एक होटल भी बनाया जा रहा है जिसके अक्टूबर, 1978 तक तैयार हो जाने की आशा है।

इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच बोइंग 737 विमान द्वारा सप्ताह में दो विमान सेवाएं परिचालित कर रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण सुविधा तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने संबंधी नीति

814. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण ऋण सुविधा उपलब्ध करने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के बारे में सरकारी नीति क्या है ;

(ख) क्या समुचित आदेश न देने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक केवल नगरों में शाखाएं खोल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोल रहे हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितनी कितनी शाखाएं खोली हैं ;

(घ) एक बैंक द्वारा खोली जाने वाली शाखाओं में से कुछ शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना आवश्यक क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए ; और

(ड़) सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से असम तथा पूर्वोत्तर अंचल के अन्य भागों में किस प्रकार बैंकिंग एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) त्वरित ग्रामीण विकास की सरकार की समय नीति के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की अपनी गति को तेज करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बैंकों से, और बातों के

साथ-साथ, यह कहा गया है कि वे अपने शाखा जाल को बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाएं और सुनिश्चित करें कि बडे भौगोलिक क्षेत्र बैंक सुविधाओं से वंचित न रह जाएं।

(ख) जी नहीं। हाल ही उपलब्ध ताजी सूचना के अनुसार चालू वर्ष में पहली तिमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 198 शाखाएं खोली हैं जिनमें से 119 शाखाएं ग्रामीण केन्द्र में और 17 शाखाएं अर्ध शहरी केन्द्रों में खोली गयी हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के दिसम्बर, 1977 के अंत के उपलब्ध राज्य-वार और बैंक-वार आंकड़े अनुबंध में दे दिए गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। /देखिये संख्या एल० टी०–2433/78**]

(घ) कम बैंक वाले जिलों/राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह बता दिया गया है कि चालू वर्ष में शहरी और महानगरीय केन्द्रों के वितरण को नियंत्रित रखा जाएगा।

(ड़) आम नीति के अनुसार बैंक असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र के अन्य भागों में अपना शाखा जाल फेलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ऋण देने के आलावा बैंक कृषि के लिए प्राथमिक कृषिक ऋण समितियों और कृषक सेवा समितियों के माध्यम से अधिक मात्रा में ऋण देने का प्रयत्न कर रहे हैं। बैंक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संचालन आवश्यकताओं में भी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋण-कर्ताओं को ऋण देना सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं ने लीड बैंक द्वारा बनायी गयी जिला ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है।

तम्बाकू बोर्ड के मुख्य कार्यालय को गुण्टुर से अन्यत्र स्थानान्तरण

815. श्री राम प्रकाश त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू बोर्ड के मुख्य कार्यालय को गुण्टुर से कहीं अन्यत्र बदलने का है जो कि वर्जिनिया तम्बाकू का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है और जहां 50 करोड़ रूपये से भी अधिक लागत से आधारभूत संरचना पहले ही बनाई जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारित मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग):

(क) तथा (ख) 18 जुलाई, 1978 को लोक सभा द्वारा पारित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 में एक उपबन्ध है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि वह तम्बाकू बोर्ड के प्रधान कार्यालय को गुण्टूर के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सकती है, परन्तु फिलहाल प्रधान कार्यालय को गुण्टूर से बदलने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

PROCEDURE FOR IMPORT OF RUDRAKSHA

816. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleasel to state :

(a) whether for the implementation of the new import facilities given by Government for the import of 'Rudraksha' any such procedure has been evolved which may ensure that antisocial elements do not take undue advantage thereof; and

(b) if so, the details of the procedure and whether some Members of Parliament have also made a demand therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) Suggestions were received from some Members of Parliament and others for allowing import of Rudraksha beads. Accordingly, this item has been permitted for import on a restricted basis in the current import policy. Imports can be made by Actual users and export houses under this policy. In order that the users, who canont themselves import are able to get the material at reasonable prices, some imports are also being arranged through the State Trading Corporation of India.

OVERDRAFTS DRAWN BY STATES FROM RESERVE BANK OF INDIA

SHRI ANANT RAM JAISWAL
DR. SAROJINI MAHISHI } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether he is aware that many State Governments have drawn overdrafts from Reserve Bank of India:

(b) if so, State-wise amount of the overdrafts drawn upto 30th June 1978 and the position thereof in this regard as on 30th June, 1977 in each case, and

(c) whether State Governments have made a request to him for writing off the amount of overdrafts so that their financial condition may improve ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) As Reserve Bank of India observes holiday on the 30th June, a statement showing the overdrafts of the State Governments as on 28th June 1977 and 28th June 1978 is placed on the tabled of the House. These overdrafts were cleared on the 29th June 1977 and 29th June 1978 by releasing to the State Governments, in advance of the due dates of payment, Central assistance for State Plans, share in Central taxes, grants in aid and other dues. In some cases, ways and means advances were also given.

(c) Some State Governments have requested for additional Central assistance to wipe out the overdrafts.

Statement

STATES OVERDRAFTS

Rs./Crores

States	As on 28-6-77	As on 28-6-78
(1)	(2)	(3)
1. Bihar	66·07	86·81
2. Himachal Pradesh	0·96	—
3. Kerala	31·67	—
4. Madhya Pradesh	4·00	48·32
5. Nagaland	—	3·20
6. Orissa	4·25	—
7. Punjab	60·89	73·19
8. Rajasthan.	7·97	21·19
9. Tripura	0·67	—
10. Uttar Pradesh	71·72	141·64
11. Wes t Bengal	71·46	128·05
TOTAL	319·66	497·40

निर्यात के लिए करार की गई चीनी की मात्रा

819. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति, और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिए कुल कितनी चीनी का करार किया गया है और किन-किन देशों के साथ करार किया गया है और प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) 64 लाख टन चीनी के उत्पादन की संभावना को ध्यान में रखते हुए , इसके निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) चालू वर्ष में अब तक निर्यात के लिए 4,936 लाख मी० टन चीनी की संविदाएं हुई हैं। इसमें से 1600 मी० टन मालदीव तथा 20,000 मी० टन उत्तरी कोरिया को निर्यात की जा रही है । संविदा की गई चीनी की शेष मात्रा का गन्तव्य स्थान इस समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि केवल वास्तविक निर्यात समय उसका पता लगेगा।

(ख) भारत द्वारा चीनी का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत कोटे के के अनुसार सीमित रहेगा । कैलेण्डर वर्ष 1978 के दौरान कोटा केवल 6.5 लाख मी० टन है। पूर्ण रूप में कोटे का निर्यात सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

वेस्ट गोदावरी कापरेटिव शुगर लिमिटेड में हानि

820. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) 1974-75 के मौसम से लेकर 1977-78 के मौसम तक वेस्ट गोदवारी का-रेटिव शुगर लिमिटेड, भीम डील में कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) हानि होने के क्या कारण हैं और हानि दूर करने के लिये उक्त सहकारी समिति को क्या सुझाव दिये गये हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) :

(क) समिति ने अंतिम अनुमान लगाया है कि 1977-78 तक वेस्ट गोदावरी काप-रेटिव शुगर लिमि०, भीम डील में कुल 255.82 लाख रुपये की हानि हुई, जिसमें मूल्यह्रास तथा दूसरे आरक्षणों की 150.95 लाख रुपये की राशि भी शामिल हैं।

(ख) हानि के कारण हैं :—

(i) पेरने के लिये गन्ना कम मात्रा में मिलना ;

(ii) चीनी वसूली की कम प्रतिशतता ; और

(iii) गन्ने का अधिक मूल्य ;

हानि को दूर करने के लिए समिति की ओर से केन्द्रीय सरकार के विचार के लिये कोई योजना नहीं मिली है।

VISIT OF MINISTERS ABROAD

821. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the total number of Ministers went abroad during the period from March, 1975 to June, 1976 and the expenditure incurred on their visits as compared to the number of Ministers visited abroad and expenditure incurred on their visit during the period from March, 1977 to June, 1978 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

डा० तेजा की ओर कर की बकाया राशि

822. **श्री एस० वी० पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस विदेशी एयरलाइन्स ने डा० तेजा को विदेश यात्रा के लिये टिकट दिया था उससे आय कर विभाग ने यह कहा है कि देश छोड़ने से पूर्व डा० तेजा ने आयकर की 4 करोड़ रुपयों की बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं किया तथा इस राशि को उसी एयरलाइन्स के नाम क्यों न डाल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो किस एयरलाइंस ने उसका विदेश यात्रा का प्रन्बध किया तथा डा० तेजा किस प्रकार लापता हो गया तथा उसने देश वास्तव में कब छोड़ा यद्यपि उसे ऐसा करने की मनाही थी ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला): (क) और (ख) आयकर विभाग को पता चला है कि डा० तेजा 14-5-1977 को भारत से बाहर चले गये थे, 11-7-1977 को वापस आये और 22-7-77 को पुन: भारत से बाहर चले गए। भारत से बाहर दोनों बार वे पानाम की उड़ानों द्वारा गए थे। डा० तेजा को ले जाने वाली कम्पनी, मैसर्स पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के विरुद्ध' वैध कर वेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना ही डा० तेजा को यात्रा करने देने के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(2) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार की कार्यवाही एयर इण्डिया के विरुद्ध डा० तेजा का टिकट पुन: जारी करने के कारण की गई है। पानाम और एयर इण्डिया दोनों से यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(2) के अधीन डा० तेजा की ओर बकाया करों की वसूली उनसे क्यों नहीं की जाए।

राज्य उपक्रमों के बड़े प्रबन्धक

823. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य उपक्रमों के बहुत से बड़े प्रबन्धक वहां से काम छोड़कर चले गए हैं और गर-सरकारी उद्योगों में काम करने लगे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यह मानते हुए कि माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी उद्योगों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा पूर्णकालिक निदेशकों के शीर्ष पदों से है, उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कोयले का निर्यात

825. **श्री रामानंद तिवारी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार विभिन्न देशों को, देशवार, कितना कोयला निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरिफ बेग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये कोयले की मात्रा (वर्षवार तथा देशवार) तथा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नोक्त है :

मात्रा लाख मे० टन में

देश	1975-76	1976-77	1977-78
बर्मा	0.80	1.08	0.29
बंगला देश	3.60	2.75	2.56
श्रीलंका	—	—	0.10
पाकिस्तान	—	0.11	—
ताइवान	—	0.78	—
जापान	—	0.04	—
वेल्जियम	—	0.39	0.18
पश्चिम जर्मनी	—	0.22	0.45
हालैन्ड	—	—	—
इटली	—	0.22	0.19
आयरलैंड	—	—	0.16
फ्रांस	—	0.55	1.90
डेनमार्क	—	0.21	0.22
	4.40	6.35	6.05
			करोड़ रु० में
अर्जित विदेशी मुद्रा	17.09	16.46	12.94

केरल राज्य सरकार का भूर्तिलिंगम समिति के प्रतिवेदन से सहमत न होना

826. **श्री के० ए० राजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय श्रम मंत्री के भूर्तिलिंगम समिति के प्रतिवेदन के संबंध में एक पत्र के उत्तर में उस प्रतिवेदन के बारे में अपनी "पूर्ण असहमति" व्यक्त की है।

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी मंत्री के पत्र का उत्तर दिया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) केरल राज्य सरकार ने भूतलिंगम रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश के आधार पर अपनी अन्तरिम टिप्पणियां भेजी हैं। इन टिप्पणियों में केरल सरकार द्वारा रिपोर्ट पर असहमति प्रकट की गई है। इस रिपोर्ट की प्रतियां उनको 31-5-1978 को भेजी गई थीं परन्तु अभी तक उनसे और टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारों से अन्तरिम उत्तर मिले हैं जिनमें यह बताया गया है कि रिपोर्ट अभी उनके विचाराधीन है और उनकी टिप्पणियां भिजवा दी जाएंगी।

एयर इंडिया द्वारा भ्रमण किराये को निर्धारित करने का आधार

827. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इण्डिया द्वारा भ्रमण किराये को अभी हाल में किस आधार पर निर्धारित किया गया है;

(ख) इस भ्रमण किराये का निर्धारण करने के बाद, लन्दन-दिल्ली लन्दन इकानमी क्लास का कितना किराया होगा, जबकि भुगतान भारतीय रुपये में किया जाये;

(ग) उपरोक्त यात्रा के लिए किराये की गणना किये जाने का क्या आधार है;

(घ) क्या इस अधिक मूल्य निर्धारण वाले टिकटों के कारण, जो अब तक प्रभावी हैं, एयर इण्डिया को रुपये में भुगतान करने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी हुई है जो अन्ततोगत्वा विदेशी एयरलाइनों के पास जाते हैं और इससे विदेशी मुद्रा की चोरबाजारी के माध्यम से गैर कानूनी रूप से बाहर धन भेजने को बढावा मिला है; और

(ङ) क्या मंत्री महोदय को इस बात का संदेह है कि इसके पीछे कोई उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार है और यदि नहीं तो क्या यह अच्छी तरह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जांच कराई जायेगी कि भ्रष्टाचार न हो?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया के अनुसार, कारोबार में कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई। तथापि, मामले की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है।

आय-कर निर्धारण हेतु दी गई सूचना देने के लिए पुरस्कार

828. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि संसद सदस्यों द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान आयकर निर्धारण हेतु दिये गये सुझाव अथवा सूचनाओं पर उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि नहीं, तो कृषि और वित्त मंत्रालयों द्वारा संसद सदस्यों को इस प्रकार क्यों पुरस्कार दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) :(क) और (ख) ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जब इस बात पर विचार किया गया हो कि किसी संसद सदस्य द्वारा अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुपालन में आय कर-निर्धारण के सम्बन्ध में दिए गए किसी सुझाव अथवा सूचना के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है अथवा नहीं।

आयकर निर्धारणों के सम्बन्ध में किसी सुझाव अथवा सूचना के लिये कृषि तथा सिचाई मंत्रालय द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

सुपर बाजारा नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच

829. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने सरकार से इस संगठन के कार्यकरण की जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी हां ।

(ख) अध्यक्ष को मामला आवश्यक कार्रवाई के लिये सहकारी भण्डार की प्रबन्ध समिति के सम्मुख रखने के लिये कहा गया है। इस बीच कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि सुपर बाजार के कार्यकरण को पुनर्गठित तथा व्यवस्थित करते समय उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा।

वास्तविक प्रयोक्ता लाईसेंसों पर मदों के लिए अनुमति

830. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस देने वाले अधिकारी अप्रैल-मार्च, 1978 में पहली अवधियों के लिये जारी किये गये वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों पर मदों की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त थी;

(ख) क्या वर्तमान उदार आयात नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार पहली अवधियों में जारी किये गये लाइसेंसों पर उन मदों को अनुमति दे रही है जो वर्तमान नीति के परिशिष्ट-5 में दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग)

(क) जी हां, सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर ।

(ख) जी हां, । वही क्रियाविधि अपनाई जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आय-कर की बकाया राशि

831. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को बकाया 873 करोड़ रुपये की आयकर राशि को वसूल करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है;

(ख) कर की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) किन-किन व्यक्तियों पर एक करोड़ रुपये से अधिक आयकर बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जुलाफिकार उल्ला): (क) कर की बकाया की उगाही और वसूली करने के लिये आयकर अधिनियम, 1961 में, अर्थ-दण्ड लगाना, बाकीदार को प्राप्य रकमों का अभिग्रहण करना, चल सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसकी बिक्री करना, अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री करना, आदि जैसे अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया को वसूल करने के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

आयकर की बकाया की वसूली/बकाया को कम करने के कार्य की ओर विशेष ध्यान देने के लिये आयकर अधिकारियों को प्रशासनिक तौर पर कह दिया गया है। अपेक्षाकृत बड़े मामलों में वसूली/घटौती के कार्य की प्रगति पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

(ख) 31-3-1977 को बकाया मांग में से 31-3-1978 की स्थिति के अनुसार 625.98 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ग) जिन कर-निर्धारितियों की ओर 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आयकर की सकल मांग बकाया थी, उनके नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	निर्धारिती का नाम
(1)	(2)
1.	मैसर्स एल्लन बेरी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।
2.	श्री व श्रीमती ए० वी० रीगों।
3.	श्री बी० पी० पटेल।
4.	मैसर्स भारत सेवक समाज।
5.	श्री भानाभाई खाला भाई।
6.	श्री बी० एन० भट्टाचारजी।
7.	मैसर्स ब्रह्मपुत्र टी० कम्पनी।
8.	श्री सी० बी० जे० सेठ और श्री बी० जी० बी० जे० सेठ।
9.	मैसर्स कोल प्राडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड।
10.	मिस्टर ई० जे० क्लीवलैण्ड।
11.	श्री एफ० पी० गायकवाड़।
12.	मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी।
13.	मैसर्स गिरीलाल माखचन्द एण्ड कम्पनी।
14.	श्री हाजी मस्तान मिर्जा।

(1)	(2)

15. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ।
इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड का उत्तराधिकारी ।
16. श्री हरिदास मूंदड़ा ।
17. मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ।
18. मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस (एम०) प्राइवेट लिमिटेड ।
19. मैसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन ।
20. डा० जयन्ती धर्म तेजा ।
21. मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड ।
22. श्री के० एस० अब्दुल्ला ।
23. मैसर्स करोड़ीमल लोहारी वाला ।
24. मैसर्स मधुसूदन गोरधन दास एण्ड कम्पनी ।
25. मेसर्स मोदी पोन लिमिटेड ।
26. श्री मन्नी लाल ।
27. नवाब मुशरफ हुसैन और दूसरे ।
28. श्री पोखर सिंह मार्फत मैसर्स गुरदेव सिंह पोखरसिंह
29. मैसर्स पारसन्स तथा विटमोर (फ्रांस) एस० ए० आर० एल०
30. श्री आर० डालमिया श्री जे० डालमिया और श्री एस० पी० जैन (व्यक्तियों का समूह) ।
31. श्री आर० डालमिया ।
32. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद और फतेहचन्द नरसिंहदास (निर्यात) फर्म
33. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्रा०) लिमिटेड ।
34. स्वर्गीय रामनाथ बाजोरिया ।
35. रजनीकान्त एन० श्रोफ नादियाड ।
36. मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ।
37. मैसर्स कालिन्दी इन्वेस्टमेण्ट लिमिटेड ।
38. श्री रतिलाल डेराभाई नाविक ।

चौकसी समिति की सिफारिशों पर निर्णय

833. **श्री कंवर लाल गुप्त** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी चौकसी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) सरकार इन सब सिफारिशों के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लेगी; और

(घ) उक्त समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चौकसी समिति) की अंतरिम रिपोर्ट के 14 अध्यायों में 177 अभिमत और सिफारिशें सन्निहित हैं। मुख्य सिफारिशें, धर्मार्थ न्यासों, मूल्य क्षय (घिसाई) औद्योगिक इकाइयों के धारा 72 क के अन्तर्गत विलयन, अनियत आय पर कराधान, अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय कर, कर निर्धारण के तरीके, फर्मों के पंजीकरण, अग्रिम कर, मामलों के निपटान, अपीलों, और पुनरीक्षणों, अचल सम्पत्तियों के अभिग्रहण और कर कानूनों की व्याख्या करने और मकान सम्पत्तियों के मूल्यांकन में सक्षम अधिकारियों की बात किए गए उपबन्धों से सम्बन्धित है। चौकसी समिति की अंतरिम रिपोर्ट, दोनों सदनों के पटल पर 10 मई, 1978 को रखी जा चुकी है ।

(ख) तथा (ग) समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को मान लिया गया है और वित्त अधिनियम 1978 के द्वारा लागू कर दिया गया है :--

(i) आयकर अधिनियम की धारा 72 क के प्रयोजनार्थ विलयन की योजनाओं के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अग्रिम विनिर्णय से सम्बन्धित सिफारिश सं० 52.

(ii) अनियत आय की कुछ विशिष्ट श्रेणियों से स्रोत पर कर की कटौती सम्बन्धी सिफारिश सं० 58/इस सिफिारिश को किंचित परिवर्तित रूप में कार्यान्वित किया गया है और इसकी परिधि को धुड़ दौड़ में जीती गई रकमों की आय तक ही सीमित कर दिया गया है/

(iii) अग्रिम कर की स्वैच्छिक अदायगी से सम्बन्धित सिफारिश सं० 102.

अंतरिम रिपोर्ट में की गई दूसरी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। सरकार को स्वीकरणीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये यथा शीघ्र आवश्यक कानून बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(घ) समिति की अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 1978 के अंत तक मिल जाने की संभावना है ।

वाणिज्यक बैंकों द्वारा खड़ी फसलों की जमानत पर ऋण देना।

834. **श्रीमती अहिल्या पी० रागनेकर :** क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंक खड़ी फसलों की जमानत पर ऋण नहीं देते ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या खड़ी कृषि फसलों की जमानत पर ऋण देने की सरकार की कोई योजना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । बैंक खड़ी फसलों के दृष्टिबंधक की जमानत पर अल्पकालिक ऋण केवल उसी दशा में स्वीकार करते हैं जबकि ऋण की राशि 5000/- रुपये से अधिक न हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हाप्स का आयात

835. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान हाप्स की कुल कितनी मात्रा आयात की गई;

(ख) क्या देश के अन्दर ही हाप्स का उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हाप्स के आयात पर प्रतिबन्ध लागने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) 88 मे० टन ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

SMUGGLING OF RUDRAKSHA

836. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether 85 bags of 'rudraksha' were recovered in Varanasi in April last;

(b) whether similar cases of smuggling of rudraksha have come to notice in Prayag, Hardwar, Bombay, Calcutta, Madras etc.; and

(c) if so, what effective steps have been taken by Government to check its smuggling ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) According to reports received by the Government, 85 bags of rudraksha beads were seized by the police at Varanasi on 4th April 1978.

(b) During January, 1977, six seizures of rudraksha beads of a total value of about Rs. 15,447/- were effected by Customs authorities at Varanasi and Hardwar. The seized goods were released in four out of these six cases as the smuggled nature of the goods could not be established. The other two cases are still in the process of adjudication.

(c) There is nothing to indicate that there is any large scale smuggling of rudraksha.

CONSTRUCTION OF A NEW SUPER BAZAR IN TRANS-JAMUNA, DELHI

837. SHRI SARAT KAR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION : be pleased to state :

(a) whether funds have been sanctioned by the Ministry for construction of a new Super Bazar in the trans-Jamuna areas of Gautampuri and Brahmpuri, Shahdara, Delhi-32 and if not, whether Government have not at all paid any attention to this becuase of these being unauthorised colonies: and

(b) whether Government propose to construct a Super Bazar there because of the fact that the area is inhabited predominantly by poor people and labourers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if so, the time by which a Super Bazar will be constructed there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) and (b) So far as trans-Jamuna area is concerned, the Super Bazar, has already requested Delhi Development Authority for a suitable site on reasonable terms for opening a branch of Super Bazar. But so far, no suitable site has been offered by Delhi Development Authority for this purpose. The branches of Super Bazar are already serving resettlement colonies like Mangolpuri, Jahangirpuri, Dakshinpuri, Khichripur, Kalyanpuri and Shakurbasti. Funds for construction of branches of Super Bazar would be provided by Government after the land has been secured and concrete proposals are furnished to Government.

CASES OF LOOTING OF BANKS IN DELHI AND OTHER CITIES

838. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some cases of looting of banks in the capital and other cities have been brought to Government notice;

(b) if so, the names of such cities with the amount looted; and

(c) whether some culprits have been apprehended and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) There have been six cases of looting/robberies in the public sector banks during the months of April, May and June, 1978. The details of these are given below :—

Sl. No.	Date of robbery	Name of Bank	Name of Branch	Amount involved (in Rs.)	No. of persons arrested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3-4-1978	Syndicate Bank	Karol Bagh, New Delhi.	2,93,100·00	No arrests have been made so far.
2.	19-5-1978	Punjab National Bank.	New Market Patna, Station Road.	72,266·01	Some persons have been arrested.
3.	29-5-1978	United Commercial Bank.	Kanpur General Ganj.	2,61,000·00	12 persons have been arresteds
4.	29-5-1978	State Bank of India	Patna, Dak Bungalow Road	55,908·11	11 persons have been arrested
5.	15-6-1978	Punjab National Bank	Kawal, Muzaffar Nagar, U.P.	55,761·00	No arrests have been made so far.
6.	Attempted on 15-6-78	Syndicate Bank	South Delhi R. K. Puram Branch.	No loss, as the robbers failed to find the strong room keys.	No arrests have been made so far.

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को ऋण

839. श्री सुरेन्द्र बिक्रम : क्या **वित्त मंत्री** 3 जून, 1978 को बंगलौर में दिये गये अपने वक्तव्य को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं कि ठोस आधारों पर उचित तथा जरुरतमंद उद्योगों को ऋण देने में वित्तीय संस्थाएं अधिक प्रभावी हों, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह देखने के लिये क्या नई कार्यवाही करेंगे कि लघु उद्योगों को बिना अधिक कठिनाई के आसान शर्तों पर अधिक ऋण उपलब्ध हो ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं को धन देने के लिए बनाई गई सरकार की औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों के व्यापक ढांचे के भीतर कार्य करती हैं।

(2) उद्योगों के प्राथमिकता प्राप्त और जरुरतमंद क्षेत्रों की सहायता करने के लिये वित्तीय संस्थाएं उद्योगों के ऐसे क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित सहायता योजनाएं चला रही हैं।

(1) वित्तीय संस्थाएं निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के लिये रियायती सहायता की योजनाएं चला रही हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी ऐसी परियोजनाओं के लिये रियायती पुनर्वित्त सहायता की योजनाएं चला रहे हैं।

(2) वित्तीय संस्थाएं चुनिंदा उद्योगों (सूती वस्त्र, टेक्सटाइल्स) पटसन, सीमेंट, चीनी और कुछ इंजीनियरी उद्योग की आसान शर्तों पर ऋण दे रही हैं ताकि यह उद्योग अपने संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण, पुनः स्थापन और नवीकरण का बकाया काम कर सकें।

(3) जिन उद्यमकर्ताओं में परियोजना स्थापित करने की क्षमता तथा कौशल तो है किन्तु जिनके पास प्रवर्तक के हिस्से की अपेक्षित अंशदान के लिये पर्याप्त धन नहीं हैं, उनकी सहायता के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने ऐसी परियोजनाओं के लिये मूल पूंजी सहायता योजना आरम्भ की है, और

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा, बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगम को हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मशीनें/चेसिस खरीदने के लिए हुंडियों के पुनर्भुगतान की योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर सहायता प्रदान की जाती है।

(5) सहायता की मंजूरी और वितरण में प्रक्रिया गत विलम्ब कम करने के लिये वित्तीय संस्थाएं हर संभव प्रयत्न करती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा स्वीकृत समान मूल्यांकन प्रथा के अन्तर्गत उद्यमकर्ता केवल एक संस्था को आवेदन दे सकता है और लीड संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

(ख):—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये रियायती पुनर्वित्त सहायता की योजना चला रहा है। जुलाई, 1978 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता एस० एफ० सी०/एस० आई० डी० सी०/ बैंकों द्वारा मंजूर की गई 5 लाख रुपये तक की सावधिक सहायता के लिये स्वतः दे दिये जाने की व्यवस्था है। अप्रैल, 1978 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्रों के विक्रेताओं और क्रेता-उपभोक्ताओं के लिये पुनर्भुगतान की रियायती दरें लागू की हैं। छोटे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों और उनके विकास की ऋण आवश्यकताओं के बारे में कार्रवाई करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में लघु और ग्रामीण उद्योग स्कंध नामक एक पृथक स्कंध की स्थापना की गई है।

2. उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नई मार्जिन मनी योजना बनाई गई है। जिसमें व्यवस्था की गई है कि जिन छोटे एककों में संयंत्र और मशीनों में 1 लाख रुपये से अधिक निवेश नहीं किया गया है उनके लिये मार्जिन मनी की व्यवस्था की जाय। विभिन्न जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों में, छोटे उद्यमकर्ताओं की एक ही स्थान पर एक मुश्त सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS MADE BY ALEXANDER COMMITTEE

840. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have examined the recommendations made by the Committee appointed under the Chairmanship of Dr. P. C. Alexander to reorient the activities of the agencies concerning export and import; and

(b) if so, the recommendations of the Committee which are being implemented

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) The relevant recommendations of the Committee are under consideration by the Government.

VALUE OF RUPEE

841. SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the value of a rupee at present in June, 1978 taking 1951 as the base year; and

(b) whether value of rupee had gone down to only 26 paise in 1974-75 and the extent of increase registered in the value of a rupee after that today and the financial measures being taken to further increase its value ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) The purchasing power of the Rupee, as measured by the Consumer Price Index (1949=100), was 25.97 Paise in 1974-75. It rose to 26.32 Paise in 1975-76 and further to 27.32 Paise in 1976-77 but declined to 25.38 Paise in 1977-78. For May 1978 (the latest month for which the Consumer Price Index is available) it stands at 25.45 Paise In relation to 1951 the purchasing power in May 1978 works out at 26-74 paise.

An increase in prices results in a fall in Purchasing power. It is Government's constant endeavour to protect the interests of consumers through a variety of fiscal, monetary and administrative measures.

LOAN TAKEN FROM BANKS BY JAYANT VITAMINS LTD., RATLAM, MADHYA PRADESH

†842. DR LAXMINARAYAN PAINDEYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received any information that the Jayant Vitamins Limited, Ratlam. Madhya Pradesh which got a huge amount of loan from banks, did not repay the loan and interest thereon in time and committed such other financial irregularities; and

(b) if so, the action taken by Government in this respect ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) It has since been decided that and independent expert selected by the Department of Chemicals and Fertilizers and acceptable to all the financing institutions will go into all the financial affairs of the company. Besides, the company will appoint a finance director to be selected by the Department of Chemicals and Fertilizers, in consultation with the financing institutions.

सरकारी उपक्रमों में मनोरंजन व्यय के बारे में अनुदेश

843. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी उपक्रम वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के उन अनुदेशों का उल्लंघन कर रहे जिसके अन्तर्गत निदेशक बोर्ड को कम्पनी के वार्षिक व्यय में मनोरंजन व्यय के लिये वार्षिक अनुदान निर्धारित करने और उक्त व्यय का विवरण समय-समय पर निदेशक बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति (1977-78) ने "सरकारी उपक्रमों द्वारा सत्कार पर फिजूल और बेकार खर्च" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में ऐसे कुछ सरकारी उद्यमो का हवाला दिया है, जिन्होंने समिति को वास्तविक जानकारी देते समय यह सूचित किया था कि उन्होंने सरकार पर कोई खर्च नहीं किया है अथवा अतिथि-गृहों के अनुरक्षण के खर्चे में अतिथि-गृहों में किये गये अतिथि सत्कारों का खर्चा शामिल है । समिति ने यह टिप्पणी और दी है कि इन उद्यमों ने सरकार के उन अनुदेशों का उल्लंघन किया है जिनके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उपक्रम के वार्षिक बजट में सत्कार व्यय के लिये वार्षिक अनुदान निर्धारित किया जाना चाहिये और ऐसे खर्चे का विवरण समय-समय पर निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

(ख) सभी प्रशासनक मंत्रालयों और सरकारी उद्यमों का ध्यान भारत सरकार के दिनांक 17-10-1967 के मार्ग-निर्देशों के उपबन्धों की ओर पुनः आकर्षित किया गया है । प्रशासनिक मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि सम्बद्ध उद्यमों के सभी वरिष्ठ कर्मचारी सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों का पूरी तरह पालन करें ।

कर अपवंचन के विरुद्ध और अभियान चलाने वाले केन्द्रीय मंडलों का विस्तार

844. श्री यज्ञ दत्त शर्मा: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचन के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने के लिये आयकर संबंधी जांच करने वाले केन्द्रीय मण्डलों में पर्याप्त विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) विस्तृत जांच के लिये निर्धारित मामलों के ऊपर क्षेत्राधिकार का मामला हाल ही गठित केन्द्रीय परिमण्डलों को सौंपने के बारे कार्यवाही की जा रही है ।

शीतल पेय उद्योग से केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की वसूली

845. श्री एस० एस० दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रत्येक शीतल पेय उद्योग से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) शीतल पेय उद्योग से प्राप्त की गई उत्पादन शुल्क की राशि उतनी ही मात्रा में शराब, आइसक्रीम और स्वदेश से वसूल की गई उत्पादन शुल्क की राशि की तुलना में कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) शीतल पेयों से जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वसूल हुआ, वह निम्नानुसार है :—

वर्ष	राजस्व (हजार रु० में)
1974-75	83042
1975-76	85265
1976-77	130683

(ख) शराब अथवा आइसक्रीम पर कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता है। आइसक्रीम पाउडर (जिसका इस्तेमाल आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है) और स्ववैश पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में लगता है। देश में निर्मित शराब पर आबकारी शुल्क लगता है जिसकी दर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है।

जिन शीतल पेयों में कोई अन्य अवयव शामिल नहीं होते हैं उन पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत उत्पादन शुल्क तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में लगाया जाता है। अन्य सभी पेयों पर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत उत्पादन शुल्क तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत लगाता है ; परन्तु किसी निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से एक वित्तीय वर्ष में निकासी की गयी ऐसे पेयों की प्रथम 50 लाख बोतलों पर मूल्यानसार 25 प्रतिशत शुल्क लगता है जिनमें कोला के सत्व नहीं होते।

निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रूपये के कुल मूल्य तक के निकासी किये गये स्ववैशों अथवा शीतल पेयों पर कोई शुल्क नहीं लगता है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी निकासियों का मूल्य 15 लाख रु० से अधिक का नहीं हो।

खराब करेंन्सी नोटों की धोखाधड़ी

846. श्री धर्मवीर वशिष्ठ
श्री वी० एम० सुधीरन
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक की पटना शाखा में खराब करेन्सी नोटों को नये नोटों से बदलने की एक बड़ी धोखाधड़ी का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धोखाधड़ी में स्टाफ के कुछ लोग भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) :(क) से (ग) तक : 14-6-78 को अचानक जांच करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा के करेंसी अधिकारी को, मैले-कुचैले नोटों को नष्ट किए जाने के लिये रखी दो गड्डियों में से सौ रुपये के कुछ नोटों के कम होने का पता चला । नोटों को नष्ट करने के कार्य को रोक दिया गया तथा इस मामले की सूचना राज्य पुलिस को दी गई। नष्ट किए जाने वाले नोटों की ओर आगे जांच किए जाने पर नोटों की अन्य गड्डियों में से और नोटों की कमी का पता चला। नोटों की जाँच का कार्य अभी चल रहा है । पुलिस अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक पटना के एक कर्मचारी को 7 जुलाई, 1978 को हिरासत में ले लिया है। उसे सेवा से निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों से जांच की पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हिरासत में लिए गए तथा इस मामले में उलझे अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

नीलामियों के पश्चात् सोने की कीमत में वृद्धि

847. **श्री वयालार रवि**
श्री पी० वेंकटसुब्बैया
श्री के० कुन्डू } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलामी के पश्चात सोने की कीमत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो सोने की कीमत को नियन्त्रित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) अब तक कुल कितना सोना नीलाम किया जा चुका है और उससे कितनी आय हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी नहीं।

सोने के मूल्यों में दिन प्रतिदिन जो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, उन पर यदि ध्यान न दिया जाए तो सरकार द्वारा सोने की बिक्री शुरू किये जाने के समय से, सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में नोटिस की गई वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद भारत में सोने के मूल्यों में सामान्यतया कमी होने की प्रवृत्ति दिखायी दी है ।

सरकार का इरादा सोने के मूल्य में न तो कमी करने का है और न ही उसे किसी विशेष मूल्य स्तर पर स्थिर करने का है । देश में सोने के तस्कर-आयात को रोकने के लिये किये गये निवारक उपायों के अतिरिक्त, सोने की बिक्री की एक आर्थिक उपाय के रूप में परिकल्पना की गई है । सरकार द्वारा की जाने वाली सोने की बिक्री से देश में बड़े पैमाने पर सोने के तस्कर-आयात को रोकने में सहायता मिली है।

(ग) अन्तिम छः नीलामियों में सोने की 7.92 मीटरी टन की कुल मात्रा को 50.75 करोड़ रुपये की रकम के लिये बेचा गया है ।

'सैलिंग साऊथ टू इन्टरनैशनल टूरिस्ट्स"

848. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1978 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" म "सैलिंग साउथ टू इन्टरनेशनल टूरिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार दक्षिण भारत की पर्यटकों के लिये आकर्षण सम्भावनाओं के प्रति जागरूक है। इन आकर्षण सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए ही पर्यटन विभाग के विदेशों में भारत के लिये पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में यातायात के ढांचे को विविधरूपता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्यटक यातायात का रुख बदल कर दक्षिण भारत सहित ऐसे क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सके जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस लिये भारत सरकार के विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालय दक्षिण भारत के सभी प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को पर्यटन के प्रोत्साहन की दृष्टि से उचित महत्व दे रहे हैं।

नीलामी वाले दिन से पूर्व संध्या को सोने का मूल्य

849. **श्री आर० वेंकटारमन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई पहली, दूसरी और तीसरी सोने की नीलामियों की पूर्व संध्या को प्रति ग्राम सोने का बाजार भाव क्या-क्या था;

(ख) प्रत्येक नीलामी में प्रति ग्राम सोने का क्या मूल्य मिला; और

(ग) नीलमी के बाद प्रत्यक सप्ताह में प्रति ग्राम सोने का बाज़ार भाव क्या रहा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 3, 16 और 31 मई, 1978 को जब सोने की पहली, दूसरी और तीसरी नीलामी की गई थी, बम्बई में सोने का बाजार मूल्य क्रमश: 69 रुपये, 70 रुपये और 66 रुपये प्रति ग्राम था ।

(ख) सोने की प्रथम तीन नीलामियों में प्रति ग्राम के लिये जो औसत मूल्य प्राप्त हुए वे लगभग क्रमश: 63. 3 रुपये 63. 5 रुपये और 63. 6 रुपये हैं।

(ग) सोने की पहली, दूसरी और तीसरी नीलामियों के बाद के सप्ताहों में सोने का औसत बाजार मूल्य क्रमश: 69. 5 रुपये, 69. 5 रुपये और 68. 4 रुपये प्रति ग्राम था।

आयात व्यापार नियंत्रण आदेश में संशोधन करने का प्रस्ताव

850. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश में इस प्रकार के संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है कि धारक के लिये लाइसेंस का उपयोग अनिवार्य हो जाये ;

(ख) गत तीन वर्षों में जारी किये गये लाइसेंसों का धारकों द्वारा किस हद तक उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या उपयोग न करने पर 3 प्रतिशत दण्ड लगाने का सरकार का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी नहीं ।

(ख) आयात के आंकड़े लाइसेंसवार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसी कोई प्रस्तापना नहीं है।

PAYMENT OF INCOME-TAX ON AMOUNTS RECEIVED AS INCENTIVE FOR STERILIZATION OPERATION

SHRI MRITUNJAY PRASAD : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 268 on the 30th June, 1977 regarding circulars for sterilization issued by D.M.C., D.E.S.U., etc. and state :

(b) whether Smt. Rukhsana Sultana, Smt. K. Radharaman, Shri Jagdish Tytler, Shri Arjun Dass, Shri Jag Mohan (former Vice-Chairman, D.D.A.) Shri Harcharan Singh Joshi and Lalit Makan showed the sums of Rs. 84,210, Rs. 16,060, Rs. 3,170, Rs. 7,080, Rs. 4,370, Rs. 12,030 and Rs. 28,890 respectively, received by them as incentive for motivating people for sterilisaion operations, in their income and whether income-tax was charged on these amounts; and if so, whether the same was recovered at ordinary rates or some concessions were allowed and tax was levied only on remaining amounts; full details in this regard; and

(b) the total income of these persons the year they were given the above amounts and the amount of income-tax assessed as against the amount paid by them; full details in respect of each person separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : The information in respect of different persons relating to parts (a) and (b) is as under :—

Smt. Rukshana Sultana

(a) In the return of income filed by Smt. Rukhsana Sultana for the assessment year 1977-78, which appears to be the relevant year, no amount is shown to have been received by way of incentive for motivating sterilization operations. The matter will be examined at the time of assessment which is pending :

(b)	(*i*) Income returned for the Assessment year 1977-78	Rs. 15,000
	(*ii*) Income assessed for the assessment year 1977-78	Assessment pending
	(*iii*) Tax paid in respect of incentive amount	Does not arise in view of answer at (a) above.

Shri K. Radharaman

(a) Returns have been filed upto the assessment year 1976-77 and in these returns, no income has been shown by way of incentive from sterilization operations. Notice u/s. 148 has been issued to Shri K. Radharaman calling for return for the assessment year 1977-78 which appears to be the year relevant for assessing the income from incentive from sterilization operations. The matter will be examined at the time of assessment.

(b) In view of the reply at (a) above, no further information is available.

Shri Jagdish Tytler

(a) Shri Jagdish Tytler has not declared any income from incentive for motivating sterilization operations in his return for the assessment year 1977-78 which appears to be the relevant year. The matter will be examined at the time of assessment which is pending

(b) (*i*) Total income returned for the assessment year 1977-78	Rs. 18,190
(*ii*) Total income assessed for the assessment year 1977-78	Assessment is ending
(*iii*) Tax on amount received as incentive	In view of reply of (a) above. this is not applicable.

Shri Arjun Dass

(a) Shri Arjun Dass has not shown any income from incentive for motivating sterilization operations in his return filed for the assessment year 1977-78 which appears to be the relevant year for this purpose. The matter will be examined at the time of assessment which is pending.

(b) (*i*) Total income returned for the assessment year 1977-78	Rs. 14,110/-
(*ii*) Total income assessed for the assessment year 1977-78	Assessment is pending
(*iii*) Tax paid on amount received as incentive	Does not arise in view of reply at (a) above.

Shri Jag Mohan

(a) Shri Jag Mohan has not shown any income from incentive for motivating sterilization operations in his return for the assessment year 1977-78 which appears to be the relevant year for this purpose. The matter will be examined at the time of assessment, which is pending.

(b) (*i*) Total income returned for assessment year 1977-78	Rs. 37,330/-
(*ii*) Total in come assessed for assessment year 1977-78	Assessment is pending.
(*iii*) Tax paid on amounts received as incentive	Does not arise in view of reply at (a) above.

Shri Harcharan Singh Joshi

Shri Harcharan Singh Joshi does not appear to be an existing assessee for the purpose of income-tax.

Shri Lalit Makan

(a) Shri Makan has not shown any income from incentives for motivating sterilization operation for the assessment year 1977-78 which appears to be relevant year for this purpose. The matter will be examined at the time of assessment which is pending.

(b) (*i*) Total income returned for the assessment year 1977-78	Rs. 4,000/-
(*ii*) Total income assessed for assessment year 1977-78	Assessment is pending.
(*iii*) Tax paid on amount received by way of incentive	Foes not arise in view of reply at (a) above.

उपभोक्ता सहकारी समितियां

852. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसाधारण में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये वर्ष 1977-78 में और 15 जून, 1978 तक कितनी उपभोक्ता समितियां बनाई गईं ;

(ख) किस प्रकार की आवश्यक वस्तुयें, इन समितियों, सहकारी समितियों तथा उन उचित मूल्य की दुकानों को थोक-बिक्री आधार पर दी जाती है जो मार्च, 1977 से पहले विद्यमान थीं; और

(ग) ऐसी समितियों और उचित मूल्य की दुकानों को वितरण के लिए दी गई वस्तुओं का लगभग कुल मूल्य क्या था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सहकारी वर्ष 1976-77 के लिये मिली सूचना से पता चलता है कि जून, 1977 के अन्त तक 15,873 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां और 471 थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियां थीं। इनके अलावा 14 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय संघ थे। वर्ष 1977-78 में बनाई गई सहकारी सोसायटियों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियों (परिसंघों सहित) द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों को थोक में सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं में अनाज, लेवी वाली चीनी और गेहूं-उत्पादन जैसी नियंत्रित वस्तुएं और नियंत्रित कपड़ा शामिल हैं तथा अनियंत्रित वस्तुओं में इनमें सामान्यतः दालें, मसाले, वस्त्र (अनियंत्रित), घरेलू वस्तुएं, साबुन तथा प्रसाधन सामग्री, वनस्पति, टायर तथा ट्यूबें, शिशु-आहार, चाय, घड़ियां, तथा सीमा पर जब्त की गई वस्तुएं (जब भी सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं) शामिल हैं ।

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान प्राथमिक सोसायटियों और फुटकर बिक्री सोसायटियों को थोक में सप्लाई की गई वस्तुओं, जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है, की कुल लागत लगभग 20 करोड़ रुपये थी ।

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

853. **श्री पी० जी० भावलंकर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां ।

(ख) कांडला मुक्त व्यापार ज़ोन तथा कांडला पत्तन के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रसंगवश, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री की भारत के प्रथम मुक्त व्यापार ज़ोन की यह पहली यात्रा थी।

(ग) कांडला मुक्त व्यापार ज़ोन तथा कांडला पत्तन के तेजी से विकास हेतु अध्ययन करने तथा उपाय प्रतिपादित करने के लिये सरकार ने दो उच्चस्तरीय समितियों की स्थापना की है ।

हल्दी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

854. **श्री भाऊ सहिब थोरट :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में हल्दी की अचानक कीमत ऊंची हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उनका विचार इस वस्तु का निर्यात बन्द किये जाने के बारे में सभा को आश्वासन देने का है ?

वणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) महाराष्ट्र में हल्दी के मूल्यों में वृद्धि देश में 1976-77 में हल्दी के उत्पादन में कमी होने, 1977-78 के शुरू में पिछला स्टाक कम होने, उत्तर व पूर्व राज्यों से अधिक मांग किए जाने तथा मौसम सम्बन्धी कारणों से हुई है।

(ख) सरकार ने पहले ही 4 जनवरी, 1978 से "एलेप्पी फिंगर" किस्म की हल्दी को छोड़कर, जिसके लिये निर्धारित मात्रा में निर्यात करने की छूट है, हल्दी के निर्यात पर रोक लगा दी है ।

इंडियन एयरलाइन्स की एयर बसों और बोइंग इजनों की भारत में मरम्मत आदि किया जाना

855. **श्री के० एन० दास० गुप्ता :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने बोइंग 737 के इंजनों और एयर बसों की मरम्मत आदि करने की अपनी व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में निर्णय किया है कि यह अतिरिक्त कार्यभार किस पर डाला जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता बेस वर्ष 1967 तक इंडियन एयरलाइन्स का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था;

(घ) क्या यह सच है कि एयरलाइन्स के बेड़े में नये विमान शामिल करने के कारण बढ़ते हुए कार्यभार को पूरा करने के लिये कलकत्ता बेस में साधन तथा कर्मचारियों के होते हुए भी कलकत्ता में शॉप क्षमताओं को पूरा करने के लिये कार्यभार धीरे-धीरे कम होता गया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि कलकत्ता बेस में कार्यभार के कम होने की प्रक्रिया से उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है जबकि वहां मेधावी, प्रतिभावान और तकनीकी दक्ष कर्मचारी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अभी, नहीं।

(ग) जी, हां । एफ-27 विमानों के लिये।

(घ) इस में कोई सन्देह नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस के एफ- 27 विमानों में कमी होने से, कलकत्ता में कार्य-भार कम हो गया। तथापि, इसके परिणाम स्वरुप फालतू बची क्षमता का उपयोग अन्य क्षेत्रों से कार्य स्थानान्तरित करके किया गया। अन्य प्रकार के विमानों का कार्यभार भी कलकत्ता को आवंटित किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। केवल अतिरिक्त क्षमता का उपयोग ही नहीं किया गया है, अपितु कर्मचारियों तथा सुविधाओं में और वृद्धि भी की गयी है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद में कमी

856. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बीड़ी तम्बाकू की खरीद के आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, फेडरेशन लि० से कहा गया है कि वह बीड़ी के तम्बाकू सहित 25,000 मे० टन गैर-वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करे।

FAIR PRICE FOR LAC

857. SHRI LAXMANRAO MANKAR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether in the Bhandara and Chanda districts in Maharashtra and lac manufacturning tribal areas in the districts of Madhya Pradesh, the people engaged in this work do not get fair price for the lac as a result of which the lac production is declining there; and

(b) the measures proposed to be taken by Government to ensure fair price for the lac ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) The people engaged in lac cultivation in Bhandara and Chanda districts of Maharashtra and lac producing tribal areas of Madhya Pradesh reportedly get lower prices for their produce as compared to Bihar and West Bengal. There is no reliable information about declining trend in production of lac in these areas.

(b) Government proposes to set up Lac Marketing Board to control and regulate the production, marketing, export and domestic consumption of lac for which all concerned interests are being consulted. Procurement of lac from Madhya Pradesh under the Buffer Stock Scheme is also being negotiated by S.T.C.

DEVELOPMENT OF VAISHALI IN BIHAR FOR TOURIST ATTRACTION

858. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Vaishali is an important place from historical point of view;

(b) if so, the steps being taken by Government for development of Vaishali and also for making this place worth-seeing; and

(c) whether Government have conducted survey to ascertain the number of places of tourist attraction in Bihar ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir

(b) The State Government has drawn up a scheme for the provision of a cafetaria, drinking water and toilet facilities at Vaishali.

It is also intended to undertake the work of landscaping of Vaishali at a later stage.

(c) On the basis of marketing potential it has been decided to develop Rajgir, Nalanda and Bodhgala which are the places associated with the life of Lord Buddha. The Town and Country Planning Organisation have, at the instance of the Central Departmental of Tourism, completed the Master Plan (land-use plan) of Rajgir and Nalanda and the work on Bodhgaya is underway. The provision of facilities at other places which are important from the point of view of domestic tourism, is within the purview of the State Sector.

'विक्रय तथा 'क्रय' शब्दावली का उपलब्ध करने हेतु संविधान में संशोधन

859. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के संदर्भ में विक्रय तथा क्रय, शब्दावली का उपबन्ध करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये एक संशोधन विधेयक कब तक संसद के सम्मुख लाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) विधि आयोग ने अपनी 61वीं रिपोर्ट में माल की बिक्री पर कर लगाने के लिये राज्यों के अधिकारों और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित कुछ समस्याओं की जांच की है, और अन्य बातों के साथ-साथ "माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाने की विस्तार सीमा को बढ़ाने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने के बारे में विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

आयोग द्वारा जिन संवैधानिक संशोधनों के बारे में सिफारिश की गई उन्हें तैयार किया जा रहा है । एक संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया जायेगा और उसे यथा समय संसद के समक्ष लाया जायेगा।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

860. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है, कि सरकारी उपक्रमों के अनेक अधिकारी अक्सर विदेशों के दौरे पर जाते रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त अधिकारियों के बारे में पता करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्तमंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों विषयक समिति न अपनी रिपोर्ट सं० 366 में टिप्पणी की है कि सरकारी उद्यमों के अनेक कार्यकारी अधिकारी अक्सर विदेशों में दौरे पर जाते रहे हैं । सरकार, समिति की रिपोर्ट की इस दृष्टि से जांच कर रही है कि यदि आवश्यक हो, तो इस विषय में वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की जाये। सरकार यह मानती है कि सरकारी उपद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपना कारोबार चलाने के लिये विदेशों में जाना आवश्यक हो सकता है, हालांकि विदेशी दौरों की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिये।

लक्षद्वीप का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

861. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण स्थित समुद्री द्वीप का मनोरंजन स्थल के रूप में विकास करके लक्षद्वीप का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की सरकार की कौन-कौन सी योजनायें हैं;

(ख) क्या लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिये राजसहायता देने हेतु केन्द्र शासित इस क्षेत्र के प्रशासक से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) लक्षद्वीप जाने के लिये वहां लगी प्रवेश पाबन्दियों में ढील दे दिये जाने से, इन द्वीप समूहों में पर्यटक सुविधाओं के विकास की शुरूआत कर दी गयी है। लक्षद्वीप समूहों में से एक द्वीप-समूह बंगारम में पर्यटक कुटीरें (32 शय्याओं वाली) उपलब्ध करा दी गयी हैं। उनकी 1978-79 के वार्षिक योजना में दो स्कीमें सम्मिलित है अर्थात् :

	स्कीम	प्राक्कलन
1.	पर्यटन विंग की स्थापना	25,000/- रुपये
2.	कावारत्ती में मौजूदा पर्यटक बंगले का नवीकरण, विस्तार तथा रख-रखाव	20,000/- जरुपये
		45,000/- रुपये

बंबई मरकेन्टाइल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा फर्मों/व्यक्तियों को दी गयी धनराशि ।

862. **श्री श्याम सुन्दर गुप्ता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको बम्बई मरकेन्टाइल कोआपरेटिव बैंक द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष वार धनराशि दी गयी है,

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि दी गयी; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बैंक के ऋण खाते इसकी 21 शाखाओं में फैले हुए हैं । ऋणों का ब्यौरा जो कुल राशि के आधार पर उपलब्ध है नीचे दिया गया है ।

लाख रुपयों म

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	बकाया राशि
30-6-76	9288	1046.17
30-6-77	11,717	1290.37
26-5-78 की स्थिति के अनुसार	15,876	1434.33

(ग) रिजर्व बैंक, बैंककारी, विनियम, अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रवृत्त) के अधीन मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक सहित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋणों को विनियमित करने वाले निर्देश जारी करता रहा है । रिजर्व बैंक के ध्यान में बम्बई मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा इन निर्देशों के गम्भीर उल्लंघन का कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसका निवारण नहीं हुआ हो ।

विदेशों से आने वाले भारतियों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान टिकट जारी करना

863. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कानूनी प्रतिपूर्ति भुगतानों के विरुद्ध विदेशों से भारत आने वाले भारतीयों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा टिकट जारी किये जाने का उनके मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन यात्रियों का क्या ब्यौरा है जिनके बारे में पता लगाया गया और कानून के अन्तर्गत जिन्हें दण्ड दिया गया और इस बारे में अवैध पद्धति को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) 26 मई, 1978 तथा 16 जून, 1978 को प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे मामले पकड़े जिनमें ऐसा लगता था कि विदेश जाने वाले नौ भारतीय यात्रियों ने, जिनके पास ऐसे टिकट थे जो विदेश में जाने के बाद अदायगी करने की एवज में जारी किये गये थे, वास्तव में ऐसे स्थानीय अनाधिकृत यात्रा एजेन्टों को भारतीय रुपये में अदायगी कर दी थी जिन्होंने उनके लिये टिकट की व्यवस्था की थी । ऐसी टिकटों को जारी करने वाले यात्रा एजेन्टों को भी गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। उक्त यात्रियों में से छः यात्री ऐसे भी पाये गये जो अपने साथ 1,499/- अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा ले जा रहे थे। इसे पकड़ लिया गया और न्याय निर्णय की कार्यवाही के परिणामतः जब्त कर लिया गया और उन पर कुल 800/- रु० का अर्थ-दण्ड लगाया गया। टिकटों के बारे में आगे जांच जारी है।

PROVISION FOR CONSTRUCTION OF JANATA LODGES/HOTELS

864. SHRI UGRASEN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state : The names of the major tourist centres in the country in respect of which provision has been made during the current financial year for the construction of Janata Lodges/Hotels ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : The Government has approved the construction of a 1250-bed Janata Hotel (Ashoka Yatri Niwas) by I.T.D.C. in New Delhi at an estimated cost of Rs. 300 lakhs. A provision of Rs. 50 lakhs to meet the expenses on its construction during 1978-79 has been sought by the Corporation.

सोने की बिक्री के लिए वैकल्पिक योजना

865. **श्री सौगत राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के माध्यम से सोना बेचने के बारे में सरकारी योजनाएं स्वर्णकारों के उसमें भाग न लेने के कारण असफल हो गई हैं ;

(ख) क्या सोना बेचने के बारे में किसी वैकल्पिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं,

पहली तीन नीलामियों में केवल व्यापारियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी। तथापि, स्वर्णकारों की ऐसी सहकारी समितियां जिनके पास स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत वैध लाइसेंस रहे हों, इन नीलामियों में बोली लगा सकती थीं। चौथी नीलामी से आगे की नीलामियों के लिए प्रमाणित स्वर्णकारों को, जिनकी संख्या पाँच से अधिक नहीं हो, इन नीलामियों में 500 ग्राम से अनधिक सोने की मात्रा के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने की अनुमति दी गई है और तब से ही वे नीलामियों में भाग ले रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों की अवधि के बीच में, देश में चुने हुए केन्द्रों पर स्वर्णकारों को निर्धारित मूल्य पर सोने की बिक्री करने के संबंध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स आटो पिन्स, फरीदाबाद का आर्थिक अपराधों में शामिल होना

866. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स आटो पिन्स, फरीदाबाद के उच्च अधिकारी अनेक आर्थिक अपराधों के मामले में शामिल हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों ने अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण कर अपवंचन करके तथा अन्य अवैध तरीकों से आपातकाल के दौरान काफी धन एकत्र किया ; और

(ग) क्या बार-बार शिकायतों के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिये एक समान मूल्य

867. **श्रीमती मृगणाल गोरे :**

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश भर में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिये एक समान मूल्यों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना को कब से लागू किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

EXPENDITURE ON FOREIGN TOURS OF GOVERNMENT AND PRIVATE INDIVIDUALS

868. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number of Government and private individuals sent abroad at Government expense during the period from April, 1977 to June, 1978 and the total expenditure incurred on their journey ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

कर की बकाया राशि

869. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1974-75 की अवधि में 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए कर की सरल और शुद्ध बकाया राशियां सबसे अधिक थीं ;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रथम दस व्यक्तियों/फर्मों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर कर की कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) कर की इतनी बड़ी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफीकार उल्ला) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिए अनुसार थे :—

रकम करोड़ रुपयों में

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	बकाया सकल मांग	शुद्ध बकाया
31-12-1974	802.06	576.42
31-12-1975	926.50	654.52
31-12-1976	998.27	698.90
31-12-1977	1004.01	720.62

कर की बकाया निरंतर चलती रहने वाली चीज है । यद्यपि वित्तीय वर्ष के शुरू में बकाया कर की वर्ष के अन्त तक काफी हद तक वसूली/घटौती की जाती है, तथापि बकाया की रकम फिर बढ़ जाती है जो मुख्यत: इस कारण है कि वर्ष के दौरान जारी की गई नई कर-मांग की पूरी वसूली नहीं होती है जो वर्ष के अन्त में कर की नई बकाया बन जाती है। 1-4-1977 से 31-12-1977 तक के दौरान और तदनुरूप इसके पूर्ववर्ती तीनों वर्षों की तदनुरूपी अवधि के आंकड़े नीचे दिए अनुसार थे :—

अवधि	जारी की गई मांग
	(करोड़ रुपयों में)
1-4-1974 से 31-12-1974 तक	475.75
1-4-1975 से 31-12-1975 तक	668.95
1-4-1976 से 31-12-1976 तक	841.44
1-4-1977 से 31-12-1977 तक	1007.22

उपर्युक्त विवरण को देखने से पता चलता है कि 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार बकाया में वृद्धि का मुख्य कारण, 1-4-1977 से 31-12-1977 तक की अवधि में जारी की गई मांग में पर्याप्त वृद्धि का होना है।

(ग) जिन प्रथम 10 व्यक्तियों/फर्मों के मामले में, 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार अधिकतम बकाया थी, उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(घ) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा बकाया करों की वसूली के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(क) कर की विलम्बित अदायगी के लिए ब्याज लगाना ;

(ख) कर की गैर-अदायगी के लिए अर्थ दण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदार को प्राप्य रकमों का अभिग्रहण ; और

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण और बिक्री।

जहां तक प्रशासन का संबंध है, आयकर अधिकारियों को आयकर की बकाया की वसूली/घटौती की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कह दिया गया है । अपेक्षाकृत बड़े मामलों में वसूली/घटौती की प्रगति पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

	विवरण		
क्र० सं०	कर निर्धारिती का नाम	सकल मांग	शुद्ध बकाया
		(लाख रुपयों में)	
1.	श्री आर० डालमिया, श्री जे० डालमिया और श्री एस० पी० जैन (व्यक्तियों की संस्था)	845.69	845.69
2.	मैसर्स मोदीपोन लि० . . .	681.86	592.76
3.	मैसस निरलोन सिंथेटिक फाइबर्स एण्ड केमिकल्स लि० .	675.59	—
4.	श्री हरिदास मंदड़ा . .	603.08	603.08
5.	मैसर्स करमचंद प्रेमचन्द प्राइवेट लि०	602.50	77.29
6.	डा० जयन्ती धर्मतेजा	487.10	487.10
7.	मैसर्स ग्रिंडले बैंक लि०	450.57	—
8.	श्री एफ० पी० गायकवाड़ . .	414.03	—
9.	श्री आर० डालमिया . .	335.38	293.80
10.	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि० . .	334.14	—

सकल मांग और शुद्ध बकाया

सकल मांग किसी भी समय नियमित कर-निर्धारण करने पर जारी की गई कर की मांग की उस रकम को दर्शाती है जो उस समय तक अदा नहीं की गई होती है। 'शुद्ध बकाया', कुल मिला कर, किसी भी समय कानूनी तौर पर वसूल की जाने योग्य मांगें होती हैं जो सकल मांग की रकम में से निम्नलिखित चार प्रकार की रकमें घटा कर निकाली जाती हैं :—

(i) देय नहीं बनी रकमें।

(ii) (अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर अथवा स्रोत पर काटे गए कर के जरिए) पहले ही अदा किए गए कर, जिनके सम्बन्ध में अदा कर दिए जाने का दावा किया गया है लेकिन जिनका सत्यापन/समायोजन किया जाना है।

(iii) वे रकमें, जिनके सम्बन्ध में न्यायालयों और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थगन आदेश मंजूर किया गया है।

(iv) मंजूर की गई किस्तों में दी जाने वाली रकमें।

मै० पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्कस, लखनऊ के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

870. **डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारम्भ की गई जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि जांच अब तक पूरी नहीं हुई है, तो विलम्ब के क्या कारण है और उसके पूरे होने की सम्भावित तारीख क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त कम्पनी के मालिकों, भागीदारों, निदेशकों और उन अन्य व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके विरूद्ध जांच की गई है अथवा जांच चल रही है और उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिनके साथ ये व्यक्ति सम्बद्ध हैं।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) मैसर्स पैरामाऊंट इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ के विरूद्ध मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अभी जारी है।

(ख) जांच प्रयोजनों के लिए उद्योग, आयकर, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जैसे विभिन्न राज्य व केन्द्रीय विभागों और खनिज तथा धातु व्यापार निगम, बैंकों, पोर्टट्रस्ट जैसे सरकारी उपक्रमों से अनेक कागजात की जरूरत है। इनको इकट्ठा करने और उनके अवलोकन में काफी समय लगता है। जांच के शीघ्र ही पूरी होने की आशा है ।

(ग) चूंकि जांच अभी चल रही है, अतः सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मो के नाम बताना संभव नहीं है ।

भारत में पर्यटन का विकास

872. **श्री वित्त बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षो के दौरान (वर्ष-वार) भारतीय पर्यटन के विस्तार की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) आगामी वर्षों में इसके लक्ष्य क्या हैं ; और

(घ) पूरे देश में पर्यटन के लिये आन्तरिक संरचनात्मक विकास हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की दिशा में उपलब्ध प्रगति नीचे दी गयी है :—

वर्ष	आने वाले पर्यटक	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	(संख्या)	
1973	4,09,895	19.5
1974 . . .	4,23,161	3.2
1975	4,65,275	10.0
1976	5,33,951	14.8
1977	6,40,422	19.9

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय नीचे दी गयी है :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1973	71.1
1974	93.2
1975	104.2
1976	225.0
1977	283.0

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1978 के अंत तक 8 लाख पर्यटकों का तथा 1980 तक 10 लाख पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) देश भर में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अंतर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए एक समन्वित तथा समेकित योजना तैयार करने के लिए पर्यटन की संभावनाओं के सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है। उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अंतर्गत, भारत पर्यटन विकास निगम का 1978-83 की छठी योजनावधि के दौरान 1309 कमरों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह निजी क्षेत्र द्वारा और अधिक होटल स्थापित करने के प्रयत्नों के अलावा है।

अंतर्देशीय पर्यटकों तथा सीमित आय वाले (budget minded) विदेशी पर्यटकों के लिए किफायती आवास की व्यवस्था करने के लिए, नई दिल्ली में एक जनता होटल के निर्माण के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरों में ऐसे ही होटल, और एक सर्वेक्षण करने के बाद तथा निधियां उपलब्ध होने की दशा में निर्धारित किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर छोटे होटल बनाने का भी प्रस्ताव है।

पर्यटन विभाग पर्यटक कारों/कोचों के रूप में परिचालित किये जाने वाले वाहनों की खरीद के लिए परिवहन परिचालकों को ऋण भी देता है तथा पर्यटक कारों के रूप में परिचालन करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बड़ी कारों का आवंटन भी करता है। इंडियन एयरलाइंस को दो और "एयरबसें" प्राप्त हो गयी हैं—जोकि बोइंग 737 विमानों को अधिक भीड़ वाले दूसरे क्षेत्रों पर—जिनमें ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जो पर्यटकों में लोकप्रिय हैं—परिचालन करने के लिए मुक्त करेंगी।

उपरोक्त उपायों का प्रयोजन पर्यटकों की बढ़ती हुई आवास तथा विमान एवं स्थल परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यटकीय आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा हड़ताल के कारण जन दिवसों की हानि

874. श्री लखन लाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने मई-जून, 1978 में कलम छोड़ो, (पेन डाउन) हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी हड़तालों में कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) जिन लोगों ने हड़ताल की थी उन के विरूद्ध क्या कार्यवाही (अनुशासनात्मक) की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं, । मई-जून 1978 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की कलम-छोड़ो (पैनडाउन) हड़ताल की कोई सूचना नहीं मिली है । अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बहुत से अधिकारियों ने 12 जून, 1978 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) विषयक पिल्लै समिति की सिफारिशों को लागू करने के विरूद्ध सांकेतिक हडताल की थी।

(ख) 12 जून, 1978 को हुई हड़ताल के दौरान कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इंडियन बैंक्स एसोसियेशन ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 12 जून, 1978 को हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के वेतन से वेतन के अनुपात के अनुसार कटौती कर लें।

पश्चिम बंगाल का यात्रा के लिए विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना

875. श्री राजकृष्ण डॉन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल में विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए पर्यटक विभाग द्वारा किन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया गया है क्योंकि राज्य के दार्जिलिंग तथा कालिमपौंग आदि जैसे उत्तरी क्षेत्रों में पर्यटकों पर प्रतिबंध के कारण पश्चिम बंगाल सरकार को राजस्व की काफी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क)और(ख) दार्जिलिंग कूच बिहार, जलपाइगुड़ी, मालदा तथा पश्चिमी दीनाजपुर के पांच उत्तरी जिलों को छोड़कर, जिन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, पश्चिमी बंगाल की यात्रा करने पर विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है । इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा करने की इच्छुक विदेशियों को सरकार से परमिट लेना होता है। तथापि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ छूट दी गयी हैं और विदेशी पर्यटकों को जलदापाड़ा तथा दार्जीलिंग में 7 दिन तक ठहरने के लिए अब उदारतापूर्वक परमिट दिए जाते हैं। ये परमिट विदेश स्थित भारतीय दूतावासों या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित विदेशियों के लिए क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों

द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्यटकों को, जोकि विमान द्वारा बागडोगरा की वापसी यात्रा करते हैं, दार्जीलिंग नगर तथा टाइगर हिल, धूम, कुरसियोंग नगर, संडकफू, फालुत आदि जैसे निकटवर्ती स्थानों की पर्यटन के प्रयोजनों के लिए बिना परमिट के 15 दिन तक की यात्रा करने की अनुमति है।

DIRECT FLIGHT FROM NEW DELHI TO JABALPUR

876. SHRI SHARAD YADAV : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is direct flight from New Delhi to Jabalpur; and

(b) if not, whether Government are considering any proposal in this regard and the time by which this will be done ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir. There is a cropping service—Delhi, Gwalior—Bhopal, Jabalpur —Raipur and back.

(b) Indian Airlines have no such proposal at present.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियत करने के सिद्धान्त

877. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियत करने के व्यापक सिद्धान्त तय करने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) व (ख) सरकार ने "आवश्यक वस्तुओं" के मूल्य नियत करने के व्यापक सिद्धान्त तय करने की योजना जारी नहीं की है।

हथकरघों के बने सामान के निर्यात के लिए नकद प्रोत्साहन में कमी

878. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघों के बने सामान के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन में भारी कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तामिलनाडू हथकरघा उद्योग और व्यापार एसोसियेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इसका हथकरघा उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) जहां तक रेशमी, ऊनी, सिंथैटिक तथा रेयन हथकरघा निर्यातों का संबंध

है, नकद मुआवजा इमदाद संबंधी उद्योग द्वारा संचालित निधि में सरकार की अंशदान दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

जहां तक सूती हथकरघा निर्यातों का संबंध है, नकद मुआवजा इमदाद संबंधी उद्योग द्वारा संचालित निधि में सरकार द्वारा 1977-78 में एफ० ओ० बी० मूल्य का 5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक अंशदान दिया गया। 1978-79 के दौरान ऐसे अंशदान एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत से एफ० ओ० बी० मूल्य के 12.5 प्रतिशत तक किये गये।

(ग) तथा (घ) सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। हां, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद को तमिलनाडु राज्य हथकरघा उद्योग तथा व्यापार एसोसियेशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

बैंक अधिकारियों द्वारा हड़ताल

879. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में बैंक अधिकारियों ने 12 जून, 1978 को हड़ताल की थी और यदि हां, तो किस-किस बैंक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था;

(ख) उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनके साथ कोई बातचीत की है और हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। 12 जून, 1978 को सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों के बहुत से अधिकारियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकीकरण विषयक पिल्लै समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के विरोध और अधिकारियों के महासंघ के साथ एक करार के माध्यम से समझौते की मांग के समर्थन में एक सांकेतिक हड़ताल की थी। अन्य मांगों में मंहगाई भत्ते पर पुनर्विचार, मकान किराया भत्ता फार्मूला, उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी क्षेत्र में स्थानान्तरण पर नगर पूर्ति भत्ते का संरक्षण, पदोन्नति नीति, वर्गीकरण आदि की मांगें भी शामिल थीं।

सरकार ने सम्बद्ध पक्षों के साथ परामर्श किया था और यह तय हुआ था कि इंडियन बैंक्स एसोसियेशन, बैंक अधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा उसे प्रस्तुत की गयी विशिष्ट मुद्दों की सूची पर, बैंक अधिकारियों के प्रति संघों के अखिल भारतीय महासंघ के प्रतिनिधियों से और आगे वार्ता करेगा। महासंघ यह आंदोलन वापस लैने के लिए तैयार हो गया।

DEVELOPMENT OF ORCHHA IN TIKAMGARH DISTRICT FOR DEVELOPMENT OF TOURISM

880. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the details of decisions taken in the meeting held under his Chairmanship on the 16th April, 1978 convened by the Orchha Special Development Authority at Orchha in Tikamgarh district of Madhya Pradesh in connection with the development of tourism in Orchha; and

(b) action being taken to take up the works in respect of which decisions were taken ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) At the meeting convened under the Chairmanship of Minister of Tourism and Civil Aviation on the 16th April, 1978 it was decided that a comprehensive development plan of the area should be prepared for implementation. To begin with it is proposed to prepare a Master Plan (land use plan) of Orchha through the Town and Country Planning Organisation of the Ministry of Works and Housing.

The State Government have also set up a Special Area Development Authority for the integrated development of Orchha under the Chairmanship of the Collector, Tikamgarh, which will be responsible for the development of civic and tourist facilities in Orchha.

So far, the State Tourism Department has taken over the Rest House at Orchha and released an amount of Rs. 55,000/- to the Madhya Pradesh Housing Board for repairs and renovation. The work is due to commence shortly. A Receptionist with a complement of staff has been appointed to manage the Rest House. A Manager for the Rest House is due to be appointed.

INTRODUCTION OF SMALL AEROPLANES FOR HILLY AREAS

881. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have considered the suggestions of a foreign team, which met the Chief Minister of Himachal Pradesh recently, for introducing small aeroplanes having seating capacity for 12 or 16 passengers in hilly areas;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (c) No suggestion from any foreign team has been received. However, the question of connecting small towns and cities of tourist and other interests by Third Level Operations is engaging the attention of the Government. A Preliminary Project Report was prepared by Indian Airlines. A Committee was constituted, which went into the various aspects like phasing of the scheme keeping in view the requirements of different regions, type of aircraft, the agency that would operate, the administrative structure, rate structure, pay structure, route pattern, and such other relevant details. The Committee submitted its report on 18th July 1978, and it is under examination.

तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही

882. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों ने गत वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं ;

(ख) क्या इन दिनों बड़े-बड़े शहरों में तस्करी की वस्तुऐं आसानी से सड़कों पर मिल रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तस्करी की रोकथाम के लिये सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करों के अधिकांश संगठित गिरोह दुबके पड़े रहे हैं और ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं।

(ख) महानगरों में पटरियों पर बिकने वाले तस्करी के माल में वृद्धि होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें—निवारक तथा आसूचना एककों को सुदृढ़ बनाना, समुद्री तटों पर तथा भू-सीमाओं के साथ-साथ तस्करी

के लिए सुगम क्षेत्रों में गस्त बढ़ाना, प्रमुख समुद्री पत्तनों पर और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अधिक सतर्कता बरतना तथा सीमाशुल्क विभाग के निवारक-कर्मचारियों को मोटर-गाड़ियां, दूरबीनें, फ़िस्कर-यंत्र, नाइट-साइटस, आदि आवश्यक उपकरण मुहैया करना शामिल हैं। हाल ही में, कुछेक किस्म के मामलों में न्यूनतम सजा को छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। इनके अतिरिक्त विशेष मांग वाली कुछेक वस्तुओं की तस्करी के लिये आकर्षण कम करने के लिये अनेक आर्थिक उपाय किए गए हैं। सोने की तस्करी की बुराई को रोकने के लिये सरकार ने अपने स्वर्ण भंडार में से सोने की बिक्री भी चालू कर दी है।

ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE TO CLASS IV EMPLOYEES

†883. SHRI GOVINDA MUNDA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the demand for grant of a separate additional dearness allowance to class IV employees;

(b) whether the demand for grant of additional dearness allowance or special allowance to class IV employees has been made because of the high prices vis-a-vis meagre monthly salary of class IV employees;

(c) if not, the main reasons therefor and whether Government have proposed to draw the attention of advisory committee to the grant of one or two additional instalments of dearness allowance to these employees;

(d) if not, the main reasons therefor; and

(e) if so, the time by which dearness allowance or special allowance will be paid ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

पेंशन आयोग की नियुक्ति

884. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पेंशनर संगठन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक पेंशन आयोग की नियुक्ति की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) बढ़ते हुए मूल्यों के कारण पेन्शनरों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) उनकी मांग मंजूर करना सम्भव नहीं पाया गया ।

(ग) मूल्यों में हुई वृद्धि के लिए, केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से राहत की 7 किश्तें, कुल मिलाकर पेंशन का 35 प्रतिशत परन्तु कम से कम 35 रुपये प्रति मास है और अधिक से अधिक 175 रुपये प्रतिमास मंजूर की गई है। पेंशनभोगियों को अब तक मंजूर की गई राहत के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 312 अंक तक के 12 महीने का औसत आ जाता है। राहत की अगली किश्त की अदायगी के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब सूचकांक 12 महीने का औसत 328 तक पहुंच जाएगा।

PROCEDURE FOR TESTING THE QUALITY OF OPIUM

885. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the procedure adopted for testing the quality of opium at the time of weighing the opium latex of opium producers and whether under the present system the testing process is done in the presence of the farmers and if not, the reasons therefor; and

(b) whether for testing purposes opium of more than one farmer is put in one bag and if so, whether this system does not cause loss to the farmers who have a better quality of opium for weighing and if so, the reforms being made in the said system and by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Opium brought by the poppy cultivators to the weighment centres is first tested for its purity by simple chemical tests. Opium which is suspected of being adulterated is weighed and packed in separate bags and sent to opium factories for detailed examination. If the opium is not suspected of being adulterated the District Opium Officers who are specially experienced and trained in this regard thereafter determine the consistence (moisture content) of the opium by visual observation and feel of hand. The consistence of the opium is announced to the cultivator and if he agrees with the announced consistence the opium is weighed in his presence, the weight also being likewise announced and the cultivator's agreement thereto secured. All opium of like consistence is packed together in bags for despatch to the opium factories. Opium in respect of which the consistence is disputed by the cultivator is weighed and packed in separate bags with the identification mark of the particular cultivator. The final testing of the opium is done by qualified chemists in the two opium factories which have well-equipped laboratories.

(b) Opium of similar consistence when the consistence is not disputed by the cultivator, is packed together in bags after weighment. Since the capacity of the bag is 35 kgs. of opium, one bag normally contains opium tendered by more than one cultivator. The present system does not cause any loss to the farmers because the consistence and the weighment of opium is determined in their presence and if any farmer disputes the determination, his opium is packed separately and not mixed with the other lots.

साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड, कोयम्बटूर द्वारा आयकर अपवंचन

886. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या साउथ इंडिया विसकोस लिमिटेड, कोयम्बटूर, पर आय कर तथा अन्य सरकारी देय राशियों के अपवंचन के लिए : 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है ;

(ख) क्या उक्त जुर्माना राशि को पूर्णत: वसूल कर लिया गया है अथवा नहीं ;

(ग) क्या उक्त कम्पनी के प्रबंधक निदेशक की वेंकटस्वामी नायडू के विरुद्ध भ्रष्टाचार–कुप्रबंध के आरोपों की जांच पूरी हो गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच कार्य किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) तथा (ख) आयकर अपवंचन के लिये कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया है । जहां तक केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमाशुल्कों के लिए देय रकमों, यदि कोई हों, का संबंध है आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है कम्पनी के मामलों तथा इसके निदेशकों के ऊपर क्षेत्राधिकार को मद्रास (केन्द्रीय) अधिकार क्षेत्र को सौंप दिया गया है तथा पूछताछ जारी है । प्राप्त शिकायतों पर की गई पूछताछ के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग को श्री वेंकटस्वामी नायडू के विरुद्ध अभी तक कुछ नहीं मिला है ।

सोने के मूल्य में वृद्धि

887. **श्री टी० ए० पाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाल ही में सोने के मूल्यों में वद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सोने की तस्करी में कमी होना इसका एक कारण है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

सरकार द्वारा सोने की बिक्री शुरु किये जाने के समय से भारत में सोने के मूल्यों में सामान्यत: गिरावट आने की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) सरकार द्वारा की जा रही सोने की बिक्री का यही समिति उद्देश्य है कि वह सोने की तस्करी की बुराई को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से एक आर्थिक उपाय का काम करे। सोने की बिक्री के कारण देश में बड़े पैमाने पर होने वाले तस्कर व्यापार को रोकने में सहायता मिली है। सरकार द्वारा की जा रही सोने की बिक्री के साथ-साथ यदि सोने की तस्करी भी बड़े पैमाने पर चलती रहती तो भारत में सोने के मूल्यों में तेजी से गिरावट आ गई होती, जबकि ऐसा नहीं हुआ है ।

सोने की नीलामी

888. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की नीलामी के (1) शुद्ध तथा (2) गौण उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) उक्त प्रत्येक नीलामी में बोली देने वालों के सफल नामों का एवं प्रत्येक द्वारा नीलामी में खरीदे गए सोने का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित उद्देश्यों को सरकार कब तक प्राप्त कर लेगी;

(घ) क्या सरकार का भाग (क) में उल्लिखित उद्देश्यों में प्राप्त करने के लिये आप उपभोक्ताओं को सोने की खुदरा बिक्री करने का विचार है ; और

(ड़) सरकार के पास इस समय कितना सोना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार द्वारा की जाने वाली सोने की बिक्री की परिकल्पना, सोने के तस्कर व्यापार की बुराई से निपटने के लिये किये जा रहे निवारक उपायों के अतिरिक्त एक आर्थिक उपाय के रुप में की गई है। सरकार सोने की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों से बजट का 1,050 करोड़ रुपये का अपूरित घाटा भी कुछ सीमा तक कम हो जाएगा। तस्कर व्यापार को फिर से शुरू होने से रोकने के अतिरिक्त, वर्तमान परिस्थितियों में, बजट संबंधी लेन-देन के मुद्रा स्फीति संबंधी प्रभावों को रूप करने की दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित भी है कि सरकार के पास जमा सोने के एक भाग को उपयोग में लाया जाय।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की अब तक की गई छः नीलामियों में, सतर बोली लगाने वाले 4,788 व्यक्तियों को सोना बेचा गया और, कुल 7092 मीटरी टन सोना को लगभग 50.75 करोड़ रूपये के मूल्य के लिये बेचा गया है। प्रश्न के

उत्तर में सफल बोली कराने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम आदि के ब्यौरे दे सकना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) सोने की बिक्री से देश में बड़े पैमाने पर तस्कर आयात को रोकने में सफलता मिली है। सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद, सोना बेचने की कार्यवाही शुरू किये जाने के समय से, सोने के मूल्यों में कुछ गिरावट आने की प्रवृत्ति भी दिखाई दी है।

(घ) जी, नहीं। शुद्ध सोने को गैर-सरकारी स्वामित्व में रखने/उस पर कब्जा करने पर वर्तमान स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन पूर्णतया प्रतिबन्ध है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों की अवधि के बीच, देश में चुने हुए केन्द्रों पर किसी निर्धारित मूल्य पर स्वर्णकारों को सोने की बिक्री की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ड़) सरकार के पास जमा सोने की मात्रा के संबंध में सूचना देना, वर्तमान परिस्थितियों में, जनहित में नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य के 'ओवर-ड्राफ्ट' को बट्टे खाते डालने का अनुरोध

889. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सरकार से उप राज्य के "ओवरड्राफ्ट" को इस वर्ष के जन महीने तक बट्टे खाते में डालने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य राज्यों की ओर से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार ने अब तक कुल कितनी राशि के "ओवरड्राफ्ट" किये हैं ;

(घ) राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ड़) भविष्य में ऐसे ओवरड्राफ्टों को रोकने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ओवर-ड्राफ्ट को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टों की दैनिक रोकड़ की स्थिति का पता चलता है तथा उनकी दिन-प्रतिदिन की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। उनकी मात्रा का केवल विशेष तारीख के संदर्भ में ही उल्लेख किया जा सकता है। एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें 31 मार्च, 1978 को राज्य सरकारों के समायोजित ओवरड्राफ्ट दिखाए गए हैं।

(घ) और (ड़) राज्यों के ओवरड्राफ्ट उनके वित्त में घाटे होने के परिणामस्वरूप होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए पद्धतियां तैयार की जा रही हैं।

विवरण

31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य सरकारों के समायोजित ओवर ड्राफ्ट ।

	(करोड़ रुपये)
1. बिहार	69.01
2. केरल	4.62
3. मध्य प्रदेश	49.60
4. मणिपुर	3.45
5. नागालैंड	7.80
6. उड़ीसा	0.98
7. पंजाब्र	56.36
8. राजस्थान	8.89
9. त्रिपुरा	0.38
10. उत्तर प्रदेश	145.68
11. पश्चिम बंगाल	91.40
जोड़	438.17

IMPORT AND EXPORT OF EQUIPMENTS BY WESTERN ELECTRONICS LIMITED

890. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the details of the various equipments imported and exported by Western Electronics Limited in 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) the grounds on which the said company was given export facility; and

(c) whether it is a fact that Government have received complaints against the said company in regard to irregularities committed in the imports and exports ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Imports and Exports by M/s Western Electronics during 1976 and 1977 are as follows :—

(Rs. in lakhs)

	1976	1977
Imports	13·17	17·68
Exports	83·60	65·97

(b) The firm, as a Registered Exporter, is eligible to claim export benefits under the existing schemes announced by Government from time to time.

(c) The allegations received against this firm were examined and their actions were found to be within the prescribed rules and regulations.

चाय की छटन (टी वेस्ट) के बारे में अधिसूचना

891. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय की छटन के बारे में अधिसूचना जारी की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर चाय उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर चाय की छटन (टी-वेस्ट) के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। 1978 के बजट के अन्तर्गत जारी की गई नवीनतम अधिसूचना द्वारा अब तक प्रवृत्त उत्पादन शुल्क के भुगतान से चाय की छटन को छूट देने की शर्तें और अधिक सुस्पष्ट कर दी गई। इससे पहले छूट तब दी जाती थी जब उत्पादन शुल्क कलक्टर की सन्तुष्टि के लिये यह सिद्ध कर दिया जाता था कि चाय की छटन खाद के विनिर्माण के लिये है। वर्तमान अधिसूचना के अन्तर्गत चाय की ऐसी छटन को उत्पादन करने वाली फैक्ट्री से निकालने से पूर्व उसे विकृतीकारक तत्वों से मिलाकर इस प्रकार विकृत किया जायेगा जिस प्रकार इस संबंध में उत्पादन शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा ताकि चाय की ऐसी छटन मानव खपत के योग्य न रहे।

इस संबंध में चाय उपजकर्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विमान परिचारिकाओं के पदों के लिये साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों की संख्या

892. **डा० बापू कालदाते :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइंस ने 4 जून, 1977 को विमान परिचारिकाओं के पदों के लिये साक्षात्कार हेतु बड़ी संख्या में आवेदकों को बुलाया था ;

(ख) क्या चयन बोर्ड ने किसी आवेदक का चयन किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ चुने गये उम्मीदवारों को बाद में यह बताया गया कि यह पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित है ; और

(घ) यदि हां, तो साक्षात्कार के लिये गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को बुलाने के क्या कारण थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ की खेती

893. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में रबड़ की खेती के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिये यदि कोई केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तो वह कितनी है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतया कितने व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में रबड़ की खेती के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, त्रिपुरा सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये की गई कारवाही

894. **श्री अमर सिंह बी० राठवा**
श्री अहमद एम० पटेल } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 को आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों (जो कि अनन्तिम हैं) के अनुसार, 31-3-78 की स्थिति के अनुसार आयकर की सकल और शुद्ध बकाया नीचे दिये अनुसार है :—

सकल बकाया	986.19 करोड़ रुपये
शुद्ध बकाया	630.60 करोड़ रुपये

(ख) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बकाया की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(i) देर से अदा किए गए करों की राशि पर ब्याज लगाना ;

(ii) कर अदा नहीं किये जाने पर दण्ड लगाना ;

(iii) चूककर्ता को देय रकम का अभिग्रहण ; और

(iv) चल/अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण तथा बिक्री।

दालों, खाद्य तेलों और वनस्पति का वसूली लक्ष्य

895. श्री सरत कार : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दालों, खाद्य तेलों और वनस्पति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और इन वस्तुओं के आयात से मांग कहां तक पूरी हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के वितरण के लिये कोई नई योजना तैयार की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) मूंगफली और मूंगफली के तेल के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) से सरकार की ओर से मूंगफली के तेल का 75,000 मीटरी टन तक का बफर स्टाक बनाने के लिये कहा गया है परन्तु शर्त यह है कि खरीद बड़ी सावधानी से की जाये ताकि मूल्यों में वृद्धि न हो। 'नेफेड, ने मूंगफली और मूंगफली के तेल का 13,000 मीटरी ह भनटका ण्डार बना लिया है। वनस्पति घी की वसूली का कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। जां तक दालों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने दालों का फिर स्टाक/कार्यात्मक स्टाक बनाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से रबी की दालों की बड़ी मात्रा में खरीद करने को कहा गया है। उन्होंने अब तक 42,000 मीटरी टन का भण्डार (स्टाक) बना लिया है। सरकार ने आपूर्ति और मांग का अन्तर दूर करने के लिये अपेक्षित मात्रा में खाद्य तेल आयात करने का भी प्रबंध किया है। खाद्य तेलों के आयात से न केवल खाद्य तेलों के मूल्य स्तर को बनाये रखने में सहायता मिली है, अपितु इससे खाद्य तेलों की उपलभ्यता में भी सुधार हुआ है तथा ये नियमित रूप से मिल रहे हैं।

(ख) लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से परिष्कृत रेपसीड तेल 7 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर वितरण करने की एक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार की एक योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

प्रधान मंत्री के परिवार के नियन्त्रक को आयात परमिट जारी किया जाना

896. श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब के आयात हेतु प्रधान मंत्री के परिवार नियंत्रक को अप्रैल, 1977 में आयात परमिट जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बोतलें आयात की गई ;

(ग) जिस देश से इनका आयात किया गया उसका नाम क्या है ; और

(घ) ऐसे आयात का प्रयोजन क्या था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) जनवरी, 1977 में उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम अल्जीरिया सरकार से उपहार के रूप में शराब की 144 बोतलों की खेप पालम हवाई अड्डा, दिल्ली पहुंची थी। इस बीच नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया था तथा माल छुड़ाये बिना रह गया। चूंकि माल पहले ही पहुंच चुका था तथा एक मित्र राष्ट्र का उपहार था, अतः उसे सीमाशुल्क से छुड़ाने का विनिश्चय किया गया था ताकि सरकार आतिथ्य संगठन उसे विदेशी अतिथियों के सरकारी उपयोग के लिये अपने अधिकार में ले सके। तदनुसार, 22 अप्रैल, 1977 को सरकारी आतिथ्य संगठन के नियंत्रक को सीमाशुल्क संबंधी निकासी परमिट जारी किया गया।

देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंक

897. श्री के० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक उनमें जमा कुल राशि कितनी थी और उन्होंने कितनी राशि के ऋण दे रखे थे ;

(ग) उनमें नियुक्त ऐसे विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है जो प्रति मास अतिरिक्त परिलब्धियों के अलावा 3000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) उनमें नियुक्त ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है जो प्रति मास अतिरिक्त परिलब्धियों के अलावा 3000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे ह ;

(ङ) उन्होंने गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि विदेशों में भेजी ;

(च) भारत में उनकी कितनी शाखाएं हैं ; और

(छ) क्या विस्तार के लिये उनके कोई कार्यक्रम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (च) देश में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम, उनकी जमाराशियां और ऋण, उनमें काम करने वाले विदेशी/भारतीय नागरिकों की संख्या जो 3000/– रु० अथवा इससे अधिक वेतन ले रहे हैं और भारत में उनकी शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी जा रही है।

(ङ) अधिकांश मामलों में विदेशी बैंकों द्वारा वर्ष, 1977 में अर्जित अधिशेष (सरप्लस) अभी तक जमा नहीं किये गये हैं। अलबत्ता वर्ष, 1976 के दौरान उनके द्वारा अर्जित अधिशेष में से लगभग 6.68 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी गयी है।

(छ) भारत में कार्यरत सात विदेशी बैंकों ने देश में और शाखायें खोलने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। और/अथवा अपनी इच्छा प्रकट की है।

विवरण

देश में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम, उनकी जमाराशियां और ऋण, उनम काम करने वाले विदेशी/भारतीय नागरिकों की संख्या जो 3000/– रुपये अथवा इससे अधिक वेतन ले रहे हैं।

करोड़ रुपयों में

बैंक का नाम	दिसम्बर, 1977 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति		प्रति माह 3000/– रु० अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 31-12-77 को		जून, 1978 के अंत की स्थिति के अनुसार शाखाओं की संख्या
	जमाराशियां	ऋण	विदेशी नागरिक	भारतीय नागरिक	
अलेमे बैंक नीदरलैंड एन० वी० .	15.50	12.25	1	13	3
अमेरिकन एक्सप्रेस इण्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन .	74.22	58.15	4	59	3
बैंक आफ अमेरिका एन०टी० एण्ड एस० ए० .	58.69	44.07	1	30	4
बैंक नेशनल डी पैरिस*	22.07	13.81	4	15	5
बैंक आफ टोक्यो लि०	26.95	9.93	8	22	3
ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडिल ईस्ट .	22.32	6.00	2	11	1
चार्टर्ड बैंक	138.14	105.25	13	63	24
सिटी बैंक	82.14	75.13	6	41	6
ग्रिंडलेज बैंक लि०	425.41	320.87	9	201	56
मर्केण्टाइल बैंक लि०	100.57	68.99	7	94	20
मित्सुई बैंक लि० .	5.97	3.57	4	2	1
सोनाली बैंक .	0.50	0.44	2	—	1
जोड़ .	972.49	718.46	61	551	127

*आंकड़े दिसम्बर 1976 के अंत के हैं।

898. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली तथा फरीदाबाद में कर अपवंचन के बारे में 30 अप्रैल, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आटो मिल्स, फरीदाबाद, उनके भागीदारों और उनके घनिष्ठ सहयोगियों के बिक्री कर, उत्पादन-शुल्क तथा अन्य करों की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 1976 की तलाशी में लाखों रुपये का सोना, अश्लील फिल्में और अनेक दोष-प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जब्त किये गये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या निष्कर्षों के आधार पर फर्म के प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ; और

(घ) क्या उक्त फर्म राजनीतिक प्रभाव डालकर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और यदि हां, तो फर्म के प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

CLOSURE OF BRANCHES OF BANKS IN PATNA AS A RESULT OF BANK ROBBERIES

899. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether all the branches of the banks in Patna city remained closed on 31st May, 1978 due to bank robberies and murder of a bank employee in Patna;

(b) whether three and a half thousand employees took out a procession and made a demand to the Chief Minister for their protection; and

(c) if so, the arrangements made for their protection in future and the time by which culprits will be arrested and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) : Reserve Bank of India has reported that all banks in Patna remained closed on 31st May, 1978 as employees and officer staff of various banks in the city observed strike in protest against law and order situation and alleged negligence in the medical treatment of an officer of State Bank of India who died. A procession is reported to have been organised and taken to the residence of the Chief Minister on 31st May, 1978 to submit a memorandum of their demands to him.

(c) It was agreed that police officials in plain clothes would watch and visit branches and armed guards would be provided on bank's request on payment. Maintenance of law and order is the responsibility of the State Government of Bihar. We have so far no information as to progress made by them in the investigation of the robbery and murder.

जे० एम० टेक्सटाइल मिल, बम्बई के भागीदारों द्वारा विनियोजित पूंजी

900. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जे० एम० टेक्सटाइल मिल, बंबई के कितने भागीदार हैं और इनमें से प्रत्येक ने इसमें कितनी कितनी पूंजी लगा रखी है ;

(ख) इस समय मिल में कितनी पूंजी विनियोजित है और इस मिल के लगाने में कितनी पूंजी लगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मिल के प्रबंधकों और भागीदारों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले रखे हैं और यदि हां, तो प्रत्येक प्रबंधक और भागीदार ने कितना कितना ऋण ले रखा है और क्या इसकी किश्तों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो कितनी किश्तों का समय पर भुगतान नहीं किया गया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को जे० एम० टेक्सटाइल मिल नाम की किसी मिल की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

TAXES OUTSTANDING AGAINST DISTILLERY IN UJJAIN

901. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of excise duty outstanding against the Distillery situated in Ujjain for the past three years as also the ammount paid by it; and

(b) whether customs duty is not paid on the raw material imported for the distillery, if so, the amount outstanding as excise duty, custom duty and income tax separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The distillery situated in Ujjain, is owned by M/s Doongaji & Co., a partnership concern. No Income-tax arrears are outstanding against this firm as on 31-3-1978.

The aforesaid firm consists of eight partners assessed outside Ujjain. Information regarding the income-tax, if any, outstanding from these partners is not presently available.

Particulars regarding amounts outstanding as Customs Duty and Excise Duty are being collected and will be laid on the Table of the House.

RAYON TEXTILE MILLS, UJJAIN

902 :SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) when the Shri Rayon Textile Mills, Ujjain was established and the initial capital invested indicating the source of the capital; the sources from which its machinery was obtained with value thereof; whether the machinery was purchased at actual market price prevailing then and when and how the payment for the machinery was made and

(b) whether black money was made use of in setting up this mill; if so, the present capital investment thereof indicating the details about dates and sources of investment and the names of partners with capital invested by each ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) & (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

CONSCTRUCTION OF AIR CARGO COMPLEX

903. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of places where Government have constructed air cargo complexes so far in order to promote export trade in the country;

(b) State-wise names of the cities in which air cargo complexes are proposed to be constructed by Government in future;

(c) whether such complexes are also proposed to be constructed in Uttar Pradesh; and

(d) if so, where, and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) :

(a) Calcutta, Bombay, Madras, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad.

(b) As at present, an integrated air cargo complex is proposed to be established at Srinagar.

(c) & (d) A proposal, based on a traffic survey, received for setting up an integrated air cargo complex in Uttar Pradesh is under examination and a decision on the feasibility and location would be taken in consultation with all concerned authorities and agencies including Government of Uttar Pradesh.

भारत-जर्मनी सहायता करार और इसका उपयोग

904. **श्री डी० अमात**
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1978 में 115 करोड़ रुपये का भारत-पश्चिम जर्मनी सहायता करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का देश के किन विशेष उद्योगों और क्षेत्रों में उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । दिनांक 23 जून, 1978 को 1978-79 के संबंध में जो सहायता करार भारत तथा जर्मन संघीय गणराज्य के बीच निष्पन्न हुआ है उसके अन्तर्गत, जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को 2900 लाख ड्यूशमार्क (122.36 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता देने की रजामंदी जाहिर की है । सहायता की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

	लाख ड्यूशमार्क	करोड़ रुपए
(i) पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ऋण	350	14.77
(ii) विकास बैंकों को ऋण (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को)	150	6.33
(iii) परियोजना ऋण	2340	98.73
(iv) अनुदान	60	2.53
	2900	122.36

(विनिमय की दर 23.7 ड्यूशमार्क —100 रुपए) ।

(ख) पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए दी गई सहायता (350 लाख ड्यूशमार्क तथा विकास बैंकों को दी गई ऋण सहायता (150 लाख ड्यूशमार्क) देश के किसी क्षेत्र विशेष अथवा उद्योग के विशेष क्षेत्र के लिए ही निर्धारित नहीं की गई है। यह सहायता सामान्य

आयात सहायता के तौर पर दी गई है। 2340 लाख ड्यूशमार्क का परियोजना ऋण, जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली दो चालू परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की लागत की वित्तव्यवस्था के लिए है, अर्थात् नेवेली लिगनाइट (विस्तार-1) परियोजना (260 लाख ड्यूशमार्क) तथा गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी लिमिटेड के एमोनिया संयंत्र के लिए (920 लाख ड्यूशमार्क) और इसके अतिरिक्त यह ऋण सहायता, दो नई परियोजनाओं अर्थात् नेवेली लिगनाइट सैकण्ड माइन कट तथा सम्बद्ध बिजली घर परियोजना (510 लाख ड्यूशमार्क) तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के हरद्वार स्थित कारखाने में 500 मेगावाट के जनित्र सेटों के निर्माण की परियोजना (650 लाख ड्यूशमार्क) की विदेशी मुद्रा की लागत को भी पूरा करने के लिए है। 60 लाख ड्यूशमार्क का अनुदान, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए निर्धारित है।

थाइलैंड के उप प्रधान मंत्री द्वारा भारत की यात्रा

905. **श्री डी० अमात** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाइलैंड के उप प्रधान मंत्री ने भारत की यात्रा की थी और व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) थाइलैंड के उप प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री सनथोर्न हांगला डरोम ने 15 से 17 जून, 1978 तक भारत का दौरा किया और 15-6-1978 को वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की।

(ख) बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस पर सहमत थे कि भारत तथा थाइलैंड के बीच द्विमार्गी व्यापार बढ़ाने के लिए गुंजाइश है। भारतीय निर्यातकों और थाइलैंड के व्यापारियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने और दोनों देशों के बीच संगठित व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के और अधिक आदान-प्रदान करने पर बल दिया गया। यह नोट किया गया कि थाइलैंड में और औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए गुंजाइश है। थाइलैंड को उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात और थाइलैंड से टिन के आयात की सम्भावनाओं पर बातचीत की गई। चमड़े के उत्पादन तथा विपणन में सहयोग के प्रश्न पर भी विचार विमर्श किया गया।

भारत-इंडोनेशियाई द्विपक्षीय व्यापार करार

906. **श्री डी० .अमात** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इंडोनेशियाई द्विपक्षीय व्यापार करार पर जून, 1978 से पहले सप्ताह में हस्ताक्षर हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरिफ बेग) :
(क) जी हां, 3 जून 1978 को।

(ख) इस करार में, एसीयन के बीच तथा विकासशील देशों के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय सहयोग की योजनाओं के अन्तर्गत आदान प्रदान किए गए अधिमानों को छोड़ कर मुक्त रूप से एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार देने की व्यवस्था और परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतानों तथा व्यापार मेले, प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए पारस्परिक सुविधाओं तथा व्यापारियों और प्रतिनिधि मंडलों की यात्राओं के सम्बन्ध में व्यवस्था है। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को और आगे बढ़ाने से सम्बन्धित विषयों पर दोनों सरकारों के बीच परामर्श करने की भी व्यवस्था है। यह करार एक वर्ष की अवधि के लिए है और वर्ष प्रतिवर्ष इसकी अवधि स्वत: बढ़ती रहेगी, जब तक कि दोनों में से कोई सरकार दूसरी सरकार को इस अवधि के समाप्त होने से तीन महीने पहले इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना नहीं दे देती।

PROFIT EARNED BY NATIONALISED BANKS DURING 1977-78

907. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the net profit earned by each nationalised bank during 1977-78 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : The net profits of the fourteen nationalised banks as also of State Bank of India and its seven subsidiaries shown in the balance sheets for the year ended 31st December, 1977 are given below :

(Rs. in lakh s

Nationalised Banks	
1. Allahabad Bank	68·55
2. Bank of Baroda	375·03
3. Bank of India	328·77
4. Bank of Maharashtra	22·95
5. Canara Bank	280·59
6. Central Bank of India	143·03
7. Dena Bank	68·65
8. Indian Bank	130·24
9. Indian Overseas Bank	361·20
10. Punjab National Bank	340·50
11. Syndicate Bank	192·39
12. Union Bank of India	155·80
13. Unit ed Bank of India	99·06
14. United Commercial Bank	192·69
State Bank of India Groups	
1. State Bank of India	770·01
2. State Bank of Bikaner & Sindh Jaipur	27·01
3. State Bank of Huyderabad	10·99
4. State Bank of Indore	9·74
5. State Bank of Mysore	20·65
6. State Bank of Patiala	12·50
7. State Bank of Saurashtra	11·35
8. State Bank of Travancore	23.71

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

908. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक की कितनी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं ; और

(ख) इनमें से 10 हजार और अधिक संख्या वाले एवं 10 हजार से नीचे 5 हजार तक संख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक बैंक की कितनी शाखायें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये गये जनसंख्या समूह वार वर्गीकरण के अनुसार 10,000 तक जनसंख्या वाले सभी स्थानों को "ग्रामीण क्षेत्रों" में वर्गीकृत किया है। 5000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों की बैंक शाखाओं विषयक आंकड़े पृथक से रखे नहीं जाते। 10,000 से अधिक संख्या वाले स्थानों को तीन वर्गों अर्थात अर्ध शहरी, शहरी और महानगरीय वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ।

जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या के बैंकवार आंकड़े अनुबंध में दे दिये गये हैं।

विवरण

31.3 1978 की स्थिति के अनुसार भारत में सरकारी क्षेत्र बैंकों के कार्यालयों का बैंकवार और जनसंख्या वितरण ।

बैंक का नाम	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महा-नगरीय/ पत्तन नगर	जोड़
1	2	3	4	5	6
I. स्टेट बैंक आफ इंडिया .	2112	1465	640	503	4720
II. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी	915	724	292	223	2154
जोड़ भारतीय स्टेट बैंक समूह	3027 (44.0)	2189 (31.8)	932 (13.5)	726 (10.6)	6874 (100.0)
III. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक					
1. इलाहाबाद बैंक	253	195	153	104	705
2. बैंक आफ बड़ौदा	468	332	220	202	1222
3. बैंक आफ इंडिया	437	270	234	205	1146
4. बैंक आफ महाराष्ट्र .	195	143	122	84	544

1	2	3	4	5	6
5. केनरा बैंक . .	355	316	189	252	1112
6. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	552	423	310	236	1521
7. देना बैंक	285	160	116	153	714
8. इंडियन बैंक . .	213	233	139	143	728
9. इंडियन ओवरसीज बैंक	237	173	119	133	662
10. पंजाब नेशनल बैंक	543	393	274	201	1411
11. सिंडिकेट बैंक .	395	230	141	191	957
12. यूनियन बैंक आफ इंडिया	413	256	176	165	1010
13. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	351	160	101	142	754
14. यूनाइटेड कमिशियल बैंक	424	223	200	162	1009
14. राष्ट्रीयकृत बैंकों का जोड़	5121 (37.9)	3507 (26.0)	2494 (18.5)	2373 (17.6)	13495 (100.0)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़	8148 (40.0)	5696 (28.0)	3426 (16.8)	3099 (15.2)	20369 (100.0)

टिप्पणी:—कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत दिखाते हैं।

जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :—

(1) ग्रामीण : 10,000 तक

(2) अर्धशहरी : 10,000 से अधिक और 1,00,000 तक

(3) शहरी : 1,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक

(4) महानगर : 10,00,000 से अधिक।

SERVICE OF MEALS TO VEGETARIAN

909. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that second rate treatment is meted out to vegetarian passengers in the matter of service of meals in planes and whether meals are served to them and sometimes they are served with meals mixed with meals mixed with non-vegetarian preparations; and

(b) whether Government have received any complaint in this regard and whether Government will conduct a departmental inquiry into this matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) Complaints are sometimes received by Air India and Indian Airlines from passengers when food is not served according to the passenger's preference. Such complaints often arise because of dietary preference not being indicated on the ticket, or the non-vegetarians opting for vegetarian food or waitlisted passengers and remedial action taken where necessary.

In order to meet exigencies, some extra vegetarian meals are also carried by Air India and Indian Airlines.

BANKING FACILITIES IN BACKWARD AREAS OF THE COUNTRY

†910. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government propose to formulate a time-bound programme for making available banking facilities in the backward areas of the country; and

(b) if so, the details thereof and the time by which it will be implemented ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) The branch expansion policy of the Reserve Bank of India is oriented towards extension of branch network of the commercial banks to the backward areas which are also underbanked. To ensure that large geographical areas do not continue to remain devoid of banking facilities, the Government have advised the banks to :— (a) take up the task of opening at least one bank branch in all the unbanked community development blocks. In pursuance of this programme, during the last 18 months the banks have opened branches in 632 community development blocks which were devoid of banking facilities, (b) give priority to the opening of branches at block headquarters which are at present unbanked and (c) concentrate their branch expansion programmes in districts where the population per bank office is at present lower than the national average, priority being given to the States where the population coverage per bank office for the State as a whole is poorer than the national average.

SALE OF GOLD

911. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantity and value of the gold which was decided to be sold in 1978-79 in accordance with the new policy of Janata Government;

(b) the value and quantity of gold out of it sold so far;

(c) how the gold was sold or proposed to be sold and on whose behalf it is to be sold;

(d) the approximate quantity of gold which is being smuggled into India every year;

(e) the advantages likely to accrue to the Government of India by the sale of gold in the open market; and

(f) the extent to which the gold prices increased or decreased due to its sale by Government every time ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The objective of the gold sales policy of the Government is to check smuggling by making available some supplies of gold through legal channel. The sale would be effected from the accumulated stocks of gold held by the Government, obtained by way of gold confiscated from Customs/Gold Control seizures, gold received under the first two Gold Bond Schemes and gold produced by the indigenous mines and acquired by the Government.

(b) In the first six auctions so far held, a total quantity of about 7.92 tonnes of gold for a price of about Rs. 50.75 crores has been sold.

(c) The gold is sold by the Reserve Bank of India on behalf of the Government of India through auction by tender system. Dealers licensed under the Gold (Control) Act including co-operative societies of goldsmiths having dealer's licences and groups of dealers/ certified goldsmiths not exceeding five in number are eligible to participate in the auctions. The gold is sold in each auction to those bidders who rank above the lowest price accepted by the Reserve Bank of India. The awards are made for the quantity bid and at the price quoted.

(d) It is not reasonably possible to estimate with a fair degree of accuracy, the quantity of gold that is being smuggled into India every year. However, various reports received by the Government indicate that the drain of foreign exchange due to smuggling of gold into India for the last three years has been over Rs. 100 crores per annum.

However, the value of gold seized during the years 1974 to 1978 (upto May) is given below :

Year	Value of Gold seized.
(1)	(2)
	(Rs. in lakhs)
1974	96
1975	68
1976	83
1977	162
1978 (upto May)	56

(e) & (f) The sale of gold by the Government has the limited objective to act as an economic measure in addition to preventive measures to tackle the evil of gold smuggling into the country. The sale has discouraged large-scale smuggling of gold into the country. While reduction in the price of gold or pegging the price of gold at a particular level is not the objective of Government's gold sales policy, nevertheless the price trends observed subsequent to the commencement of the gold auctions appeared to be favourable.

ASSESSMENT OF LAWYERS' INCOME FOR INCOME TAX

912. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to tax or exercise some sort of control on the income of lawyers of the country;

(b) if so, when and how and if not, the reasons therefor; and

(c) whether lawyers earn a lot of money but pay small amount of income tax to Government; if so, the steps taken or proposed to be taken to ensure greater return of income-tax from them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) & (b) The income of lawyers is already chargeable to income-tax under the head, "Profits & gains of business or profession". The Government does not propose to exercise any other form of control in respect of the income of the lawyers.

(c) There is no such information available with the Government that lawyers as a class are not paying proper taxes. However, with a view to ensure a proper filing of the returns of income by lawyers and other professionals Section 44AA was introduced in the Income-tax Act, 1961 with effect from 1st April, 1976. Sub-section (1) of this Section makes it obligatory on persons carrying on certain professions including legal profession to keep and maintain such books of account as will enable the Income-tax Officer to compute their total income in accordance with the provisions of the Income-tax Act. Besides, special Circles for professionals including those in legal profession have been created in Delhi, Calcutta, Bombay, Madras and other places.

उपभोक्ता वस्तुओं के फुटकर मूल्यों में वृद्धि और कृषि उत्पाद के थोक मूल्यों में गिरावट

913. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1977 से सभी उपभोक्ता वस्तुओं के फुटकर मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि उत्पाद, अर्थात् गन्ना, गेहूं, जूट, तम्बाकू, धान, नारियल के थोक मूल्य वर्ष 1976-77 और 1977-78 की तुलना में गिर गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिसम्बर, 1977 और जून, 1978 में चुनी हुई आश्वयक वस्तुओं के बारे में महीने के अन्त के फुटकर मूल्य दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-2434/78] में दिया गया है ।

(ग) व (घ) जून, 1978 में विभिन्न कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों की 1976-77 तथा 1977-78 के वार्षिक औसत सूचकांकों से तुलना अनुबंध- II [ग्रन्थालय म रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-2334/78] में की गई है ।

मैसर्स अंसल ग्रुप द्वारा आयकर का अपवंचन

914. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स अंसल ग्रुप, नई दिल्ली ने दो करोड़ रुपये से अधिक आयकर का अपवंचन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस 'ग्रुप' के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) अंसल समूह द्वारा किये गये पर्याप्त कर अपवंचन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उपर्युक्त शिकायतों में बहुत से मुद्दों के आधार पर कर-अपवंचन किए जाने के आरोप लगाये गये हैं। ये मुद्दे उदाहरणार्थ, इस प्रकार हैं : आय का छिपाना, काल्पनिक खर्चों को खाते नामे डालना, लेखा पुस्तकों में बिना हिसाब के धन को नकद ऋणों में दिखाना, हिसाब में नहीं दिखाये गये धन का घरेलू खर्चों में उपयोग करना, आदि ।

इस समूह के विभिन्न परिसरों पर तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई जिसमें कुछ परिसम्पत्तियां, बड़ी संख्या में लेखा-पुस्तकें और दस्तावेज पकड़े गये । आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अधीन अपेक्षित आदेश विधिवत् जारी किये गये ।

पहले की जा चुकी जांच के परिणामत: इस समूह के विभिन्न मामलों में कुछ कर-निर्धारणों को फिर से शुरू किया गया है। श्री चिरंजीलाल और उनके तीन पुत्रों के मामलों में कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 से सम्बन्धित कर-निर्धारण पूरे कर लिए गए हैं और इससे विवरणी में दिखाई गई आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आय छिपाये जाने के मामले में दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गई है ।

केरल में कन्नानूर जिला में रहने वाले लोगों द्वारा बैंकों से लिया गया ऋण

915. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के जिला कन्नानूर के उत्तरी वायनाड तालुक की थोंडरनाड बेल्लामुंडा तथा थोविन्जल पंचायत में रहने वाले कॉफी के ऐसे निर्धन उत्पादकों की शिकायतों

को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लिया था और उसकी सलाह के अनुसार 5274 पौधों को रोपण किया जो तेजी से सूखने लगे और कृषकों को भारी हानि हुई ;

(ख) कॉफी के इन 5274 पौधों के धीमी गति से बढ़ने पर कॉफी उत्पादकों ने सरकार से ऋण माफ करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (ग) सरकार के पास इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांन्तों में यह प्रावधान है कि यदि प्राकृतिक आपदाओं अथवा प्रतिकूल मौसमी कारणों से फसलें प्रभावित हो जाएं, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली आसान और उचित ढंग से कार्यक्रम वना कर की जा सकती है।

मजूरी, आय और मूल्यों के बारे में भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर वार्ता

916. **श्री माधवराव सिंधिया**
श्री एफ० पी० गायकवाड़ } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मजूरी, आय और मूल्यों के बारे में भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर राज्यों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और श्रमिक तथा कर्मचारियों के संगठनों के साथ वार्ता करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : : (क) से (घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सरकार, रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों से परामर्श करेगी।

खाद्य तेलों का आयात

917. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेल की कुल खपत का कितने प्रतिशत इस समय आयात किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इसकी मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य (की कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) से (ग) तेल वर्ष 1977-78 के लिए खाद्य तेलों की कुल अनुमानित मांग 34 लाख मीटरी टन है। अनुमानित देसी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, लगभग 9.5 लाख मीटरी

टन खाद्य तेल, अर्थात् कुल मांग का 28% , आयात करने का विचार है। दीर्घकालीन पूर्ति और मांग के अनुमान लगाये जा रहे हैं। इस बीच देश में तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किये गये हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा जनता उड़ानें

918. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान शुल्क कम करके, ताकि वह जरूरतमन्द आम लोगों की पहुंच के भीतर हो, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा जनता उड़ानें प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) पर्यटन तथा अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण छोटे नगरों तथा शहरों को तीसरी वायु सेवा द्वारा जोड़ने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट इंडियन एयरलांइस द्वारा तैयार की गयी थी। एक समिति का गठन किया गया था जिसने विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए स्कीम को चरणबद्ध करने, विमान के प्रकार, परिचालन करने वाली एजेंसी, प्रशासनिक ढांचे दर संरचना, वेतन संरचना, मार्गतंत्र आदि जैसे विभिन्न पहलुओं तथा अन्य संबद्ध ब्यौरों की जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 18-7-78 को प्रस्तुत कर दी तथा इसकी जांच की जा रही है।

मजूरी आय और मूल्य पर भूतलिंगम समिति का प्रतिवेदन

919. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्री एस० आर० दामाणी
श्री एस० जी० मुरुगय्यन
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मजूरी, आय और मूल्यों आदि के बारे में प्रस्तुत किये गए भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन का कर्मचारियों के सभी वर्गों या अल्प संगठनों ने अच्छा स्वागत नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अध्ययन दल की सिफारिशों पर कर्मचारियों तथा समाज के अन्य वर्गों ने मिली जुली प्रतिक्रिया प्रकट की है।

(ख) सिफारिशों की विस्तृत सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट-य पर दी गई है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

920. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत से चमड़े और चमड़े की वस्तुओं का कुल निर्यात कितना था ;

(ख) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1976-77 के दौरान चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के सभी प्रकार के कुल निर्यात में निर्यातकर्ताओं के निम्न वर्गों का कितने प्रतिशत हिस्सा था :—

(एक) लघु उद्योग ;

(दो) तकनीकी विकास महानिदेशालय के बड़े उद्योग ;

(तीन) व्यापारी निर्यातकर्ता ; और

(ग) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1976-77 के दौरान चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के कुल निर्यात में निर्यातकर्ताओं के निम्न वर्गों का कितने प्रतिशत हिस्सा था :—

(एक) सरकारी मान्यता प्राप्त निर्यात गृह ;

(दो) निर्यात गृहों के रूप में योग्यता न प्राप्त सभी फर्में ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क)

	(लाख रु० में)
1975-76	7461
1976-77	14169
1977-78	9348
(अप्रैल—नवम्बर)	

(ख)

	1976-77	1977-78
1. लघु उद्योग . . .	24.39%	20.08%
2. डी० जी० टी० डी० के बड़े उद्योग .	26.50%	29.01%
3. व्यापारी निर्यातक . .	49.11%	50.91%
	(अनुमानतः)	

(ग)

	1976-77	1977-78
1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात सदन .	46.50%	54.85%
2. वे सभी फर्में जो निर्यात सदन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। . .	53.50%	45.15%

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

921. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत से सिलेसिला वस्त्रों का कुल निर्यात कितना था ;

(ख) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1976-77 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के सभी प्रकार के कुल निर्यात में निर्यातकर्ताओं के निम्न वर्गों का कितने प्रतिशत हिस्सा था :—

(एक) लघु उद्योग (निर्माता निर्यातकर्ता) ;

(दो) बड़े उद्योग अथवा तकनीकी विकास महानिदेशालय के एकक (यदि कोई हों) ;

(तीन) व्यापारी निर्यातकर्ता ; और

(ग) वर्ष 1977-78 और वर्ष 1976-77 के दौरान सिले-सिलाये वस्त्रों के कुल निर्यात में निर्यातकर्ताओं के निम्नलिखित वर्गों का कितने प्रतिशत हिस्सा था :—

(एक) सरकारी मान्यता प्राप्त निर्यात गृह

(दो) निर्यात गृहों के रूप में मान्यता न प्राप्त सभी फर्में ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :—

(करोड़ रुपये में)

1975-76	1976-77	1977-78
157.09	262.55	238.76

(ख) इंजीनियरी माल के कुल निर्यातों में अलग-अलग वर्गों का प्रतिशत भाग नीचे दिया जाता है :—

	कुल निर्यातों का प्रतिशत भाग 1976-77
लघु क्षेत्र के एकक . .	13.46
बड़े क्षेत्र के एकक (डी० जी० टी० डी० एकक आदि)	54.92
व्यापारी निर्यातक (निर्यात सदनों सहित) . .	31.62

1977-78 के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात आंकड़े संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा निर्यातकों के वर्गों के आधार पर संकलित नहीं किये जाते।

सिले-सिलाए कपड़े, इंजीनियरी के सामान और कमाये हुए चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करने वाली भारतीय फर्में

922. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) सिले-सिलाये कपड़ों, (2) इंजीनियरी सामान और (3) कमाये हुये चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करने वाली भारतीय फर्मों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) (1) सिले-सिलाये कपड़ों, (2) इंजीनियरी सामान, और (3) कमाये हुए चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करने वाली फर्मों में से कितनी फर्मों को क्रमश: (1) छोटे उद्योग (2) बड़े पैमाने के उद्योग तथा व्यापार तथा विकास महानिदेशालय के एकक (3) मर्चेन्ट निर्यातक की श्रेणी में रखा गया है ; और

(ग) (1) सिले-सिलाये कपड़ों (2) इंजीनियरी सामान और कमाये हुए चमड़े और चमड़ से बनी वस्तुओं का निर्यात करने वाली फर्मों में से क्रमश: कितनी फर्मों को सरकारी मान्यता प्राप्त निर्यात गृह की श्रेणी में रखा गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) सिले-सिलाये परिधानों, इंजीनियरी माल, चमड़े का माल तथा तैयार चमड़े के क्षेत्र में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या इससे पहले के इसी विषय के अतारांकित प्रश्न संख्या 8584 दिनांक 28 अप्रैल, 1978 में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में एकत्र की जा रही है ।

(ग) सिले सिलाये परिधानों, इंजीनियरी माल तथा तैयार चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का व्यापार करने वाली निर्यात सदन प्रमाणपत्र शुदा निर्यातक फर्मों की संख्या 18-7-78 को निम्नोक्त है :—

1. सिले सिलाये परिधान	80
2. इंजीनियरी माल	76
3. चमड़े से बनी वस्तुएं	11

मानव कंकालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

923. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानव कंकालों के निर्यात पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मानव कंकालों के निर्यात के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) मानव काल के निर्यात की अनुमति गुणावगुण के आधार पर और विदेशी खरीदारों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है कि मानव कंकाल केवल जीवविज्ञान तथा आयुर्विज्ञान के लिए अपेक्षित हैं ।

करेंसी नोटों पर हुए मुद्रण में सिंधी भाषा को शामिल करना

924. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री करेंसी नोटों पर सिंधी भाषा में लेख के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि करेंसी और बैंक नोटों पर अरबी लिपि में सिंधी भाषा को शामिल करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और सरकार ने 6 फरवरी, 1978 जबकि बम्बई उच्च न्यायालय ने तत्संबंधी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी, के बाद इसके लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): 6 फरवरी, 1978 को बम्बई उच्च न्यायालय ने याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति दे दी क्योंकि आवेदक अर्थात् अखिल भारत सिन्धी बोली तथा साहित्य सभा की यह इच्छा थी कि वह आवश्यक सहायता के लिए सरकार के समक्ष अपना मामला रखे । तब से इस सम्बन्ध में सरकार के पास साहित्य सभा की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं पहुंचा ।

AEROPLANES WITH GOVERNMENT AND AIR-INDIA

925. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total number of aeroplanes with Government of India and Air India at present;

(b) the number of aeroplanes out of them, in service as also the number of those out of order; and

(c) whether, keeping in view the increasing demand of air services in the country, Governmnt propose to purchase new aeroplanes and if so, when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The total number of aeroplanes with the Units under the control of this Ministry is as follows :—

Civil Aviation Department	..	77
Air-India	..	15

(b) 29 planes with the Civil Aviation Department are in serviceable condition and 48 are unserviceable. All the aircraft in the fleet of Air-India are in serviceable condition.

(c) The Civil Aviation Department has no proposal to go in for new aircraft at present. Air-India have proposals to augment their capacity as also Indian Airlines. The type and number of aircraft to be purchased by the Corporations are yet to be decided.

SCHEME FOR DISTRIBUTION OF ESSENTIAL COMMODITIES TO THE POOR AND WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY

926. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the nature of scheme formulated by the Central Government to ensure regulated supply/distribution of essential goods to the poor, weaker and down-trodden sections of society in the country at fair prices;

(b) the outlines thereof and if there is no such scheme, the reasons therefor; and

(c) the number of States where arrangements exist for the supply of essential commodities at par and cheap prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) & (b). A scheme for the production and distribution of essential articles of mass consumption with reference to the requirements of weaker sections, has been finalised by the Ministry, in consultation with the State Governments, the concerned Central Ministries and the Planning Commission for the consideration of the Cabinet.

(c) Arrangements already exist in all the States for supply of essential commodities like wheat, rice, levy sugar, kerosene, soft-coke and controlled cloth at rates prescribed by the Government.

CONSTRUCTION OF AERODROME IN NANDED DISTRICT (MAHARASHTRA)

927. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether an aerodrome has been constructed by Maharashtra Government in Nanded district;

(b) the capacity of this aerodrome, the facilities available and the types of aircrafts which can land there;

(c) whether at the time of development of this aerodrome the building of Home Guards and Ayurvedic College was demolished to provide a site for it, and

(d) whether Government have a proposal to start air services from the aerodrome after developing it; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir. The Government of Maharashtra constructed an aerodrome at Nanded.

(b) The aerodrome at Nanded has a runway of 4100' × 150' (Mecadam) which is suitable for operations with DC-3 (Dakota) or similar type of aircraft.

Information regarding the facilities available at Nanded aerodrome is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) A State Government building in which a Government Ayurvedic College was earlier located was given to Home Guards for use as its training centre and office in 1974 at Nanded. In December 1975, the Executive Engineer Buildings and Communications Department, Nanded requested the Home Guards authorities to vacate the building as it was required to be demolished since it came within the flying distance of planes using the aerodrome. The building was accordingly vacated by the Home Guards authorities in February 1976 and possession was given to the Executive Engineer. The building was subsequently demolished.

(d) No, Sir. Neither Indian Airlines nor any non-scheduled operator has evinced interest in operation of air services to Nanded.

पकड़े गये तस्करी के सामान का निपटान

928. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री गणनाथ प्रधान } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन आरम्भ होने के समय से लेकर जून, 1978 तक पकड़े गये तस्करी के माल का कुल मूल्य कितना है;

(ख) देश में अधिकांश किन वस्तुओं की तस्करी होती है; और

(ग) सरकार का विचार इस निषिद्ध माल का निपटान किस प्रकार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि 1 अप्रैल 1977 से 30 जून 1978 तक की अवधि के दौरान लगभग 40.49* करोड़ रु० मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया था।

(ख) देश में चोरी-छिपे लायी जाने वाली तस्करी की मुख्य वस्तुएं हैं--सोना, घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र तथा हीरे।

(ग) जब्त किये गये तस्करी के माल के निपटान का तरीका नीचे दिया गया है।

सोना और चांदी:

सरकारी टकसाल में जमा कर दिये जाते हैं।

भारतीय और विदेशी मुद्रा:

रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाती है।

व्यापारिक माल:

रसायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर-गाड़ियों के पुर्जों आदि जैसा व्यापारिक माल का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है।

यान:

जलपोत और वाहन आदि जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। सरकारी विभागों के लिये उपयुक्त जलपोत और भारतीय गाड़ियों का विभागीय तौर पर विनियोजन किया जाता है।

हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न:

बिना पालिश किये और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लायसेंसधारियों को नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसों में मुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किये रत्न और उपरत्न नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।

बन्दूकें, पिस्तोलें आदि और गोला बारूद:

(1) .38 और .32 बोर रिवाल्वरों/पिस्तौलों और उनके गोला बारूद से भिन्न बन्दूकें, पिस्तौलें आदि और गोला बारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाता है:—

(क) स्टेन-गनें गृह मंत्रालय से लेने के लिये कहा जाता है और जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती है, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं।

(ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला-बारूद का निपटान रक्षा मंत्रालय के आयुध निर्माण कारखानों को किया जाता है।

(ग) देशी-मेक के क्रूड हथियार, केन्द्रीय जांच ब्यूरों को उनके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिये दिये जाते हैं।

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) अन्य सभी हथियारों, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, और उनके गोला बारूद का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है।

(2) .38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलें और उनके गोला-बारूद विभागीय उपयोग के लिये रख लिये जाते हैं।

प्राचीन वस्तुएं :

प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं, जिससे वे उनकी विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दें अथवा यदि आवश्यक समझें तो अन्य तरीके से निपटान कर दें।

जब्त किये गये यात्री असबाब में छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी गई (सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न) तरह-तरह की वस्तुएं :

इन वस्तुओं का निपटान सीमाशुल्क गृहों द्वारा किया जाता है।

भारतीय मूल की वस्तुएं :

जंगली जानवरों की खालों को छोड़कर भारतीयमूल की वस्तुएं नीलामी से अथवा खुदरा बेची जाती हैं। परन्तु जंगली जानवरों की खालों का निपटान सांकेतिक मूल्य पर शैक्षिक संस्थाओं, संग्रहालयों, सेना आदि को किया जाता है।

धातु और विकिरण सूत :

बुनकर सहकारी समितियों और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचा जाता है।

संश्लिष्ट टैक्सटाइल :

भारत से बाहर पुनः निर्यात किया जाता है।

शराब :

भारत पर्यटन विकास निगम को, उनके आयात कोटे के प्रति और सामान्य शर्तों पर बेची जाती है।

घड़ियां :

एच० एम० टी० को सौंपी जाती हैं।

इलैक्ट्रानिकी माल :

गणित्र और टेपरिकार्डर सरकारी विभागों को सरकारी प्रयोग के लिये और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को लेने के लिए कहा जाता है। दूरदर्शन सेट अस्पतालों को बेचे जाते हैं।

हीरे :

बिना पालिश किये और बिना तराशे हीरे आयात लायसेंस धारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और जो उनके लायसेंसों में मुजरे होंगे। तराशे हुए और पालिश किये हीरे केवल निर्यात के लिये बेचे जाते हैं।

शीघ्र नष्ट या खराब होने वाली वस्तुएं :

सिगरेट जैसी जल्दी खराब या नष्ट होने वाली वस्तुएं, पकड़े जाने के बाद, तत्काल, भारत पर्यटन विकास निगम और एयर इण्डिया को दी जाती हैं।

इंडियन एयरलाईस उड़ान संख्या 285 को मद्रास तक बढ़ाना

929. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों को निरन्तर की जा रही इस जोरदार मांग की जानकारी है कि आई० ए० सी० उड़ान संख्या 285 को मद्रास तक बढ़ाया जाये; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की वर्तमान प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मद्रास-कार निकौबार-पोर्टब्लेयर तक तथा वापसी वाला एक नया मार्ग चालू करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामला विचाराधीन है।

अण्डमान द्वीप में विमान पट्टी का विस्तार किया जाना

930. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाली गंज की ओर विमान पट्टी का विस्तार किये जाने के बारे में अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि बढ़े हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे के लांज में अपर्याप्त प्रबन्ध है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। उत्तर-पूर्वी दिशा में रन-वे के विस्तार के लिये तैयार किये गये व्ययानुमान पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और अधिक "हैंडलिंग" सुविधाओं की व्यवस्था और मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार की योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं।

खाद्यान और खाद्य पदार्थों का मूल्य सू

931. **डॉ० बलदेव प्रकाश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, 1978 में खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों का खुदरा मूल्य सूचकांक क्या था और वर्ष 1977 के इन्हीं महीनों में क्या था;

(ख) क्या मूल्यों में कोई वृद्धि हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) औद्योगिक मजदूरों तथा खेतिहर श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर मई, 1977 तथा मई, 1978—अद्यतन माह जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, में खाद्य वस्तु समूह, जिसमें प्रमुख रूप से अनाज और अनाज उत्पाद, दालें तथा दाल उत्पाद, तेल तथा वसा, गोश्त, मछली आदि, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, मसाले, सब्जियां और फल तथा अन्य खाद्य वस्तुएं शामिल हैं, के खुदरा मूल्य सूचकांक निम्न प्रकार थे। खाद्य पदार्थों के अलग-अलग सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं :—

औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100)		खेतिहर मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960-61=100)	
मई, 1977	मई, 1978	मई, 1977	मई, 1978
339	338	338	332

(ख) उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तु समूह के बारे में खुदरा मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अफीम उत्पादकों को लाइसेंस देने के लिये सिद्धान्त :

932. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफीम उत्पादकों को लाइसेंस देने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करते समय अफीम का उत्पादन, स्थान की जलवायु, औसत उत्पादन तथा उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन आदि को ध्यान में रखती है;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंस सम्बन्धी सिद्धान्तों में अनेक त्रुटियां हैं जिनको इनमें कुछ परिवर्तन लाकर दूर किया जा सकता है तथा जिसके लिए सुझाव भी दिए गए हैं परन्तु इनको दूर नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सिद्धान्तों पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। इन पहलुओं के अतिरिक्त, सरकार निम्नलिखित अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखती है :—

(i) पोस्त की काश्त के अन्तर्गत लाये जाने वाले कुल रकबे का निर्धारण करने के लिए, अफीम की घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग;

(ii) पोस्त की काश्त को निकटस्थ क्षेत्रों तक सीमित रखना जिससे उस पर निवारक नियंत्रण रखा जा सके;

(iii) बेईमानी और अकुशलता के अवसर कम से कम करने के लिए न्यूनतम अर्हता-प्रदायी उपज निश्चित करना;

(iv) जिन काश्तकारों की फसल पिछले वर्ष प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो गयी हो, उनके सम्बन्ध में अर्हताप्रदायी उपज में ढील देना।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखकर, अपनाये जाने वाले लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्तों पर चर्चा करने हेतु, प्रति वर्ष एक विभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों से और अफीम काश्तकारों से प्राप्त विचारों और सुझावों पर भी सम्मेलन में चर्चा की जाती है। सरकार, लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्त बनाने से पहले, सम्मेलन की सिफारिशों पर गौर करती है।

INCREASE IN PENSION AFTER RETIREMENT

933. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the demand of their employees for increase in pension after retirement;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) when the demand will be implemented ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Some proposals relating to the revision of pension formula are being examined.

(b) & (c) It would be premature to disclose the details.

रबड़ के उत्पादन में कमी

934. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 में गत वर्ष की तुलना में रबड़ के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण ह : प्रतिकूल मौसम, अक्तूबर 1977 में बागान कर्मचारियों की काफी व्यापक हड़ताल तथा वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान कतिपय बागानों में थोड़ी थोड़ी अवधियों के लिए छुटपुट हड़तालें।

हाथ में निर्यात आर्डर न रखने वाले निर्यातकर्ताओं को अग्रिम लाइसेंस देने की नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव

935. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथ में निर्यात आर्डर न रखने वाले निर्यातकर्ताओं को अग्रिम लाइसेंस देने की नीति पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और स्थानापन्न लाइसेंसों के बारे में नई नीति क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) उन निर्यात उत्पादों के संबंध में, जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए बनाई गई आयात-नीति के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे निर्यातकों को जिनके पास निर्यात आदेश नहीं हैं, अग्रिक (अग्रदाय) आयात लाइसेंस देने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

मजदूर संकठनों द्वारा भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन का विरोध

936. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मजदूर संगठनों के नाम क्या हैं जो वेतन, मूल्यों तथा आय संबंधी भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन के पूरी तरह से विरुद्ध हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अभी तक राष्ट्रीय स्तर की निम्नलिखित ट्रेड यूनियनों ने यह बताया है कि वे रिपोर्ट का विरोध करते हैं :—

(1) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(2) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(3) युनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(4) भारतीय मजदूर संघ ।

(5) सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन ।

(6) युनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(7) नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन ।

NON-OFFICIAL DELEGATION SENT ABROAD

937. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number and the names of delegates of non-official delegations sent abroad, country-wise, from March 1977 to March, 1978 and the expenditure incurred thereon;

(b) the number with names of delegates of the delegations sent abroad country-wise, after the proregation of the last Budget Session and the Government expenditure estimated thereon; and

(c) the criteria followed in nomination of members for the delegation ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

वाणिज्य सचिव के नेतृव में उच्च अधिकारियों के एक दल की जापान यात्रा

938. **श्री एस० जी० मरुगय्यन**
श्री डी० अमात } : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के दीर्घकालिक कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार करने के लिए वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने जापान की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जापान सरकार के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत करने के लिए 12-15 जून, 1978 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल जापान गया था। इन वार्ताओं का उद्देश्य आर्थिक सहयोग के किसी दीर्घावधि कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार करना नहीं था। जापान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है परन्तु कई वर्षों से द्विपक्षीय व्यापार की समस्याओं की संयुक्त सरकारी स्तर पर कोई समीक्षा नहीं की गई थी। जून, 1978 में हुई बातचीत इस प्रकार की समीक्षा और चर्चा थी जो द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के उपायों के लिए अपेक्षित होती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान से अनुरोध किया कि वह भारतीय विनिर्मित वस्तुओं और साकिधत माल को, विशेष रूप से इंजीनियरी तथा रासायनिक वस्तुओं को जापानी बाजारों में अधिक से अधिक मंगाये और भारत को जटिल प्रौद्योगिकी का अंतरण करे। यह सुझाव भी दिया गया कि मछली पकड़ने के संबंध में भारत-जापान संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का और आगे पता लगाया जाना चाहिए। जापान ने भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और तीसरे देशों में भारत-जापान संयुक्त उद्यम स्थापित करने का स्वागत किया। वे जापान के विदेशी व्यापार संगठन के माध्यम से हमारे गैर-परम्परागत माल के लिए बाजारों के विकास में सहायता देने पर सहमत थे। जापान ने भारत के साथ औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल भेजने का वचन भी दिया है।

मद्यनिषेध के कारण पर्यटन के विकास में कमी

939. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की मद्यनिषेध नीति ने देश में पर्यटन के विकास पर गम्भीर प्रभाव डाला है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप आने वाले पर्यटकों की संख्या में और मद्यनिषेध वाले क्षेत्रों में स्थित होटलों की आय में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) इस संबंध में अभी इतना जल्दी अनुमान लगा सकना संभव नहीं है।

अप्रैल से जून, 1978 तक की अवधि के दौरान 1977 की इसी अवधि की तुलना में 17897 –पर्यटक अधिक आए अर्थात् इनमें 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

खाद्यान्नों, खाद्य तेलों तथा दालों की सप्लाई

940. **श्री सरतकार :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों, खाद्य तेलों तथा दालों की सप्लाई में वृद्धि करने और भंडारों को सुरक्षित रखने के लिये कोई निर्णय किया है अथवा कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय/नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) जहां तक अनाज का संबंध है, गेहूं का काफी बफर स्टाक होने के कारण आपूर्ति की स्थिति बहुत अच्छी है और राज्यों की पूरी मांग की पूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उसका प्रसार करने का अनुरोध किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। इस तथ्य के बावजूद कि बहुत बड़ा स्टाक सी० ए० पी० भण्डार (कवर तथा प्लिन्थ) में रखा जाता है और भण्डार में माल काफी समय से रखा रहता है, हानियां उचित हद तक सीमित रही हैं। भण्डारों में होने वाली हानि को न्यूनतम रखने हेतु सभी सम्भव प्रयास करने के लिए भारतीय खाद्य निगम पूरी निगरानी रख रहा है।

जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, इनकी आपूर्ति स्थिति ठीक बनाने के लिए आयात में उदारता बरती गई है और अधिकांश तिलहनों/तेलों को आयात के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। लगभग 9.50 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात करने का प्रस्ताव है। राज्य व्यापार निगम के पास अपने भंडार हैं तथा किराए पर भी और भंडार लिए जाते हैं। राज्य व्यापार निगम ने अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। सीधी खपत के लिए निजी व्यापारियों को भी खाद्य तेल आयात करने की अनुमति दी जायेगी।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० से कमी के मौसम में वितरण के लिए मूंगफली के तेल का 75000 मीटरी टन बफर स्टाक बनाने के लिए वाणिज्यक आधार पर खरीदारी करने को कहा गया है। साथ ही यह ध्यान रखने को कहा गया है कि वे इस बारे में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करें और इस बात का ध्यान रखें कि मूल्य अधिक न बढ़े। नेफेड ने मूंगफली तथा मूंगफली के तेल का 13,000 मीटरी टन का भंडार बना लिया है।

जहां तक दालों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने 'नेफेड' तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से कहा है कि वे विवेकपूर्ण ढंग से बाजार में प्रवेश करके रबी की दालों की अधिक से अधिक खरीद करें। उन्होंने अब तक 42,000 मीटरी टन स्टाक जमा कर लिया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 7/- रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिष्कृत तेल वितरित करने की एक योजना चलाई जा रही है। अनाज का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों द्वारा खरीदी गई दालों का वितरण सहकारी समितियों और राज्य नागरिक पूर्ति निगमों के माध्यम से किया जा रहा है।

RAISING OF MONTHLY PAY OF CLASS IV EMPLOYEES

941. SHRI SARAT KAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of raising the monthly pay of class IV employees;

(b) if not, the reasons therefor; and whether Government's attention has been drawn by the class IV employees to the need for giving special allowance to them in addition to the monthly pay; and

(c) if not, whether Government propose to pay increased dearness allowance to them and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) The present wage structure of Central Government employees, including Class IV (now Group 'D') employees, is based on the recommendations of the Third Pay Commission which had taken into account various relevant factors including duties and responsibilities of each post, the difficulty and complexity of the duties to be performed, the degree of supervision exercised, qualifications prescribed etc. The Commission had recommended the scale of Rs. 185-2-193-3-205-EB-3-220 for the lowest category of class IV (Group 'D') employees. Government, however, decided to improve the scale to Rs. 196-3-220-EB-3-232. Similar corresponding improvements were also made in the pay scales of higher categories of Group 'D' employees. There is no proposal for further improvement of the scales of pay of these employees.

No representation has been received from the Class IV (Group 'D') employees demanding special allowance. There is also no proposal to pay increased dearness allowance to Group 'D' employees.

विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

942. **श्री अनन्त दवे** : क्या **पयटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोइंग विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। जिन परिस्थितियों में 1-1-1978 को बम्बई के निकट एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान की दुर्घटना हुई, उनकी जांच करने के लिए नियुक्त की गयी जांच अदालत के कार्यकाल की अवधि को 31 अगस्त, 1978 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में पर्यटकों के लिये सम्भाव्य मार्किटों का उपयोग करना

943. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशों के नाम क्या हैं जहां भारत ने संभाव्य मार्किटों का उपयोग करने के लिए पर्यटक कार्यालय खोले हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : विदेशों में भारत सरकार के 18 पर्यटन कार्यालय हैं; अर्थात् तीन यू० एस० ए० में, दो आस्ट्रेलिया में तथा एक-एक कनाडा, यू० के०, स्विटजरलैण्ड, फ्रांस, वैस्ट जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, बेलजियम, स्वीडन, जापान, थाइलैण्ड, सिंगापुर व कुवैत में। इन कार्यालयों की एक सूचि संलग्न है जिसमें उनके कार्य-क्षेत्र में आने वाले स्थानों के नाम भी सम्मिलित हैं।

विदेशों में स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों की सूची

1. न्यूयार्क 2. लांस एंजल्स 3. शिकागो 4. टोरांटो	यू० एस०ए० कनाडा	"अमरीका अभियान" जिसके अन्तर्गत यू० एस० ए०, लैटिन अमरीका, कनाडा तथा कैरीबियन द्वीप समूह आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, न्यूयार्क इन कार्यालयों के कार्य-कलापों का अधीक्षण करता है।
5. लंदन	यू० के०	"यू० के० अभियान" जिसके अंतर्गत यू० के० तथा आयर आते हैं।	
6. जिनेवा	(स्विटज़रलैण्ड)	"यूरोप अभियान" जिसके अन्तर्गत महाद्वीपीय यूरोप आता है।	क्षेत्रीय निदेशक, जिनेवा इन कार्यालयों के कार्य-कलापों का अधीक्षण करता है।
7. पैरिस	(फ्रांस)		
8. फ्रेंकफर्ट	(वैस्ट जर्मनी)		
9. ब्रुसेल्स	(बेल्जियम)		
10. स्टॉकहोम	(स्वीडन)		
11. वियाना	(आस्ट्रेलिया)		
12. मिलान	(इटली)		
13. सिडनी 14. पर्थ	(आस्ट्रेलिया)	"आस्ट्रेलिया अभियान" जिसके अंतर्गत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फ़िजी द्वीपसमूह, सिंगापुर, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, सिडनी इन कार्यालयों के कार्य कलापों का अधीक्षण करता है
15. सिंगापुर	(सिंगापुर)		
16. टोकियो 17. बैंकाक	(जापान) (थाइलैण्ड)	"पूर्वी एशिया अभियान" जिसके अंतर्गत जापान, फिलिपाइन्स, हांगकांग तथा थाइलैण्ड आते हैं	क्षेत्रीय निदेशक, टोकियो इन कार्यालयों के कार्य-कलापों का अधीक्षण करता है।
18. कुवैत	(कुवैत)	"पश्चिम एशिया अभियान" जिसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया के देश आते हैं।	

इसके अलावा, उपर्युक्त कुछ कार्यालयों से संबद्ध पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी यू० एस० ए० में वाशिंगटन डी० सी०, मियामी, डलास तथा सान फ्रांसिस्को में और तेहरान (ईरान), मेल्बौर्न (आस्ट्रेलिया) तथा ओसाका (जापान) में तैनात हैं।

एयर बस एयर क्राफ्ट के लिये पायलटों की कमी

944. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो अतिरिक्त विमानों, जिनके लिए मार्च में आर्डर दिया गया था, की तत्काल प्राप्ति के कारण इंडियन एयरलाइन्स को अपने एयर बस एयर क्राफ्ट के लिए पायलटों की अस्थायी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान पायलटों को एयर बस पर लगाने में कुछ कठिनाइयां हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली से पटना/रांची जाने वाली सवेरे की उड़ान संख्या 409 में खराब विमान

945. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1978 को दिल्ली से पटना तथा राँची जाने वाली सवेरे की उड़ान संख्या 409 को रद्द करना पड़ा क्योंकि विमान में कुछ खराबी थी ;

(ख) क्या यह उड़ान उसी विमान से 3 बजे मध्याह्न पश्चात् आरंभ की गयी जिसमें पुनः गम्भीर खराबी पैदा हो गयी और उसे हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा तथा उसमें यात्री हांफ रहे थे और केबिन अत्यधिक गर्म हो गया था ; और

(ग) विमान ठीक है कि नहीं, इस बात की जांच किए बिना विमान को उड़ान पर लगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, हां। सहायक पावर यूनिट के खराब हो जाने के कारण उड़ान में विलम्ब हुआ था।

(ख) जी, नहीं। 1445 बजे एक दूसरे विमान ने उड़ान को पुनः आरम्भ किया परन्तु दाबानुकूलन खराब हो जाने (Pressurisation failure) के कारण उसे अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। दाबानुकूलन खराब हो जाने पर विमान में यात्रियों के लिए अपने आप ही आक्सीजन उपलब्ध हो जाने की व्यवस्था है जिसका यात्रियों द्वारा उपयोग किया गया। ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों को कुछ वे असुविधा का हो जाना अनिवार्य हो जाता है तथा केबिन प्रेशर भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। तथापि सुरक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) मामले की जांच की जा रही है

8—313LSS/78

सोने की नीलामी की योजना का सोने के मूल्यों पर प्रभाव

946. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना नीलाम करने के सरकार की योजना का देश में सोने के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सोने के मूल्य में कमी करना अथवा सोने के मूल्य को किसी विशेष स्तर पर स्थिर करना सरकार की स्वर्ण बिक्री-नीति का लक्ष्य नहीं है। सरकार द्वारा की जाने वाली सोने की बिक्री व्यवस्था, सोने के तस्कर व्यापार की बुराई से निपटने के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों में सहायता करने की दृष्टि से एक आर्थिक उपाय के रूप में की गई है। सोने की बिक्री से देश में होने वाले सोने के तस्कर-आयात को रोकने में सहायता मिली है। सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद, सोना बेचने की कार्यवाही के शुरू होने के समय से भारत में सोने के मूल्यों में कुछ कमी आने की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली के कर्मचारियों की बर्खास्तगी

947. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार, नई दिल्ली के बहुत से कर्मचारी सेवा से हटा दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1977 और 30 जून, 1978 को कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या थी और कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और किन कारणों से ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क विभागों में सुधार के लिये प्रस्ताव

948. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और उत्पादनशुल्क विभागों में सुधार करने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में अभी कुछ समय पूर्व ही कई उपाय किए गए हैं तथा कई और किए जा रहे हैं। वर्तमान केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के स्थान पर एक व्यापक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा भी विभाग के

कार्यचालन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए जाने तथा अपनी सिफारिशें दिए जाने की आशा है, जिन पर, विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।

IRREGULARITIES COMMITTED BY HIGHER OFFICERS OF BANK NOTE PRESS DEWAS

†949. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints of corrupt practices and various kinds of irregularities committed by higher officers of Bank Note Press, Dewas and if so, the number of complaints received so far during the last three years;

(b) the number of complaints out of them, received from unions, employees and other persons and their names and the details of complaints received; and

(c) whether Government have conducted any inquiry against those officers of the Bank Note Press, Dewas in respect of whom complaints have been received and if so, the names of the agencies through which inquiry has been conducted and the outcome of these inquiries and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) to (c) Since December, 1975 Government have received a number of complaints from Bank Note Press Karmchari Sangh, Dewas, and S/Shri Ajay Singh, Rajkumar Kapoor and P. C. Joshi, employees of the Bank Note Press, Dewas, alleging irregularities in appointments and promotions. The allegations were inquired into departmentally and were found to be baseless. The cases of these three employees were, however, taken up by the Karmchari Sangh as industrial disputes, which were seized in conciliation and are presently with the labour machinery or being adjudicated by the Industrial Tribunal. The outcome is still awaited.

Since April, 1977 allegations of corrupt practices and other irregularities in the matter of purchases etc. against the officers of Bank Note Press have been received. Some anonymous complaints regarding delay in payment were enquired into dpartmentally but were not substantiated. Certain other complaints regarding irregularities in the matter of purchases, etc. are under investigation. It will not be appropriate to give details with regard to these complaints at this stage.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में जेम्सराज समिति का प्रतिवेदन

950. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र स्थित बैंकों संबंधी जेम्स राज समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जेम्स राज समिति ने, जिसकी नियुक्ति सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी अप्रैल, 1978 में रिजर्व बैंक को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (घ) रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों की पूंजी का भारतीयकरण

951. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग चाय कंपनियों की पूंजी का भारतीयकरण करने के मामलों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) अभी तक 21 स्टर्लिंग चाय बागान कम्पनियों के भारतीयकरण के प्रस्तावों को, जिसमें दो मामल सीधी बिक्री के हैं, अनुमोदित कर दिया गया है। उन स्टर्लिंग चाय बागान कम्पनियों की संख्या 55 है जिनके मामलों पर निर्णय करना अभी बाकी है। इनमें से 27 मामले ऐसे हैं जो विचार के अन्तिम दौर में हैं और उन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा । शेष 28 मामलों के भी अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाया जाना

952. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
श्री बी० जी० हांडे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ण मंहगाई भत्ता अथवा उसका एक भाग, जो तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मूल्य सूचकांक के 272 के स्तर पर पहुंचने पर सरकारी कर्मचारियों को देय है, मूल वेतन में मिलाने के प्रश्न पर संयुक्त परामर्शदात्री अवस्था में सरकार और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत असफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो अनिर्णीत मतभेदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में समझौता करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष द्वारा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कम से कम सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए, 272 के सूचकांक औसत स्तर तक मंजूर किए गए मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की मांग की गई थी। हाल ही में इस पर राष्ट्रीय परिषद् की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। यह मांग अब पंच निर्णय के लिए भेजी जाएगी।

स्वीडन से सहायता

953. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन हाल में भारत को 50.37 करोड़ रुपए (270 मिलियन एस० के० आर०) की सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार भारत द्वारा देय समूचे ऋण को बट्टे खाते में डालने पर भी सहमत हो गई है, यदि हां, तो कुल कितना ऋण बट्टे खाते में डाला जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सहायता की पूर्ण राशि अनुदान के आधार पर है। इस सहायता का दस करोड़ स्वीडिश क्रोनर (18.66 करोड़ रुपए) का एक भाग स्वीडन से आयात के लिए है जबकि शेष राशि में से 650 लाख स्वीडिश क्रोनर (12.12 करोड़ रुपए) तकनीकी सहायता के लिए है और शेष राशि विश्व के किसी भी देश से आयात के लिए है।

(ग) स्वीडन की सरकार, विकास ऋणों से संबंधित 30 जून, 1978 तक की बकाया कर्ज की राशि को रद्द करने के लिए सहमत हो गई है। पूर्ववर्ती विकास ऋणों के अन्तर्गत मूलधन की वापसी अदायगी, ब्याज और सेवा प्रभारों की अदायगी संबंधी सभी वित्तीय दायित्व जिनकी अदायगी भारत सरकार ने करनी है, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार स्वीडन सरकार भारत के वित्तीय दायित्व की जितनी भी राशि माफ करेगी वह उसकी सूचना भारत सरकार को पहली अक्तूबर, 1978 से पहले दे देगी। फिर भी जितने ऋण को रद्द कर दिया गया है उसका अस्थाई अनुमान 100.74 करोड़ रुपए (54 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) है।

डा० धर्म तेजा के भाग निकलने के बारे में जांच

954. **डा० बलदेव प्रकाश**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० धर्म तेजा के एयर इंडिया के विमान द्वारा अवैध रूप से भाग जाने की परिस्थितियों के बारे में जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है। डा० धर्म तेजा ने एयर इंडिया के विमान से यात्रा नहीं की।

(ख) मामले की जांच करने के बाद ही परिणाम का पता लग सकेगा।

विदेश से विमान टिकट प्राप्त कर डा० धर्म तेजा का भाग निकलना

955. **श्री ईश्वर चौधरी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा ने विदेश से विमान टिकट प्राप्त करने की व्यवस्था की जो अमरीकन एयर बस से यात्रा के लिए था और वह अपने पासपोर्ट पर विदेश चला गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे आयकर की एक बड़ी रकम का सरकार को भुगतान करना था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): (क) ऐसा समझा जाता है कि डा० तेजा ने मैसर्स इबेरियन एयरवेज द्वारा जारी किया गया विमान टिकट प्राप्त कर लिया

था। बाद में, मैसर्स एयर इंडिया ने इस टिकट को मैसर्स पानाम के पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया था। भारत छोड़ने की तारीख को, डा० तेजा के पास वैध पारपत्र था;

(ख) 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार, डा० तेजा की ओर आयकर की 4.87 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी।

(ग) डा० तेजा ने कर बेवाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही भारत छोड़ा था। एतदनुसार, आयकर विभाग ने कर बेवाकी प्रमाण-पत्र के बिना ही डा० तेजा को ले जाने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(2) के अधीन वायुयान कम्पनी अर्थात् मैसर्स पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(2) के अधीन मेसर्स एयर इंडिया को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है क्योंकि इस कम्पनी ने उक्त टिकट को मैसर्स पानाम के पक्ष में पृष्ठांकित किया था।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेल का आयात

956. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 तथा 1977 के दौरान खाद्य तेलों का कितना आयात किया गया ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान खाद्य तेलों के आयात संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम, जिसे पहले आयात के लिए कहा गया था, को पुनः खाद्य तेलों का आयात करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए जा रहे हरेक खाद्य तेल की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए खाद्य में तेलों का आयात नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	मात्रा
(जनवरी—दिसम्बर)	(मीटरी टनों में)
1976	1,76,343
1977	5,77,956

(ख) 1977-78 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए विभिन्न तेल निम्न प्रकार हैं :—

तेल	मात्रा (मीटरी टनों में)
सोयाबीन तेल	3,83,570
रेपसीड तेल	1,02,848
ताड़ का तेल	64,024
मूंगफली का तेल	17,310
जोड़	5,67,752

(ग) वनस्पति उद्योग तथा सीधी खपत, दोनों ही के लिए राज्य व्यापार निगम सरकार की ओर से खाद्य तेलों का आयात अभिकरण रहा है और अभी भी है । राज्य व्यापार निगम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करेगा, ताकि यह आवश्यक वस्तु भी आबाध रूप से सुलभ हो सके।

स्वर्णकारों को पुनर्वास हेतु दिये गए ऋण

957. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वर्णकारों को उनके पुनर्वास हेतु दिये गए ऋणों की शेष राशि बट्टे खाते में डालने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख) जी, हां । भारत सरकार ने एक यह निर्णय किया है कि स्वर्णकारों को ऋण देने के लिए राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों को मंजूर की गई, पुनर्वास ऋणों की बकाया रकमों को सामान्य रूप से बट्टेखाते डालने के आदेश दे दिए जाएं । ऋणों की अदायगी करने में स्वर्णकारों की असमर्थता को और कुछ राज्य सरकारों द्वारा वसूलियां करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है ।

भारत सरकार ने पहले ही राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों को 21 जून, 1978 को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे स्वर्णकारों की ओर बकाया पुनर्वास ऋणों की रकम को सामान्य रूप से बट्टेखाते डालने के आदेश जारी करें। भारत सरकार भी अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को इस प्रयोजन के लिए दिए गए ऋणों की बकाया रकम को बट्टे खाते डाल देगी ।

भारत सरकार द्वारा किए गए राहत संबंधी इस उपाय के कारण, राजकोष को, लगभग 5.7 करोड़ रुपए की हानि होगी और इस उपाय से बहुत से स्वर्णकारों को लाभ पहुंचने की आशा है ।

भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर लोगों की भावनाएं

958. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार को भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर लोगों की भावनाओं की जानकारी है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन पर क्रियान्वयन स्थगित कर देगी ? और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह मजदूर संघों की उस प्रतिवेदन को रद्द करने की मांग पर सहमत है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सरकार, रिपोर्ट के प्रति जनता के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया से अवगत है ?

(ख) और (ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

निर्यात-आयात नीति

959. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मई में घोषित नई निर्यात-आयात नीति में उसकी घोषणा से लेकर जनता के लिये अन्तिम रूप से प्रकाशन तक अनेक परिवर्तन हुए;

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या थे ;

(ग) क्या उन परिवर्तनों का अर्थ घोषित नीति में पर्याप्त परिवर्तन था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। 3 अप्रैल, 1978 को घोषित 1978-79 के लिए आयात-निर्यात नीति में 15 दिनों के लिए भीतर किए गए संशोधनों की कुल संख्या 17 है। इनमें से तीन के अतिरिक्त सभी या तो छपाई की गलतियों को ठीक करने के लिए थे अथवा अनजानी चूकों के लिए थे। यार्न के निर्यात, निटवियर (ऊनी तथा मिले जुले) तथा जूतों से संबंधित अन्य तीन संशोधन केवल स्पष्टीकरण के लिए थे। इनमें से किसी भी संशोधन से 3 अप्रैल, 1978 से लागू आयात-निर्यात नीति में मूल परिवर्तन नहीं हुआ। (1978-79 के लिए आयात-निर्यात नीति 3 अप्रैल, 1978 को घोषित की गई थी।)

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वनियोजित सुनारों के लिये नीलामी का सोना

960. **श्री ओ० बी० अलगेशन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक की गई सोने की नीलामी का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या इससे सोने के मूल्य कम करने में तथा सोने की तस्करी रोकने में मदद मिली है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि नीलाम किया गया सोना देश के विभिन्न भागों में स्वनियोजित सुनारों को जेवरात आदि बनाने के लिए मिल सके ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) अब तक की गई 6 नीलामियों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

क्र० सं०	नीलामी की तारीख	स्वीकृत बोलियों की संख्या	मात्रा (किलो ग्राम में)	औसत मूल्य (रुपये प्रति 10 ग्राम)	स्वीकृत बोलियों का कुल मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	3-5-78	229	492.6	633	3.12
2.	16-5-78	659	1559.4	635	10.07

1	2	3	4	5	6
3.	31-5-78	602	1220.4	636	7.91
4.	14-6-78	1002	1504.9	644	9.69
5.	28-7-78	1193	1619.9	646	10.47
6.	12-7-78	1100	1520.44	645	9.2

(ख) सोने के मूल्य में कमी लाना अथवा किसी विशेष स्तर पर सोने के मूल्य की स्थिर करना सरकार की स्वर्ण-बिक्री-नीति का लक्ष्य नहीं है। कानूनी माध्यम से शुरू कुछ स्थिर करना सोना सप्लाई करके तस्करी को रोकना ही लक्ष्य है ।

सोने की बिक्री के कारण देश में बड़े पैमाने पर होने वाले तस्कर-आयात को रोकने में सहायता मिली है। सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद भी, सोना बेचने की कार्यवाही के शुरु होने के साथ से भारत में सोने के मूल्यों में भी कमी आने की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचा जाने वाला सोना स्वनियोजित स्वर्णकारों तक भी पहुंचे, निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों से खरीदे गए सोने के एक व्यापारी द्वारा दूसरे लाइसेंस धारी व्यापारी को बेचे जाने पर 2 जून, 1978 को प्रतिबंध लगा दिया है । तथापि, ऐसा सोना आभूषण आदि बनाने के लिए एक बार में 100 ग्रा० तक केवल प्रमाणित स्वर्णकारों को बेचा जा सकता है अथवा वह सोना लाइसेंसधारी व्यापारियों द्वारा आभूषण आदि बनाने के लिए स्वयं प्रयोग में लाया जा सकता है।

(2) प्रमाणित स्वर्णकारों को, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों में, संयुक्त रूप से बोली लगाने की स्वीकृति दी जाती है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली सोने की नीलामियों की अवधि के बीच में देश में चुने हुए केन्द्रों पर स्वर्णकारों को निर्धारित मूल्य पर सोने की बिक्री करने के सम्बन्ध में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी मुद्रा रक्षित निधि

961. **श्री ओ० बी० अलगेशन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1978 को विदेशी मुद्रा रक्षित निधि कितनी थी;

(ख) गैर-सरकारी रूप से राशि भेजे जाने, पर्यटन, विदेशों में लगी पूंजी से आय आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वह कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए हमारी विदेशी मुद्रा रक्षित निधि का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 30 जून, 1978 को 4518.48 करोड़ रुपए की राशि थी ।

(ख) भारत के विदेशी लेनदेनों का ब्यौरा जिसमें गैर-सरकारी प्रेषणाएं, पर्यटन, विदेशों में किए गए निवेश से आय आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सूचना दी होती है, केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान शेष के आंकड़े तैयार करने का काम पूरा कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल यें आंकड़े जून 1976 के अन्त तक के ही उपलब्ध हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के मार्च 1978 के अंक में प्रकाशित कर दिए गए हैं।

(ग) सरकार, अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले मद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकने के विचार से विदेशी मुद्रा भंडार के कुछ हिस्से का उपयोग करने की सक्रिय नीति का पालन कर रही है ताकि वनस्पति तेलों, दालों, कपास और वस्त्रों के अन्य रेशों आदि जैसी कमी वाली आम खपत की वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात सुविधाजनक हो सके और ऐल्यूमीनियम, सीमेंट, कोकिंग कोयला आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की भारी कमी को पूरा करने के लिए आयात के द्वारा देश में इनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

दालों और खाद्य तेलों की वसूली

962. **श्री के० मालन्ना**
श्री एस० एस० सोमानी
श्री डी० बी० पाटिल } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक भाग के रूप में दालों का आरक्षित भंडार बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या खाद्यय तेलों की भी कुछ वसूली की गई है;

(ग) गैर सरकारी पार्टियों और राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दालों, खाद्य तेलों और वनस्पति के वितरण के बारे में क्या प्रबंध किए गए हैं जिससे उक्त वस्तुएं जनसाधारण को आसानी से उपलब्ध हो सकें ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जहां तक दालों का संबंध है, इनके आयात की सम्भावनाएं नगण्य हैं । आपूर्ति स्थिति कठिन होने से आन्तरिक आपूर्ति में से बफर स्टाक बनाना सम्भव न होगा तथा इससे मूल्य और बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी० सी० एफ०) से कहा गया है कि वे विवेकपूर्ण ढंग से बाजार में प्रवेश करें तथा अपने व्यापारिक कार्यों के अंग के रूप में दालों का कुछ स्टाक बनाएं । उन्होंने रबी की दालों का लगभग 42000 मीटरी टन स्टाक बना लिया है।

(ख) सरकार ने पूर्ति और मांग के अंतर को दूर करने के लिए अपेक्षित मात्रा में खाद्य तेल आयात करने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ ने सरकार की ओर से अपनी आंतरिक वसूली में से मूंगफली के तेल का लगभग 13000 मीटरी टन स्टाक बनाया है।

(ग) 3-7-1978 तक बम्बई बन्दरगाह पर निजी व्यापारियों ने तेल वर्ष के दौरान 4,32,077 मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात किया। राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1977-78 के दौरान 567752 मीटरी टन तेलों का आयात किया।

(घ) लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से 7 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर पहले ही परिष्कृत रेपसीड तेल का वितरण किया जा रहा है। वनस्पति घी उचित मूल्यों पर आबाध रूप से मिल रहा है। जहां तक दालों का संबध है, नेफेड और एन० सी० सी० एफ० द्वारा बनाए गए भंडारों का वितरण सहकारी समितियों और राज्य नागरिक पूर्ति निगमों के माध्यम से किया जाता है।

स्वर्णकार संघ से ज्ञापन

963. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णकार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को एक ज्ञापन देकर यह सुझाव दिया है कि स्वर्णकारों और आम व्यक्ति को सोना 'उचित मूल्य' पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और सोने की बिक्री करके सोने की तस्करी को कम किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या स्वर्णकार संघ ने सोने की बिक्री टेंडर व्यवस्था द्वारा करने का भी विरोध किया है और यह मांग की है कि उपयुक्त व्यवस्था करके सोना उसके द्वारा स्वर्णकारों और लोगों को बेचा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) स्वर्णकार संघ की मुख्य मांग यह है कि उन्हें देश में स्थित विभिन्न केन्द्रों से निश्चित दरों पर सोना बेचा जाना चाहिए। सरकार ने स्वर्णकारों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक द्वारा 2 जून, 1978 को जारी किए गए एक आदेश के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक के सोने से सम्बन्धित अन्तर व्यापारी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जो व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों में सोना खरीदते हैं, वे एक बार में 100 ग्राम तक का ऐसा सोना केवल प्रमाणित स्वर्णकारों को ही बेच सकते हैं अथवा स्वयं उस सोने में से बिक्री के लिए आभूषण बना सकते हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली पाक्षिक नीलामियों में स्वर्णकारों के समूह को, जिनमें पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं हों, संयुक्त बोलियां लगाने की अनुमति दी गई है।

(3) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन स्वर्णकारों की जिन सहकारी समितियों के पास बैध लाइसेंस हैं उन्हें नीलामियों में हिस्सा लेने योग्य समझा गया है।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों की अवधि के बीच देश में चुने हुए केन्द्रों से, निर्धारित मूल्यों पर स्वर्णकारों को थोड़ी मात्रा में सोने की बिक्री करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स हिन्दुजा ब्रादर्स को दिया गया कमीशन

964. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरान से लिए गए ऋण के संबंध में मैसर्स हिंदुजा ब्रादर्स अथवा उनके सहयोगी अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों तथा फर्मों को लगभग 20 लाख डालर का भारी कमीशन दिया गया था,

(ख) क्या उक्त हिन्दुजा ब्रादर्स ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार के एक सदस्य की अशोक ट्रेडिंग कंपनी के संयुक्त नाम से ईरान में खाता खोला है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त हिन्दुजा ब्रादर्स की बिटेन में अशोक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्म है जिसको ईरान से धन अन्तरित किया गया था तथा उसके खाते से 2 करोड़ रुपया पौंड स्टर्लिंग के रूप में निकाल कर वर्ष 1977 की प्रथम तिमाही में संजय गांधी को दिया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकार को इन मामलों की कोई जानकारी नहीं है।

विदेशी आस्तियों की खरीद और बिक्री

965. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें एक संसद सदस्य से यह जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार साम्य पूंजी में भारतीयों के अधिक सहयोग के मामले में विदेशी आस्तियों की खरीद और बिक्री करने में काफी कदाचार है ;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया था कि विदेशी कम्पनियों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सभी साम्य पूंजी की खरीद केवल सरकार द्वारा की जाए और उसके बाद सरकार उसे अपने स्वामित्व में ही रखे अथवा भारत में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्तियों को उसकी बिक्री की जाए, जिससे विदेशी मुद्रा में चोर बाजारी और काले धन के उपयोग पर रोक लग सकेगी;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कदाचारों में अभी हाल में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय सदस्य को एक उत्तर भेजा गया था जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी शेयरधारिता को समाप्त करने या उसमें कमी करने के ढंग के संबंध में अपनायी जाने वाली नीति को स्पष्ट किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न) और इस उत्तर में यह भी बताया गया था कि

इस नीति के अन्तर्गत अभिकथित कदाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, यह भी बताया गया था कि सरकार सारी विदेशी शेयरधारिता को खरीदना और बाद में इसकी नीलामी करना आवश्यक नहीं समझती और ऐसा करना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियम के अधीन विदेशी शेयरधारिता को कम करने के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति से संबंधित आलेख

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों को दिए गए निदेशों के अनुसार उन्ह अपने क्रियाकलाप के किस्म और स्वरूप पर निर्भर करते हुए अपनी अनिवासी शेयरधारिता को 74 प्रतिशत या 50 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत तक कम करना होगा। भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को अपने आपको ऐसी भारतीय कम्पनियों में बदलना होगा जिनमें विदेशी शेयरधारिता निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. विदेशी शेयरधारिता में कमी या तो विदेशी शेयरधारिता के निवेश को समाप्त कर अथवा भारतीय निवासियों को नए शेयर जारी कर या दोनों के उचित समिश्रण द्वारा की जाती है जो प्रत्येक मामले में उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

3. विदेशी शेयरधारिता के निवेश को समाप्त करने/उसमें कमी करने के ढंग के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति इस प्रकार है :—

(1) **सार्वजनिक निर्गम :** प्राथमिकता इस उपाय को दी जाती है कि एक विवरण पत्र के जरिए जनता द्वारा अभिदान दिए जाने के लिए शेयरों को पूंजी निवेश के लिए बाजार में रखा जाए (चाहे ये शेयर विदेशी शेयरधारिता का निवेश समाप्त करने से उद्भूत हुए हों या नए निर्गमों के कारण या दोनों के समिश्रण द्वारा)। अपने आपको भारतीय कम्पनियों में बदलने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के मामले में भारतीय कम्पनियों के शेयर जनता के लिए जारी करके भारतीयकरण करना आवश्यक होता है। उन कम्पनियों के मामले में भी सार्वजनिक अभिदान के लिए बाजार में शेयर रखने पर जोर दिया जाता है जो आज तो शेयर बाजार की सूची में नहीं हैं पर सार्वजनिक अंशदान के परिणाम स्वरूप सूचीबद्ध कम्पनियां बन जाएंगी।

(2) **अधिकार निर्गम :** यदि संबंधित विदेशी कम्पनियां पहले ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध हों और उनकी भारतीय शेयरधारिता पहले ही व्यापक रूप से फैली हुई हो तो कम्पनी के वर्तमान भारतीय शेयरधारियों को अधिकार निर्गम के रूप में शेयर दिए जाते हैं। शेयरों का उचित आरक्षण

करने के लिए अधिकार निर्गम के साथ साथ सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को आवंटन करने पर भी विचार किया जाता है ।

(3) सार्वजनिक और अधिकार निर्गम का समिश्रण : यदि प्रश्नोतर शेयर काफी मात्रा में हों, या यदि कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जानी हो तब अधिकार निर्गमों और सार्वजनिक निर्गमों का उचित समिश्रण निर्धारित किया जाता है ।

(4) कर्मचारियों के लिये आरक्षण : सभी मामलों में कम्पनी अथवा कम्पनी समूह के कर्मचारियों के किए उचित मात्रा में शेयरों का आरक्षण किया जाता है पर यह शर्त होती है कि प्रति व्यक्ति 200 शेयर (प्रत्येक 10 रु० के) से अधिक का आबंटत नहीं किया जाएगा और दो वर्षों के लिए शेयर अपरिवर्तनीय होंगे ।

(5) शेयर बाजार द्वारा बिक्री : यदि शेयरों की संख्या कम हो तो शेयर बाजार के माध्यम से उच्चतम निर्धारित कीमत के अन्तर्गत इनकी बिक्री की अनुमति दी जाती है ।

(6) अन्य बड़े शेयरधारी की बिक्री : यदि कम्पनी में केवल दो या कुछ ही शेयरधारी हैं और शेयरधारिता के अन्तरण के संबंध में लेन-देन कम्पनियों के किसी भारतीय प्रवर्तक द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लेन-देन की अनुमति दी जाती है क्योंकि इसमें न तो किसी बाहरी पक्ष को बिक्री होती है और/अथवा न ही कम्पनी के प्रबन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करना पड़ता है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की अनुमतियां इस प्रतिबन्ध सहित दी जाती हैं कि कम्पनी अधिनियम/एकाधिकारी तथा निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य रूप से जो अनुति अनुमतियाँ लेनी आवश्यक हों वह ली जाएंगी ।

(7) कारोबार के भागीदारों को आवंटन : यदि कम्पनी चाहे तो कम्पनी के कारोबार के भागीदारों को कुछ शेयरों का आबंटन किया जा सकता है और ये इस शर्त पर आबंटित किए जाएंगे कि किसी एक व्यक्ति को 200 से अधिक शेयर न दिए जाएं तथा इन शेयरों को 2 वर्ष की अवधि के लिए हस्तांतरित न किया जाए ।

4. इस प्रकार विदेशी शेयरधारिता के निवेश की समाप्ति उसमें कभी जनता को विवरण-पत्रिका के माध्यम से शेयर उपलब्ध कराके, वर्तमान भारतीय आवासी शेयरधारियों को अधिकार निर्गम देकर और सार्वजनिक वितीय संस्थाओं, कर्मचारियों तथा कारोबार के भागीदारों को पक्का आबंटन करके की जाती है किन्तु उन मामलों में जहां लेनदेनों का संबंध कंपनी के अन्दर ही भारतीय प्रवर्तकों/भागीदारों की विदेशी शेयराधारिता के निवेश को समाप्त करने से होता है वहां ऐसा नहीं किया जाता है । विदेशी शेयरधारिता को, खासतौर से काफी अधिक मात्रा वाली अथवा नियंत्रण की सामर्थय प्रदान करने वाली एकमुश्त शेयरधारिता की बिक्री किसी बाहरी पक्ष को निजी प्रबन्ध से करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

सामान्य बीमा निगम के विरुद्ध दायर किये गये मोटर दुर्घटनाओं के दावों के मामले तथा न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाये गये मामले

966. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-77 के दौरान भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों तथा कस्बों में स्थित न्यायाधिकरणों में भारतीय सामान्य बीमा निगम के विरुद्ध मोटर दुर्घटना के दावों के कितने मामले दर्ज किए गए और कितने निपटाये गए ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1977 को कितने मामले विचाराधीन थे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अलीपुर न्यायाधिकरण, कलकत्ता ने कितने मामले दर्ज किए और कितने निपटाये;

(घ) 31 दिसम्बर, 1977 को अलीपुर न्यायाधिकरण, कलकत्ता में कितने दावे विचाराधीन थे; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दावों का तेजी से निपटान करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, जैसे ही उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विचाराधीन दावों की संख्या 1513 है।

(ङ) यद्यपि बीमा कम्पनियां दावों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए भरसक प्रयत्न करती हैं तथापि बीमा पालिसी के अन्तर्गत बीमाकृत वस्तु की कानूनी देनदारी और दावे की रकम का निश्चय करने के लिए दुर्घटनाओं के संबंध में सूचना इकट्ठी करने में कुछ समय लग जाता है। ऐसी मोटर दुर्घटनाओं के मामले में, जिनमें अन्य पक्ष भी, शामिल हों, बहुत से दावेदार बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित निपटारे को मंजूर नहीं करते और वे मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करवाना चाहते हैं जिसमें निश्चय ही अधिक समय लगता है। तथापि बीमा कम्पनियां दावों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायाधिकरणों को हर संभव सहायता प्रदान करती हैं ।

फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक के रिकार्ड का रिजर्व बैंक के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण

967. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने हाल में फर्स्ट नेशनल सिटी बक के रिकार्ड का निरीक्षण किया था और बैंक द्वारा की गई बहुत सी उन अनधिकृत बातों का पता लगाया था जो विनमय नियंत्रण विनियमों, निर्यात वित्तीय साहयता नियमों, खाता प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती हैं और जिनसे उसने 'व्यय' के नामे डाली गई भारी राशि का दुरुपयोग किया; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सूचित किया है कि वह फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन से प्राप्त एक शिकायत की जांच कर रहा है जिसमें आरोप है कि सिटी बैंक झूठी सांवधिक जमा रसीदें आदि देकर आयकर की चोरी कर रहा है । यह जांच चल रही है ।

आशा है कि रिजर्व बैंक अपने निष्कर्षों के आधार पर समुचित कार्रवाई करेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति

968. **श्री वेदव्रत बरूआ**
श्री भगत राम } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी मामले में प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तियां सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती हैं। सरकार द्वारा इस विषय में निर्णय करने के लिये सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत के श्री वेदप्रकाश और श्रीमती कृष्णा रानी के धनकर और आयकर का निर्धारण

969. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज सोनीपत (हरियाणा) के पूंजी निदेश के बारे में 14 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वेद प्रकाश (जिसका नाम क्रम संख्या 2 पर दिखाया गया है) के धन के कर का निर्धारण किया गया है, यदि हां, तो कब से;

(ख) उसके धन का वर्षवार कितना मूल्य निर्धारित किया गया है तथा उसने आज तक वर्षवार कितना कर दिया है;

(ग) क्या श्रीमती कृष्णा रानी (जिसका नाम क्रम संख्या 1 पर दिखाया गया है) धनकर अथवा आयकर दे रही हैं, यदि हां, तो कब से ;

(घ) उस पर (श्रीमती कृष्णा रानी) आज तक इन दोनों करों का वर्षवार कितना निर्धारण किया गया है; और

(ङ) धन कर के निर्धारण के उद्देश्य से उसके (श्रीमती कृष्णा रानी) द्वारा बताए गए धन का वर्षवार कितना मूल्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) श्री वेद प्रकाश के धन कर का निर्धारण नहीं किया गया है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न लागू नहीं होता ।

(ग) श्रीमती कृष्णा रानी आयकर तथा धनकर दोनों की ही अदायगी कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से करती आ रही हैं ।

(घ) आयकर तथा धन कर के वर्षवार कर-निर्धारण निम्न प्रकार हैं :—

कर-निर्धारण वर्ष	आय जिस पर कर निर्धारण किया गया	कर	धन जिस पर कर निर्धारण किया गया	कर
	(रु० में)	(रु० में)	(रु० में)	(रु० में)
1968-69	18,810	2224	1,30,270	151
1969-70	15,500	1567	1,52,140	261
1970-71	16,080	1491 1672	1,70,620	353
1971-72	15,740		1,17,200	172
1972-73	17,130	1886	1,41,640	1416
1973-74	15,430	1467	62,700	—
1974-75	16,370	1831	1,24,700	1247
1975-76	27,400	5159	1,51,800	1518
1976-77 1977-78	अभी तक कर निर्धारण नहीं किया गया ।			

(ङ) धन कर विवरणियों में दिखाया गया धन निम्न प्रकार है :—

कर निर्धारण वर्ष	विवरणियों में दिखाया गया धन
1968-69	1,33,365.00
1969-70	1,53,675.00
1970-71	1,65,465.00
1971-72	1,17,195.00
1972-73	1,41,640.00
1973-74	62,660.00
1974-75	1,24,700.00
1975-76	1,51,800.00
1976-77 1977-78	यद्यपि धारा 14(2) के अधीन विवरणियां दाखिल करने के लिए 13-12-1976 तथा 7-10-1977 को दो नोटिस जारी किए थे फिर भी अभी तक विवरणियां दाखिल नहीं की गई हैं।

ADEQUATE AIR SERVICE FOR MADHYA PRADESH AND RAJASTHAN

970. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is a great need for the expansion of domestic air flights;

(b) whether Madhya Pradesh and Rajasthan are the most backward States as regard air services;

(c) whether one of the obstacles in the way of progress of these States is inadequate air service there; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The current air traffic requirements are fairly adequately met on the domestic network.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Air services to any place/area are generally introduced after assessing the air traffic potentiality of such places.

PROBLEMS FACED BY OPIUM GROWERS

971. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether memoranda have been submitted regarding the various problems being faced by the opium growers on behalf of the Opium Growers' Association. Partapgarh (Rajasthan) and the Opium Growers' Association, Manasa, Mandsaur district (Madhya Pradesh);

(b) if so, the main points raised therein; and

(c) the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Government have received a memorandum dated 10-10-1977 from the Afeem Utpadak Sangh, Manasa (M.P.) and also a memorandum dated 28-4-1978 from the Afeem Utpadak Krishak Sangh, Pratapgarh (Rajasthan).

(b) & (c) The points raised in the two memoranda and the action taken by the Government are as under :

Point raised	Action taken
(1)	(2)
1. The purchase price of opium tendered by the cultivators should be increased to Rs. 300/- per kg.	For the 1977-78 crop season the Government increased the slabrated price of opium by about 10% over the rice that had been paid during the 1976-77 crop season.
2. The licencing principles should be relaxed in respect of cultivators whose crop was damaged by plant diseases and natural calamities.	In the licensing principles for the 1977-78 crop season, necessary provision was made for issue of licences to cultivators whose crop had been damaged in the 1976-77 crop season.
3. Procedure for issue of ilicences to new cultivators should be simplified.	No specific suggestion has been made regarding the manner in which licences should be issue to the new cultivators. However, the existding procedure appears to be working satisfactorily.
4. The past performance of the cultivators should be taken into account while giving licences to the cultivators.	Licences are issued to cultivators on the basis of their past performance and the quantity of opium tendered by them in the previous crop season is an important relevant factor for eligivility for a licence.
5. Final classification of opium should be done in the presence of the cultivators.	At present the opium is provisionally classified at the weighment centres in the presence of the cultivator. 90% of the value of opium is paid to the cultivator on the spot and the balance is paid after final classification in the factories. Testin facilities which requier elaborate equipment cannot be provided at all the weighment centres nor can the farmers be expected to do over to the opium factories for being present at the time of testing.

1	2
6. Payment to cultivators should be made through cheques instead of in cash.	The suggestion is under examination.
7. The work of Opium Lambardars should behanded over to Gram Panchayats.	The suggestion is under examination.
8. The licences for poppy ultivation should be issued by committee consisting of the concerned M.L.As. And represenatatives of the growers.	The suggestion is under examination.
9. Control over poppy husk should be taken over by the Cenrtal Government.	These two points are the State subjects.
10. The rates of sales/purchase tax on opium should be uniform in the three opium growing States.	

स्वर्ण नीलामी प्रणाली को बदलने के बारे में ज्ञापन

972. श्री एस० राम गोपाल रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बुलियन एसोसिएशन ने सरकार को दिए अपने ज्ञापन में स्वर्ण नीलामी की वर्तमान प्रणाली को बदलने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि, हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बम्बई सराफा संघ ने अपने दिनांक 3 जुलाई, 1978 के अभ्यावेदन में, सरकार की स्वर्ण-बिक्री नीति का स्वागत करते हुए, सोने की बिक्री की वर्तमान योजना में कुछ सुधार करने के लिए सुझाव दिया है और उसने उक्त योजना की सफलता के लिए तथा सरकार की नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन कुछ अतिरिक्त उपाय करने की सिफारिश की है।

(ख) अब तक की गई नीलामियों के परिणामों की समीक्षा तथा प्राप्त किए गए, अनुभव के आधार पर, बिक्री की पद्धतियों में परिवर्तन किए जाते हैं। स्वर्णकारों को रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों की अवधि के बीच देश में चुने हुए केन्द्रों पर सोने की बिक्री की एक योजना की भी परिकल्पना की गई है।

बम्बई के स्वर्णकारों द्वारा सोने की नीलामी का बहिष्कार किया जाना

973. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के स्वर्णकारों ने सोने की चौथी नीलामी का बहिष्कार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) बम्बई के स्वर्णकारों के एक वर्ग ने 14 जून 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई के समक्ष उस समय विरोध प्रदर्शित किया, जब सोने की चौथी नीलामी की जा रही थी। संघ के प्रतिनिधियों ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निहित मुख्य मांग स्वर्णकारों को निर्धारित मूल्यों पर सोने की सीधी बिक्री करने के बारे में थी।

सरकार ने स्वर्णकारों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक 2 जून 1978 को जारी किए गए एक आदेश के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के सोने से सम्बन्धित अन्तर-व्यापारी लेनदेनों पर रोक लगा दी गई है । जो व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों में सोना खरीदते हैं, वे एक बार में 100 ग्राम तक का ऐसा सोना केवल प्रमाणित स्वर्णकारों को ही बेच सकते हैं अथवा स्वयं उस सोने में से बिक्री के लिए आभूषण बना सकते हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली पाक्षिक नीलामियों में स्वर्णकारों के समूहों को, जिनमें पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं हों, संयुक्त बोलियां लगाने की की अनुमति दी गई है ।

(iii) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन स्वर्णकारों की जिन सहकारी समितियों के पास वैध लाइसेंस हैं, उन्हें नीलामियों में हिस्सा लेने के योग्य समझा गया है ।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों की अवधि के बीच, देश में चुने हुए केन्द्रों से, निर्धारित मूल्यों पर स्वर्णकारों को थोड़ी मात्रा में सोने की बिक्री करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

मजूरी, आय तथा मूल्य के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

974. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री के० राममूर्ति
श्री अमर सिंह वी० राठवा
श्री धर्मवीर वशिष्ठ
श्री चित्त बसु
श्री पी० जी० मावलंकर
श्री सी० आर० महाटा
श्री अमर राय प्रधान
श्री उग्रसेन
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
श्री एफ० सी० गायकवाड़
श्री अर्जन सिंह भादौरिया
श्री सुधीर घोषाल

: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में अध्ययन दल ने मजूरी, आय तथा मूल्यों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशों की विस्तृत सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट ग पर दी गई है, जिसे पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

सहकारी समितियों तथा बीड़ी निर्माताओं द्वारा बीड़ी तम्बाकू की खरीद

975. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री अमर सिंह वी० राठवा } : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सहकारी समितियों तथा बीड़ी निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि तम्बाकू उत्पादकों के संकट को हल करने के लिए बीड़ी तम्बाकू की खरीद के लिए कुछ ऋण प्रदान किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार किसानों की सहायता के लिए भी बीड़ी तम्बाकू खरीदने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मई-जून, 1978 में बीड़ी तम्बाकू उपजकर्ताओं, सहकारी समितियों और बीड़ी तम्बाकू खरीदने वाली अन्य एजेंसियों तथा बीड़ी बनाने वालों के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान यह बताया गया था कि बीड़ी तम्बाकू की अधिक मात्रा में खरीद करने में ऋण की उपलब्धता से रुकावट आ रही थी ।

(ख) सरकार उन सहकारी समितियों अथवा राज्य एककों की ऋण की समस्याएं यदि कोई हों, तो उन्हें कम करने में सहायता करने के लिए तैयार है जो तम्बाकू उपजकर्ताओं से सीधे अपनी सामान्य खरीदारी के अलावा तम्बाकू की अतिरिक्त मात्रा खरीदना चाहते हैं । मंशा यह है कि ये एजेंसियां अपनी वाणिज्यिक सूझ बूझ के अनुसार और उन कीमतों से अधिक पर तम्बाकू खरीद सकें जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नाफेड) द्वारा अपने खरीद कार्यों के अन्तर्गत दी जानी है। यह खरीद कार्य नाफेड ने उपजकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए आरम्भ किया है जिसका उल्लेख अगले भाग (ग) के उत्तर में किया गया है ।

(ग) नाफेड को पहले ही कहा जा चुका है कि वह किसानों की सहायता करने के लिए 25,000 मे० टन गैर वर्जिनिया तम्बाकू खरीदे जिसमें बीड़ी तम्बाकू भी शामिल है ।

दिल्ली में जनता होटल में स्थान और टैरिफ की दरें

976. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बनाए जा रहे जनता होटल में स्थान और टैरिफ आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी ऐसे जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) दिल्ली स्थित 1250 शय्याओं वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास), में, जिसके कि 1980-81 के दौरान क्रमिक चरणों में चालू हो जाने की आशा है, 505 दो शय्याओं वाले कमरे तथा 60 चार-शय्याओं वाले पारिवारिक कमरे होंगे जिनके साथ संलग्न टायलेट भी होंगे। इनके अतिरिक्त इस होटल में एक रेस्टोरेंट-व-काफी शाप, एक स्पेशिएलिटी रेस्टोरैंट, एक शापिंग आर्केड, पर्यटन सूचना कार्यालय तथा एक मनोरंजन कक्ष भी होंगे। स्टैंडर्ड कमरे तथा विशेष वर्गों के लिए प्रारंभिक किरायों का समंजन इस प्रकार किया जाएगा कि औसत किराया प्रति शय्या प्रतिदिन 18/- रुपए बैठेगा।

(ख) और (ग) दिल्ली के अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भी जनता होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन में से प्रत्येक होटल के लिए धन-राशि का आवंटन, प्रत्येक यूनिट के संबंध में विस्तृत स्कीमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हुई।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से भारत को सहायता

977. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-76 की अवधि में भारत को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कितनी मात्रा में सहायता मिली है तथा परियोजनाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) वर्ष 1977-81 के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तरिम सहायता प्रस्ताव क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1972-1976 की पहली पंचवर्षीय अवधि के लिए 5 करोड़ डालर की निर्देशक आयोजना राशि की मंजूरी दी थी। इस राशि में से 1976 के अन्त तक 390 लाख डालर की राशि कृषि, सिचाई और विद्युत्, उद्योग और खनिज, परिवहन और संचार , शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान इलैक्ट्रानिक्स, विदेश व्यापार, श्रम कल्याण, शिल्पकारिता जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं पर खर्च की गई थी।

खर्च न की गई शेष 110 लाख डालर की राशि आगे ले जाई गई है और 1977 1981 की दूसरी पंचवर्षीय अवधि के लिए भारत के लिए अनुमोदित 970 लाख डालर की

निर्देशक आयोजना राशि में जोड़ दी गई है । इस प्रकार 1977-81 की पंचवर्षीय अवधि के लिए उपलब्ध सहायता की राशि 1080 लाख डालर है। इस 1080 लाख डालर की राशि में से चालू परियोजनाओं के संबंध में 680 लाख डालर की राशि के लिए वचनबद्धता अनुमोदित हो चुकी है और कुछ परियोजनाएं जिनमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 130 लाख डालर की राशि के निवेश की परिकल्पना है व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पास अनुमोदन के लिए पड़ी है। इस प्रकार 1977-81 की अवधि में नए कार्यक्रमों के लिए 270 लाख डालर की रकम शेष रहती है जिसके लिए परियोजनाओं का पता लगाया जा रहा है।

RISE IN THE PRICES OF TEA, SWEETS AND OTHER THINGS PREPARED FROM SUGAR

978. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that though the prices of sugar have registered considerable decrease during the current year as compared to that of the last year, the prices of sweets, tea and other things prepared from sugar are going up; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to check it and to bring down the prices of sweets, tea etc. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) During the past one year, based on the information furnished by States/UTs., the prices of sweets and tea have generally not shown any increase, though at a few places their prices have gone up marginally because of rise in the prices of some other ingredients like suji, maida, milk, ghee, pulses, tea leaves and dry fruits.

(b) There is no statutory control on the prices of tea and sweets and other products prepared from sugar. Increase of their production is the only means of containing their prices.

REDUCTION IN AIR FARE BY BRITISH AIRWAYS AFFECT INDIAN AIR SERVICES

979. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Wiill the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the British Airways have reduced the rates of fare;

(b) if so, how it will affect the Indian air services; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to meet the situation ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) British Airways have recently introduced excursion fares for travel between U.K., Poland, France, Italy, Belgium and Czechoslovakia on one hand and Indian on the other.

(b) Air India have also established similar excursion fares.

(c) Does not arise.

SALE OF GOLD FOR BRINGING DOWN PRICE OF GOLD

930. SHRI ANANT RAM JASWAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the decision to sell gold through auction was taken by the Reserve Bank of India with a view to check gold smuggling;

(b) if so, the date on which the first auction was held and what was the sale price of gold per ten grammes in the bullion markets of Bombay on that day and what was the average price of gold per ten gram sold in the auction and the quantity of gold auctioned;

(c) the dates on which such auctions were held by the Reserve Bank of India and what was the sale price of gold per ten gram on these dates and the average price of gold per ten gram at which it was sold to the buyers by the Bank; and

(d) keeping in view that the gold prices have not fallen whether Government have under consideration any method of sale of gold for bringing down the sale price of gold ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The decision to sell gold through auctions by Reserve Bank of India on behalf of the Government, was taken by the Government as an economic measure to strengthen the preventive measures to tackle the evil of smuggling of gold into India.

(b) & (c) The details are given below :

Sl. No.	Date of auction	Price of gold in Bombay (Rs. 10 gms)	Average price on which gold sold (Rs. 10 gms.)	Quantity of gold sold in Kgs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3-5-78	690	633	492·6
2.	16-5-78	700	635	1559·4
3.	31-5-78	666	636	1220·4
4.	14-6-78	685	644	1504·0
5.	28-6-78	673	646	1618·9
6.	12-7-78	680	645	15203.4

(d) Reduction in the price of gold or pegging the price of gold at a particular level is not the objective of Government's Gold Sales Policy. The stock of gold already held in the country is so large and the demand for gold so great that release of gold from Government stock by itself cannot make a dent on gold prices.

The gold prices in India have also shown some tendency to fall since the commencement of gold sale operations in spite of the rising trend in international prices.

It may be stated that on the basis of the review of results of the auctions and experience gained, changes are being made from time to time in the methods of sales. A scheme for the sale of gold at a fixed price to goldsmiths at selected centres in the country, in between the Reserve Bank of India auctions, is under consideration of the Government.

DECLINE IN EXPORTS

981. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as compared to the increase of 27.2 per cent in exports during the first nine months of the financial year 1976-77 the increase during the corresponding period of the financial year was only 8.7 per cent;

(b) if so, the quantum and value of each exported commodities in the financial years 1976-77 and 1977-78, separately; and

(c) the reasons for decline in the value of the exported commodities as also the names of the commodities the quantum of export of which declined and the decline in each case ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, the growth rate of exports during the first 9 months April-December 1977 was 8.7%. The growth during April-December 1976 was 30%.

(b) A statistical table [Placed in Library. *See* No. L.T.—2435/78] indicating quantity and value figures of export of principal items during the year 1976-77 and for the first 8 months of 1977-78 as compared to the corresponding period of the previous year, is attached.

(c) The slow growth of export during 1977-78 was due to combination of factors viz. growing trends towards protectionism in the developed countries, continued recessionary situation in the world economy, lower unit value realisation fluctuations in dollar value and in the case of certain mass consumption items Government's deliberate policy to regulate their exports in the interest of domestic requirements.

Due to one or the other aforesaid factors, the principal items which suffered considerable decline in the value of their exports included sugar, oils/oilseed/oil cakes, cotton textiles, iron & steel, leather & leather manufactures, ores, raw cotton, cement and silver. Almost

all these items showed decline in their quantity as well. The quantity figures for these items are shown in the aforesaid table.

ECONOMY IN EXPENDITURE ON ENTERTAINMENT BY AIR INDIA

982. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that expenditure incurred on entertainment by Air India is increasing constantly resulting in decrease in the profit of the organisation in the same proportion;

(b) if so, the expenditure incurred on entertainment by Air India during the financial years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 separately; and

(c) whether Government will take any measures to effect economy in expenditure to be incurred under this head during the financial year 1978-79; and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The profitability of Air-India during the last few years has been increasing though there has been some increase in the quantum of expenditure on publicity entertainment.

(b) The expenditure incurred by Air-India on publicity entertainment during the financial years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is Rs. 1.32 crores, Rs. 1.60 crores and Rs. 1.65 crores respectively.

(c) The Government is taking steps to effect economy on this account. The expenditure during 1978-79 is likely to be less than that during 1977-78.

FINANCIAL ASSISTANCE TO EXPORTERS

983. SHRI ANANT RAM JAISWAL
SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the promoting of export of many commodities their exporters are given financial assistance/exemptions by Government;

(b) if so, the amount thereof in the financial years 1976-77 and 1977-78 separately and the estimated amount thereof for the year 1978-79;

(c) the names of the commodities for which assistance/exemptions were given during last financial year and the amount thereof given in each case; and

(d) whether any such Committee has been formed by Government to consider the question of reducing the assistance/exemptions for such exported commodities; and if so, when this Committee was constituted and the recommendations made thereof and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Cash compensatory support is allowed on export of specified products.

(b) The total amount disbursed as cash compensatory support during the year 1976-77, 1977-78 and the budget provision on this account for 1978-79 are given below :

1976-77	Rs. 226·62 crores	
1977-78	Rs. 311·28 crores	(Provisional)
1978-79	Rs. 233·00 crores	(Budget Provision.)

(c) The broad categories of products for which cash compensatory support was allowed during 1977-78 and the amount disbursed upto December, 1977 are given in the statement attached.

(d) There is a Standing Inter-Ministerial Committee to review the cash compensatory support rates. This Committee was constituted in June, 1974. This Committed meets as and when necessary and takes decision on the rates of cash compensatory support on the basis of certain fixed criteria.

Statement

Cash compensatory support disbursed during 1977-78 (April 77 to December-77) *on various Product Groups.*

(Commodity-wise break-up not available)

Sl. No.	Name of the Product Group	(Rs. in crores) Cash compensatory support paid
(1)	(2)	(3)
1.	Engineering goods	81·63
2.	Chemicals and Allied Products	20·40
3.	Plastic goods	2·11
4.	Sports goods	1·72
5.	Textiles, readymade garments, hosiery and knitwear	61·89
6.	Foods	10·00
7.	Fish and fresh products	0·44
8.	Jute manufactures	13·01
9.	Finished leather and leather manufactures	17·03
10.	Handicrafts	5·77
11.	Free Trade Zone—supplies to and transport subsidy	0·05
12.	Coir products	0·54
13.	De-oiled mango kernals	0·08
	TOTAL	214.67

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग द्वारा मोहन नगर (उत्तर प्रदेश) की कम्पनी मैसर्स मोहन मीकिन ब्रेवरीज पर लगाये गये जुर्माने को वसूल करना

984. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग ने उत्तर प्रदेश में मोहननगर की कम्पनी मैसर्स मोहन मीकिन ब्रेवरीज पर कार्बन डायोक्साइड का उत्पादन करने के कारण एक करोड़ रुपए का जुर्माना किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त राशि इस बीच वसूल कर ली है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके कार्बन डाइआक्साइड का उत्पादन करने के कारण उत्तर प्रदेश के मोहन नगर में स्थित मैसर्स मोहन मीकिन्स ब्रियूरीज पर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता, कानपुर द्वारा, अन्य बातों के साथ, एक करोड़ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया था।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने, पार्टी की अपील का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निपटान किए जाने तक, रकम की वसूली को स्थगित कर दिया है।

निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन व सुविधायें देने की योजना को सरल तथा युक्ति-युक्त बनाने का प्रस्ताव

985. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन तथा सुविधाओं संबंधी विद्यमान व्यवस्था पर कितना व्यय होता है और उसके क्या लाभ हैं ;

(ख) क्या इसे सरल और युक्तियुक्त बनाने के लिए योजना पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातों की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें उत्पाद संवर्धन, वस्तु विकास, निर्यात ऋण विकास, निर्यात विकास, संगठनों तथा विपणन विकास के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जाती है। 1977-78 में विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत हुआ कुल व्यय 324.60 करोड़ रु० (अनन्तिम) था।

(ख) तथा (ग) सम्भवतः संकेत इस विषय पर एलेक्जैन्डर समिति की सिफारिशों की ओर है। एलेक्जैन्डर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की जनता दुकानें

986. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की जनता दुकानें स्थापित किए जाने के बारे में योजनाएं पूरी हो गई हैं और ये दुकानें चालू हो गई हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक उचित दर की ऐसी जनता दुकानें कितनी-कितनी खोली गई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) ग्रामीण-क्षेत्रों में पहले ही 1.85 लाख उचित दर की दुकानें हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्राम खपत की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन-एवं-वितरण की योजना में, जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, यह प्रस्ताव है कि 7000 व इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव अथवा ग्राम समूह के लिए एक उचित दर की दुकान होगी, जिसके लिए योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	17671
2. असम	12618
3. बिहार	20869
4. गुजरात	6598
5. हरियाणा	3536
6. हिमाचल प्रदेश	2518
7. जम्मू तथा कश्मीर	901
8. कर्नाटक	11081
9. केरल	10011
10. मध्य प्रदेश	12973
11. महाराष्ट्र	21108
12 मणिपुर	402
13. मेघालय	1171
14. नागालैण्ड	60
15. उड़ीसा	7433
16. पंजाब	10167
17. राजस्थान	7339
18. सिक्कम	12
19. तमिल नाडु	6003
20. त्रिपुरा	572
21. उत्तर प्रदेश	18889
22. पश्चिम बंगाल	12311
कुल (राज्य)	184243
संघ शासित क्षेत्र	
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	135
24. अरुणाचल प्रदेश	98
25. चण्डीगढ़	28

1	2
26. दादरा तथा नागर हवेली	24
27. देहली	314
28. गोवा, दमन तथा दीव	303
29. लक्ष्यद्वीप	21
30. मिजोरम	197
31. पांडेचेरी	92
कुल (सघ शासित क्षेत्र)	1212
जोड़ : सम्पूर्ण भारत	185455

चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रा की सप्लाई

987. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रा की सप्लाई में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) मुद्रा की सप्लाई का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां । चालू वित्तीय वर्ष में अब तक (अर्थात् 31 मार्च, 1978 से 23 जून, 1978 तक) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 1391 करोड़ रुपए अथवा 7·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 346 करोड़ रुपए अथवा 2·2 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा थी । संलग्न सारणी में, चालू वित्तीय वर्ष की अब तक की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि तथा इसमें होने वाले परिवर्तन के स्रोतों को दिखाया गया है ।

(ग) जैसा संलग्न सारणी से देखा जा सकता है, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मुद्रा उपलब्धि में जो अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है, वह बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा भिन्न देनदारियों की वृद्धि में उल्लेखनीय शिथिलता आ जाने के कारण हुई है, जो कि मुद्रा उपलब्धि को कम करने का एक साधन है । इसके अलावा मुद्रा उपलब्धि का विस्तार करने वाला दूसरा कारण यह भी है कि मुख्य रूप से खाद्यान्न की खरीद के लिए दिए गए अधिक अग्रिमों के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में अपेक्षाकृत और ज्यादा वृद्धि हुई है । मुद्रा उपलब्धि में, काफी वृद्धि हो जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1978 में, ऋण नीति में निम्न-लिखित परिवर्तन किए :

(i) खाद्यान्न ऋणों के संबंध में, बैंकों को अब पुनर्वित 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संबंध में उपलब्ध होगा जबकि पहले 1500 करोड़ रुपए से अधिक के संबंध में उपलब्ध था ।

(ii) बैंकों को मार्च 1977 के अंतिम शुक्रवार तक अपनी मांग और सावधिक देनदारी के एक प्रतिशत तक बैंक-दर पर पुनर्वित प्राप्त करने की सुविधा थी उसे वापस से लिया गया है । किन्तु विवेकाधीन अथवा तदर्थ व्यवस्थाओं के अधीन उन्हें अस्थायी पुनर्वित्त सुविधा दी जाएगी।

(iii) बैंकों को यह निदेश दे दिया गया है कि वे प्रत्येक बैंक को पहली जून 1978 के बाद, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली नियवल कुल राशि के आधे भाग के बराबर के रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर दें।

(घ) भारतीय परिस्थितियों में, अल्पावधि में, मुद्रा उपलब्धि के विस्तार तथा कीमतों की वृद्धि में कोई सीधा संबंध प्रतीत नहीं होता हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुद्रा उपलब्धि में ज्यादा परिमाण में विस्तार होने से बाद में कीमतों पर प्रभाव पड़ता है । दूसरी ओर कीमतों की स्थिति मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि पर निर्भर करती है । तथापि सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है ।

विवरण

मुद्रा उपलब्धि में घटबढ़ का विश्लेषण

(करोड रुपए)

	(वित्तीय वर्ष में घटबढ़)	
	1977-78 (31 मार्च से 24 जून)	1978-79 (31 मार्च से 25 जून)
1	2	3
क. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (क+ख)	+346 (+2.2)	+1391 (+7.7)
(क) जनता के पास उपलब्ध करेंसी	+425 (+5.4)	+754 (+8.7)
(ख) जमा रकम	—79 (—1.0)	+637 (+6.8)
ख. मुद्रा उपलब्धि में घटबढ़ के स्रोत		
1. सरकार को निवल बैंक ऋण	+1189 (+10.6)	+951 (+7.3)
(क) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण	+711	+708
(ख) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	+478	+243

1	2	3
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	+135	+780
	(+0.7)	(+3.7)
(क) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बक का ऋण	—57	+34
(ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बकों का ऋण	+192	+746
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति	+692	+125
	(+26.5)	(+2.8)
4. जनता के प्रति सरकार की करेंसी संबंधी देनदारी	+15	—9
	(+2.6)	(−1.5)
घटाइए:		
5. बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा भिन्न देनदारी	+1685	+456
(क+ख+ग)	(+9.8)	(+2.2)
(क) बैंकों के पास सावधिक जमा	+977	+566
	(+8.3)	(+3.9)
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा भिन्न देनदारियाँ	+705	—454
(ग) बैंकों की अन्य मुद्रा भिन्न देनदारियां	+3	+344

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ के द्योतक हैं।

जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामाजिक योजनाओं में पूंजी लगाना

988. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत 15 महीनों में प्रत्येक राज्य में सामाजिक योजनाओं जैसे, सड़क, आवास तथा जल आदि में कुल कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत 15 महीनों में कुल कितनी पूंजी लगाई है; और

(ग) इन दो एजेंसियों द्वारा किन विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पूंजी लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एन० पटेल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:—

भारतीय जीवन बीमा निगम

(लाख रुपए)

(क) बन्धक योजनाएं

जीवन बीमा निगम द्वारा 1-4-1977 से 31-3-78 तक की अवधि में बन्धक योजनाओं में लगाई गई कुल पूंजी	1,189
समाजोन्मुख योजनाओं (अपना घर, आवास बनाओं योजनाएं, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों एजेंटों के लिए आवास योजनाएं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आवास योजनाएं और टाउनशिप योजनाएं) में लगाई गई पूंजी जो उपर्युक्त राशि में शामिल है ।	858

टिप्पणी:—31-3-78 से बाद की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) अन्य योजनाएं

1-4-77 से 30-8-77 तक की अवधि में जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई अन्य पूंजी का जोड़	81,949
उपर्युक्त राशि में सम्मिलित सामाजिक योजनाओं में लगाई गई पूंजी	
राज्यों के वित्तीय निगमों के बांड और शेयर	1,309
बिजली बोर्ड के बांड	4,567
केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र	2,285
सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण	2,135
जल पूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए नगर पालिकाओं और जिला परिषदों आदि को ऋण	3,105
राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	10,966
शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियों को ऋण	4,670
औद्योगिक बस्तियों को ऋण	68
चीनी सहकारी समितियों को ऋण	736
	29,841

राष्ट्रीयकृत बैंक

सरकारी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक संगठन है और वाणिज्यिक रूप से सक्षम परियोजनाओं को ही ऋण देते है। बैंकों द्वारा दिये गय ऋणों की अच्छी खासी राशि, हालांकि सही अर्थ में सामाजिक योजनाओं में लगाई गई राशि की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती, फिर भी समाज के कमजोर वर्गों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है।

2. बैंकों द्वारा आवास, सड़क परिवहन योजनाओं और औद्योगिक बस्तियों के लिए की जाने वाली राशियों की व्यवस्था आमतौर से राज्यों के आवास बोर्डों, नगर निगमों, राज्यों के सड़क परिवहन निगमों जैसे निकायों के बांडों और ऋणपत्रों के रूप में होती है और इन निकायों में लगाई गई राशियों की मात्रा योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत बाजार ऋणों की सीमाओं के अन्दर ही होती है। ऐसी प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा लगाई गई पूंजी के संबंध में 31 मार्च, 1978 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। बैंकों द्वारा मकानों के निर्माण से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को पिछले दो वर्षों में दिये गए ऋणों की कुल राशि 253 लाख रुपए और इसी अवधि में अलग-अलग व्यक्तियों को दिये गए आवास ऋणों की राशि 903 लाख रुपए बैठती है।

3. सरकारी क्षेत्र के बैंक उपेक्षित क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को भी अधिक ऋण दे रहे हैं । कृषि और अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को (जिनमें लघु उद्योग, कारबार और व्यापार तथा परिवहन शामिल हैं) (30 जून, 1977 की स्थिति के अनुसार) बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों की कुल रकम लगभग 3146 करोड़ रुपए थी । बैंक उपेक्षित क्षेत्र के लिए व्याज की विभेदी दर की योजना पर भी अमल कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लिया जाता है। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत, जिसमें लगभग 14 लाख ऋणकर्त्ता-खाते हैं 31 दिसम्बर, 1977 को ऋणों की लगभग 68 करोड़ रुपए की कुल रकम बकाया थी।

आपातकाल में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई कटौती

989. **श्री भगत राम : क्या वित्त मंत्री** आपातकाल के दौरान महंगाई भत्ते में जबरदस्ती की गई कटौती की बहाली के बारे में 12 मई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 1108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महंगाई भत्ते में की गई 1/2 प्रतिशत कटौती को बहाल करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) महंगाई भत्ते की पहली नौ किस्तों के मामले में अपनाई गई महंगाई भत्ते की उच्चतर दरों को बहाल करने संबंधी संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न पर राष्ट्रीय परिषद् की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया था, परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका । यह मामला अब पंच-निर्णय के लिए भेजा जाएगा ।

NEW POLICY REGARDING DISTRIBUTION OF ESSENTIAL COMMODITIES

990. SHRI SUHENDRA SINGH
SHRI BAPU KALDATE
SHRI AGHAN SINGH THAKUR
SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any new policy regarding distribution of essential commodities of daily use and industrial commodities of mass consumption;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when the new policy is likely to be given effect to ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) to (c) The Ministry has finalised a scheme for the production and distribution of essential articles of mass consumption in consultations with the State Governments, the concerned Central Ministries and the Planning Commission for the consideration of the Cabinet.

जेबरातों के निर्यात के लिये सोने

991. **श्री सुखेन्द्र सिंह**
श्री पी० राजगोपाल नायडू
श्री एस० जी० मुरुगध्यन : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेबरातों के निर्यात के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोने के आयात की अनुमति देने संबंधी कोई पैकेज योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना को अभी तक न तो अन्तिम रूप दिया गया है और न अधिसूचित किया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत को देय विभाजन ऋण

992. **श्री आर० के० महालगी**: क्या **वित्त** मंत्री पाकिस्तान द्वारा विभाजन समझौते के अनुसार देय ऋण के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5048 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारत को देय विभाजन ऋण (300 करोड़ रु० के ऋण तथा उस पर ब्याज) के मामले का निपटान करने के लिये गत तीन महीनों में कोई नये प्रयास किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सिंचाई के जल से होने वाली आय पर कर से छूट

993. **डा० बापू कालदाते**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अन्तर्गत सिंचाई के जल से होने वाली आय को कर से छूट दे दी है ;

(ख) क्या यह छूट सहकारी समितियों को दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो पंचगणसा सहकारी पानी पूर्वया मंडली लिमिटेड वडनागे निसावे डुमला, जिला कोल्हापुर को यह छूट देने से इनकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलाफिकारउल्ला) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्पादन शुल्क से छूट दिये जाने के बारे में सिगार एककों के अभ्यावेदन

994. **डा० बापू कालदाते**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सिगार एककों से उत्पादन शुल्क में छूट दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी, हां । देश के विभिन्न भागों से सिगार निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) मामले की जांच की गयी थी । हाथ से बनी ब्रांडयुक्त बीड़ियों पर 2.10 रु० प्रति एक हजार की दर से शुल्क अदा किया जा रहा है । सिगरेटों पर भी शुल्क ऊंची दरों पर लगता है । इस सन्दर्भ में, यह सोचा गया था कि ब्रांड-युक्त सिगारों और चुरुटों पर भी कुछ शुल्क लगना चाहिये । 28-2-78 तक, सिगारों और चुरुटों पर शुल्क केवल तभी लगता था, जब उनका मूल्य प्रति 100 अदद 50 रु० अथवा इससे अधिक होता था । वर्ष 1978 के बजट के अंग के रूप में, कर के ढांचे को खण्ड प्रणाली में बदल दिया गया था, जिसमें शुल्क की श्रेणीबद्ध दरें रखी गयी । फिलहाल, सिगारों को राहत देना उचित नहीं जान पड़ता है।

सांता क्रूज हवाई अड्डे का विस्तार

995. **श्री एस० एस० सोमानी**: क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांता क्रूज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नये विस्तार की क्या लागत है ;

(ख) कितने यात्रियों की सुविधा के लिए इसकी डिजाइन बनाई गई है ;

(ग) एक यात्री को हवाई जहाज से उतरने के पश्चात् सीमा शुल्क के बारे में जांच के लिए अधिकारियों के पास पहुंचने तक औसतन कितना समय लग जाता है; और

(घ) क्या यह सच है कि सांताक्रूज हवाई अड्डे पर यात्रियों और सामान को "हैंडिल" करने की व्यवस्था विश्व में सबसे खराब है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) सरकार ने बम्बई विमान क्षेत्र पर 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल कॉम्पलेक्स के पहले मॉड्यूल के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है। इस मॉड्यूल का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है तथा इस का डिज़ाइन व्यस्ततम समयावधि के दौरान 1400 यात्रियों के (आने वाले/रवाना होने वाले) यातायात को हैंडल करने के लिए किया गया है।

(ग) लगभग 40 मिनट।

(घ) व्यस्ततम समय के दौरान बम्बई विमानक्षेत्र पर वर्तमान टर्मिनल भवन में यात्रियों/सामान को हैंडल करने के कार्य में काफी कठिनाई आती है, परन्तु कभी भी सुविधाओं का पूर्णतया अवरोध नहीं हुआ है । स्थिति में सुधार करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट नये टर्मीनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को दिये गये ऋण

996. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समय समय पर जीवन बीमा निगम, आई० सी० आई०, सी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितने ऋण दिये गये;

(ख) क्या सरकार सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण से पूरी तरह संतुष्ट है जिसके आधार पर सरकार उसको ऋण मंजूर करती रही है; और

(ग) ये ऋण किन प्रयोजनों हेतु दिये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) अखिल भारतीय लोक वित्तीय संस्थाओं में से "भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम" (आई० सी० आई० सी० आई०) तथा "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" (आई० एफ० सी० आई०) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को जो ऋण स्वीकृत किये तथा दिये, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

संस्था	स्वीकृति का वर्ष तथा महीना	ऋण राशि		उद्देश्य/प्रयोजन
		स्वीकृति	वितरित	
1. भा० औ० ऋ० तथा नि० निगम	फरवरी, 1976 वि० मु०	10.22	7.16	अनुसंधान तथा विकास योजना के लिए उपकरणों का आयात
	जुलाई 1976 रु० ऋ०	30.00	30.00	नाइट्रिल रबर के उत्पादन के लिए
	जनवरी, 1978 वि० मु०	6.30	—	अनुसंधान तथा विकास योजना
	जोड़	46.52	37.16	
2. भा० औ० वि० निगम	अगस्त, 1976 आर० एल०	30.00	20.00	नाइट्रिल रबर के उत्पादन के लिए

वि० मु०—विदेशी मुद्रा

रु० ऋ०—रुपया ऋ

भा० औ० ऋ० तथा नि० निगम तथा भा० औ० वि० निगम के अनुसार, ऋण की अदायगी के मामले में इस कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

विकासशील देशों के साथ विदेश व्यापार में वृद्धि करने के लिए अभियान

997. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मई, 1978 को सिंगापुर में उन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत विशेष रूप से पारस्परिक लाभ के लिए विकासशील देशों के साथ केवल निर्यात ही नहीं बल्कि आयात में भी विदेश व्यापार बढ़ाने के लिए एक विशाल अभियान आरम्भ करेगा ;

(ख) उनका विदेश व्यापार में वृद्धि के लिए क्या कार्यवही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में वह किन-किन नई वस्तुओं को शामिल करना चाहते हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात संवर्धन के लिए पहले से चालू अनेक उपायों के अतिरिक्त सरकार ने देश की आयात नीति को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया है जिससे न केवल विभिन्न देशों को आयात करने में आसानी होगी बल्कि निर्यात उत्पादन आधार भी अधिक मजबूत होगा जिससे अंतर्लोगत्वा निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

(ग) इस प्रकार की निर्यात की नई मदों को विशिष्ट रूप से अभिज्ञात करना व्यावहारिक नहीं है । तथापि कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र निश्चित किये गये हैं जिनमें ये शामिल है इंजीनियरी माल, सिले सिलाये परिधान, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रत्न तथा आभूषण तथा अन्य हस्तशिल्प की वस्तुएं और प्रौद्योगिकी-गहन उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है ।

एयर बसों की खरीद

998. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान एयर बसों के अतिरिक्त सरकार का कितनी और एयर बसें खरीदने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि भविष्य में अन्य वाणिज्यिक विमानों के स्थान पर एयर बसें रखी जायें ; और

(ग) एक एयर बस का, जब वह देश में पहुंचती है, तो कितना मूल्य होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने अभी हाल ही में मई/जून, 1978 में दो एयर बस विमान खरीदे हैं । भविष्य में ख़रीदे जाने वाले और एयर बस या अन्य विमानों की संख्या बताना इस समय सम्भव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एयर बस विमान की अंदाज़न लागत 24.17 करोड़ रुपये है ।

सरकारी उपक्रमों में 60 वर्ष से अधिक की आयु के नियुक्त किये गये सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी

999. **श्री सुरेन्द्र विक्रम:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम में अर्थात् एन० सी० डी० सी०, एन० सी० यू० आई०, आई० एफ० एफ० सी० ओ० एन० सी० सी० एफ० और नाफेड में सलाहकारों, वरिष्ठ परामर्शदाताओं और परामर्शदाताओं के रूप में 60 वर्ष से अधिक आयु के नियुक्त सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी वर्तमान आयु कितनी हैं, और वे कब से अपने वर्तमान पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह जनता सरकार की शिक्षित नवयुवकों को अधिक से अधिक रोजगार देने की घोषित नीति का उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, क्या इस पद्धति को समाप्त करने के लिए सरकार प्रबन्धकों को निर्देश देगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) चार । तीन भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति (इफ्फको) और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी० सी० एफ०) में । 'इफ्फको' तथा एन० सी० सी० एफ० सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं । ये सहकारी सोसायटियां हैं ।

(ख) इन चार व्यक्तियों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान अवधि समाप्त होने की तारीख	संघ
1. 60 वर्ष 2 महीने	10-11-76	9-11-78	इफ्फको
2. 62 वर्ष 7 महीने	11-7-73	31-12-78	इफ्फको
3. 60 वर्ष 11 महीने	25-10-71	अगस्त, 1979	इफ्फको
4. 60 वर्ष 3 महीने	अप्रैल, 76	31-10-78	एन० सी० सी० एफ०

क्रम संख्या (4) पर दिये अधिकारों को, 60 वर्ष पूरे होने पर अंशकालिक सलाहकार के रूप में रखा गया है । उन्हें यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाते और केवल नियत मासिक धनराशि दी जाती है ।

(ग) व (घ) ये अधिकारी नयी सरकार आने से पहले रखे गये थे । फिर भी इस पद्धति को समाप्त करने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ।

व्यापार विकास प्राधिकारण, भारतीय विवाचन परिषद तथा निर्यात सम्वर्धन परिषद का कार्यकरण

1000. **श्री दयाराम शाक्य:** क्या **वाणिज्य नागरिक, पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विवाचन परिषद में कितने सदस्य हैं तथा उनमें से सरकारी अधिकारी कितने हैं और वे किन-किन मंत्रालयों में एवं किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले कितने व्यापारियों के मामले निपटाये हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विवाचन परिषद् तथा निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्यकरण की समय-समय पर जांच की भी व्यवस्था है और सरकार को इन परिषदों से क्या लाभ होता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) भारतीय विवाचन परिषद् के 305 सदस्य हैं, जिनमें 13 संस्थापक सदस्य हैं, 27 सामान्य सदस्य हैं, 159 सहयोगी सदस्य हैं तथा 106 वैयक्तिक सदस्य हैं।

परिषद् की सदस्यता में निम्नलिखित पांच सरकारी अधिकारी हैं जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं :—

1. श्री एन० के० भारद्वाज,
   कार्यकारी निदेशक,
   व्यापार विकास प्राधिकरण,
   बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग,
   पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1
2. डा० डी० एन० सक्सेना,
   महा निदेशक,
   भारतीय विदेश व्यापार संस्थान,
   अशोक भवन, 23, नेहरू पैलेस,
   नई दिल्ली-24
3. श्री वी० बी० वाजे,
   संयुक्त सचिव तथा कानूनी सलाहकार,
   विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
   विधि कार्य विभाग,
   शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली-1
4. डा० आर० के० दीक्षित,
   निदेशक (एल० एण्ड टी०),
   विदेश मंत्रालय,
   नई दिल्ली।

5. श्री के० सी० सोधिया,

निदेशक,

वित्त मंत्रालय (इ० ए० डी०),

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

(ख) विगत तीन वर्षों में विवाचन के लिए सौंपे गए मामलों तथा जिन मामलों में पंचाट दिया गया उनकी संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

	सौंपे गए मामले	पंचाट दिया गया
1976 . . .	कुछ नहीं	2 (1975 में भेजा गया)
1977 .	4	2
1978 . . .	8	— (निर्णय लम्बित है)

संविदाओं को पूरा न करने तथा विवाचन के पंचाटों का पालन न करने के सम्बन्ध में परिषद् को भारतीय पार्टियों से विदेशी पार्टियों के खिलाफ तथा विदेशी पार्टियों से भारतीय पार्टियों के खिलाफ समाधान हेतु शिकायतें भी मिलती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी 61 शिकायतें मिली थीं।

(ग) व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विवाचन परिषद् तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यचालन की जांच करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। व्यापार विकास प्राधिकरण की संचालन समिति जोकि इस संगठन के सभी कार्यकलापों की समीक्षा करने तथा उन्हें मानिटर करने के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करती है, नियमित रूप से कम से कम तीन महीनें में एक बैठक जरूर करती है और इसका कार्यवृत्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। मासिक मानिटरिंग तथा मूल्यांकन रिपोर्ट भी मंत्रालय को भेजी जाती है जिनमें सभी कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। भारतीय विवाचन परिषद् सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई थी। इसका मुख्य-उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के उपाय के रूप में विवाचन को बढ़ावा देना है तथा इस सम्बन्ध में भारत तथा अन्य देशों में अपनाए जा रहे कानूनी तथा क्रियाविधि सम्बन्धी पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करके तथा उनका वितरण करके व्यापारियों में, विशेष रूप से उन व्यापारियों के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए हैं विवाचन को लोकप्रिय बनाना। इसको ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

RE. QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : श्री एस० घोष उप सचिव को जनता सरकार ने निलम्बित कर दिया है। उन्होंने 'किस्सा कुर्सी का' के मामले में गवाही दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 376 के अधीन नोटिस दें। इसे ऐसे नहीं उठाया जा सकता (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : यह न्यायालय की अवहेलना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसे रिकार्ड न किया जाए।

**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वायुयान की खरीद पर कुछ लोगों ने 2 करोड़ रुपए हथ्या लिए हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कुदरमुख परियोजना पर बिचौलियों ने रुपया एकत्र किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो बार चर्चा के लिए बुलाया था।

श्री वयालार रवि (चिर्यिकील) : मैंने श्री चरन सिंह तथा श्री एस० के० पाटिल के वक्तव्यों के बारे में नियम 222 के अधीन नोटिस दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार संसदीय कार्य नहीं किया जाता। यह उचित ढंग नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस गम्भीर मामले के बारे में मैंने आपको कल पत्र लिखा था। मुझे इस बारे में गृह मंत्री तथा इस्पात मंत्री से भिन्न-भिन्न उत्तर मिले हैं। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच कर रहा हूं। मंत्री
है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह सही है कि जब वर्तमान सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न रखे जाते हैं तब उनसे टिप्पणी मांगी जानी चाहिए। परन्तु यह मामला तो मंत्री महोदय द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य से पैदा हुआ है। जिसमें बाद में दूसरे मंत्री ने हस्ताक्षेप किया था। इस पर आप अपना निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर भी विचार करूंगा।

टाइम्स आफ इंडिया द्वरा संसद की कार्यवाही के संबंध में गलत मसाचार देने के बारे में

RE. WRONG REPORTING OF PROCEEDINGS BY TIMES OF INDIA

श्री वसन्त साठे : सभा की 19 तारीख की कार्यवाही के बारे में 'टाइम्स आफ इण्डिया' में गलत रिपोर्टिंग की गई है।

**अध्यक्षपीठ के आदेश द्वारा कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप की बात ठीक है और रिपोर्टिंग गलत हुई है। समाचार पत्र को अपनी भूल सुधारनी चाहिए।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निक्षेप बीमा निगम बम्बई के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा लेखे* सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2200/78]

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1978, अखबारी कागज नियन्त्रण संशोधन नियम, 1975, उक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखे जाने में विलम्ब का कारण बताने वाला वक्तव्य

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 858 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2414/78]**

(2) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अखबारी कागज नियन्त्रण संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 622 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2415/78]

---

*प्रतिवेदन पहले 28 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा रबड़ संशोधन नियम, 1978 के अधीन अधिसूचनाएं

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) चाय (व्यापारियों का पंजीकरण तथा स्टाक घोषणा) दूसरा आदेश, 1978 जो दिनांक 20 मई, 1978 के भास्त के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 345 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दाल खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भाण्डागरण नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 26 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 400 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2416/78]**

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 553 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2417/78]

विमदलाल जांच आयोग का प्रथम प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही के बारे में ज्ञापन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जे० बेंगल राव और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए गठित विमदलाल जांच आयोग का प्रथम प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2418/78]

सामान्य बीमा तीसरी तथा दूसरी संशोधन स्कीम, 1978

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण' और पुनरीक्षण) तीसरा संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 20 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1410 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) दूसरा संशोधन स्कीम, 1978 जो दिनांक 28 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 414 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2419/78]

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

RE. CALLING ATTENTION

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैंने आपको पाकिस्तान तथा चीन द्वारा कराकोरम राजपथ" निर्माण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर आपत्ति करते हुए पत्र लिखा था। * * *

श्री के० गोपाल (करुर): उन्हें चीन विरोधी तथा पाकिस्तान विरोधी लोबी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु: उनके एक प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि हम चीन के मित्र हैं।

श्री के० गोपाल: हम चीन के शत्रु नहीं हैं। बस यही अंतर है।

अध्यक्ष महोदय: सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। मैं सुनने के बाद नियमानुसार निर्णय दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, वक्तव्य में किसी भी ऐसी टिप्पणी जिसमें किसी सदस्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चीन विरोधी लाबी का बताया जाए; कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): आप यह कैसे मानते हैं कि हम कोई ऐसा भी वक्तव्य देंगे जो किसी भी देश के लिए अप्रतिष्ठाजनक हो।

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य में ऐसा एक अंश है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मार्च में चीन के नेता वांग पिन नान, जिन्होंने कि दोनों देशों में सद्भाव बढ़ाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। अक्तूबर में श्री वाजपेयी चीन जा रहे हैं। आप इसे ध्यानाकर्षण के रूप में स्वीकार न करें।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु का कथन है कि नियम 41(2) मद (ix) में यह ध्यानाकर्षण स्वीकार्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : बात यह है कि कार्यसूची में जो मामले हैं उन्हें स्वीकार करें अथवा अस्वीकार। जो भी आप आदेश अथवा निर्णय देते हैं अथवा मामला कार्यसूची में लेते हैं उसे तुरन्त चुनौती दे दी जाती है। यह स्थिति भयावह है। इस प्रकार सभा का कार्य नहीं रुकेगा।

अध्यक्ष महोदय : कल क्या हुआ था। एक दिन कोई नियम तथा दूसरे दिन अन्य नियम नहीं रखे जा सकते (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : कल आपने हमारी बात नहीं मानी थी। ध्यानाकर्षण नियम 197 में आता है। उन्होंने इसे चुनौती दी है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'ये पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' तथा "काले और शकधन" के अनुभार अन्य देशों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री वसन्त साठे : तब आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 41(2) में निहित है कि किसी मित्र देश का उल्लेख अपमानजनक रीति से नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा कराकोरम सड़क के निर्माण का समाचार।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

'जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा कराकोरम सड़क के निर्माण के समाचार'।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जैसा कि सदन को ज्ञात है "कराकोरम हाई वे" नामक एक सड़क का, जोकि पाकिस्तान को चीन के साथ जोड़ती है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, उद्घाटन 18 जून, 1978 को पाकिस्तान के मुख्य

**अध्यक्षपीठ के आदेश द्वारा कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

मार्शल ला प्रशासक जनरल जिया उल हक और चीन के उपप्रधान मंत्री केंग प्याओ द्वारा थाकोट में किया गया था। इस सड़क की योजना 1963 के आसपास बनाई गई थी, यानी चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होने के तुरन्त बाद ही जिसके अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय प्रदेश का इक्कीस सौ वर्ग मील भूभाग, जो कि पाकिस्तान के, अधिकृत कब्जे में था, चीन को दे दिया गया था। गिलगित और मोरखुन के बीच की सड़क के हिस्से का निर्माण 1966 के एक समझौते के अनुसार किया गया था जो 1969 में पूरा कर लिया गया था। इस हाई वे का मोरखुन से खुनजेराव के बीच का हिस्सा दोनों देशों के बीच 1-10-1969 को सम्पन्न एक समझौते के अनुसार किया गया है। यह सड़क 18 जून, 1978 से पूरी तरह परिवहन के योग्य हो गई है।

प्राप्त समाचारों के अनुसार 800 किलोमीटर लम्बा यह हाई वे हवेलियां रेलहैड से शुरू होता है, जोकि इस्लामाबाद के 60 मील उत्तर में है और थाकोट से गिलगित तक सिन्धु नदी के समानांतर जाता है। गिलगित से आगे यह गिलगित , हुंजा और खुनज़ेराव नदियों के साथ-साथ होता हुआ खुनज़ेराव दर्रे तक जाता है जो कि समुद्र की सतह से 15,800 फुट ऊपर है। खुनजेराव दर्रे के आगे यह हाई वे पश्चिमी तिब्बत में चीनी सड़कों के जाल में जा मिलता है जोकि इसे सिंक्यांग प्रान्त में काशगर से जोड़ता है। इस हाई वे की ऊंचाई 2,000 से 15,000 फुट तक है।

सरकार को इस सड़क के निर्माण के विषय में पुष्टि समाचार जून, 1969 में मिला था और तदनुसार उसने 25 जून, 1969 को इसके विरुद्ध चीन और पाकिस्तान दोनों से ही सख्त विरोध प्रकट कर दिया था। पाकिस्तान से हमने कहा था कि समूचा जम्मू और कश्मीर भारतीय प्रदेश का एक अंग है और न तो पाकिस्तान की और न ही चीन की कोई कानूनी स्थिति है और इसलिए दोनों देश मिलकर अथवा अकेले भारत के इस प्रदेश के विरुद्ध जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वह पूरी तरह गैर कानूनी है। चीन सरकार को अपने विरोध पत्र में हमने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि वह एक ऐसे प्रदेश में किसी सड़क का निर्माण किस तरह कर रहा है जो कानूनी तौर से पूरी तरह भारत का है।

न तो पाकिस्तान ने और न चीन ने ही हमारे विरोध पत्रों का कोई औपचारिक उत्तर दिया था। बहरहाल, 11 जुलाई, 1969 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अधिकारिक प्रवक्ता ने यह कहा था कि भारत की शिकायत पूर्वोक्ति पर आधारित है जोकि उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इस सवाल को संसद में उठाया गया था और 23 जुलाई, 1969 को विदेश मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य भी दिया था।

जब हमने अखबारों में इस प्रकार की खबरें देखीं कि इस हाई वे का उद्घाटन 18 जून, 1978 को कर दिया गया है, तो चीन के नई दिल्ली स्थित राजदूत और पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर इस प्रदेश में, जोकि भारत का एक अभिन्न अंग है, गैर कानूनी सड़क के निर्माण के संबंध में अपनी स्थिति से अवगत करा दिया था। दोनों दूतों को यह साफ बता दिया गया था कि इस सड़क के निर्माण के कानूनी निहितार्थों को भारत चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता।

जबाव में पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में अपनी स्थिति के अनुरूप वे हमारे विरोध की वैधता को स्वीकार नहीं करते। जहां तक चीन का सवाल है, पीकिंग

से तो अभी इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन 2 मार्च, 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच सम्पन्न समझौते के विरुद्ध, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2100 वर्ग मील भारतीय भूभाग चीन को दे दिया गया था, हमारे विरोध के जवाब में चीन के राजदूत ने अपने देश की स्थिति बतायी थी । उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने उस वक्त यह कहा था कि यह सीमा-समझौता "अस्थायी" है और इसलिये कश्मीर के दर्जे पर इस सड़क के निर्माण से कोई फर्क नहीं आयेगा। यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि इस समझौते में ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार सीमा के प्रश्न पर पुनः वार्ता की जा सकती हो। यहां मैं इस बात का उल्लेख कर दूं कि कराकोरम हाई वे कश्मीर के उस भूभाग से होकर नहीं गुजरता जो पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया है।

इस हाई वे के निर्माण की अवैधता के अतिरिक्त इसके निर्माण का इस क्षेत्र के लिए गम्भीर सामरिक महत्व भी है। हम इसके निहितार्थों के प्रति पूरी तरह सजग हैं लेकिन मैं यह आशा व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे ये दोनों पड़ौसी, जिनके साथ हम संबंध सामान्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, इस बात पर गौर करेंगे कि संचार-सम्पर्क के इस सूत्र का इस ढंग से इस्तेमाल न किया जाये जो कि इस क्षेत्र में अच्छे पड़ोसीपन और स्थिरता की तलाश के विपरीत हो।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह कार्य श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में आरम्भ हुआ। तब तो इन्होंने मामला उठाया नहीं। (व्यवधान)

श्री सौगत राय : मुझे इस ध्यानाकर्षण पर विवाद उठाए जाने पर आश्चर्य है। क्योंकि मैं समझता कि भारत के संसद सदस्य भारतीय संसद जैसा वर्ताव करते हैं ?**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ** (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 380 के अधीन कार्यवाही वृत्तान्त से तभी निकाला जाता है जब अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से इसलिए निकाला क्योंकि ..... (व्यवधान)

श्री सौगत राय : मुझे याद है कि 1962 में भी एक राजनैतिक दल ने चीनी आक्रमण का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत आक्रमणकारी था, चीन नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि विदेश मंत्री इस क्षेत्र में इस सड़क के महत्व को मान गए हैं क्योंकि यह सड़क तीन देशों के जंक्शन हो कर गुजरती है। अब तक हमारी नीति यही रही है कि इस क्षेत्र में न तो

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

चीन सड़क बना सकता है और न ही पाकिस्तान? इस सड़क का उद्घाटन 18 जून को हो चुका है। चीन के उपमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि चीन पाकिस्तान को बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिये पूरी सहायता देगा। लेकिन हमने 10 दिन तक आपत्ति नहीं की।

विदेश मंत्री का यह कहना उचित ही है कि हमें पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सम्बन्ध सुधारने चाहिए लेकिन ऐसा देश के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विरोध पत्र भेजने में विलम्ब क्यों हुआ और विदेश मंत्री चीन द्वारा जम्मू तथा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को दिए गए आश्वासन के विरोध में चीन की यात्रा रद्द करेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई भी विलम्ब हमारी ओर से नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान और चीन के राजदूतों को बुलाया था। उन देशों में भी हमने अपने राजदूतों द्वारा विरोध-पत्र दिए थे।

एक माननीय सदस्य : कब।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे पूरी तारीख की जानकारी नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मुख्य समस्या कश्मीर तथा पाकिस्तान और चीन के बीच हुए करार के बारे है। ये ही राष्ट्रीय प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके आत्म निर्णय का अधिकार देश के एक भाग को नहीं दिया जा सकता।

चीन के दौरे को रद्द करने सम्बन्धी सुझाव से मैं सहमत नहीं हो सकता।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इस सड़क के बारे में एक विरोध पत्र विधि के अनुसार उचित समय पर भेजेगी? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे अपनी चीन दौरे के दौरान यह आश्वासन वहां की सरकार से लेंगे कि इस सड़क का उपयोग ऐसे ढंग से नहीं होगा जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कहना उचित नहीं है कि सरकार ने कोई विरोध पत्र नहीं भेजे। 10 जून को चीनी दूतावास को एक विरोध पत्र भेजा गया था।

श्री वसन्त साठे : हमारे पड़ोसी देश इस देश के हितों को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस बात को कौन महसूस नहीं करेगा कि इस सड़क से भारतीय स्कीम का कितना उल्लंघन हुआ है। आज भी हम इस सड़क के निर्माण का समर्थन करते हैं यह कितने खेद की बात है इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण खेदजनक है।

विदेश मंत्री जब विपक्ष में थे, तो उन्होंने एक एक इंच जमीन के लिए आपत्ति की थी। क्या आपका तात्पर्य यह है कि उस ओर जाने के बाद अब आप 14000 वर्ग मील जमीन अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध के लिये चीन को समर्पित कर देंगे?

टाईम्स आफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार चीन, अमरीका तथा पाकिस्तान ने मिलजुल कर भारत को सामान्य सम्बन्ध कायम करने के बाध्य किया है। देश के हितों या क्षेत्र को त्याग देना ही क्या गुट निर्पेक्षता है ?

मैंने विदेश मंत्री से इस गैरकानूनी सड़क तथा प्रधान मंत्री के बयान के बारे प्रश्न पूछे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कृपया उन्हें बता दीजिए कि यह सड़क एक दिन में नहीं बनी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे मित्र श्री साठे मुझे वह बात याद दिला रहे हैं जो कि कभी मैं विपक्ष में बैठकर बोला करता था। क्या मैं उन्हें याद दिला दूं जो वह तब कहा करते थे जबकि वह सत्तारूढ़ दल में थे। (**व्यवधान** यह सड़क एक दिन में नहीं बनी लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सड़क बारे में गैरकानूनी ढंग से सहमति करने जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (अकोला) : आपके विवरण के अंतिम पैरे का क्या अर्थ है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विवरण पूरे ध्यान से तैयार किया गया है। आप चाहें सहमत हों अथवा नहीं (व्यवधान) विपक्ष को हमारे पर देश के हित के साथ विश्वासघात का आरोप नहीं लगाना चाहिए। (व्यवधान) कश्मीर का एक तिहाई भाग पाकिस्तान को देने के लिए आप जिम्मेदार हैं। उस समय आपके पास कुछ कहने का साहस नहीं था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान)

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 बजे म० तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

तक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे पुनः सम्वेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वाजपेयी उत्तर देंगे :

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपुरा) : यह हर समय व्यवस्था के प्रश्न उठाते रहते हैं-- (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : विदेश मंत्री ने अपमानजनक बात कही है—**(व्यवनान)** उन्होंने कहा है कि कश्मीर का एक तिहाई भाग पाकिस्तान को दे दिया **(व्यवधान)** उन्हें अपने वे शब्द वापस लेने चाहिए । सभा की कार्यवाही समुचित ढंग से चलनी चाहिए—**(व्यवधान)** ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि मैंने प्रत्युत्तर देने में कठोर शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए मुझे खेद है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : आपने आरोप लगाया है कि भूतपूर्व सरकार ने कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया—**(व्यवधान)**

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मेरे कहने का यह मतलब था कि जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने से पूर्व युद्ध बन्द करने का आदेश दे दिया **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात में सुधार कर लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सामान्य स्थिति का कार्य—(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बैया (नन्दयाल) : उन्हें शब्दों के चयन में सतर्कता बरतनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा यह कहना है कि समूचा जम्मू और कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। जिसमें वह भाग भी सम्मिलित है जो कि अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। **(व्यवधान)** हम इस सड़क को उपयोग में लाने की स्थिति में होंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, (बडागरा) : यह तो स्पष्ट है। **(व्यवधान)** कृपया यह वाक्य फिर से पढ़िए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह वाक्य पढ़ चुका हूं। भलीभांति विचार करने के पश्चात् इसे विवरण में रखा गया है। यदि नीति मैं न बनाऊं तो मैं एक मिनट भी यहां नहीं रह सकता।

श्री वसंत साठे : देश में तो आज यह धारणा है कि विदेश नीति प्रधान तैयार करते हैं, श्री जगत मेहता उसे कार्यान्वित करते हैं और आप केवल हिन्दी में उसका अनुवाद करते हैं।-

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका धन्यवाद । विदेश नीति किसी एक मंत्री द्वारा तैयार नहीं की जाती बल्कि यह सामूहिक रूप से तैयार की जाती है।

ऐसा कब कहा गया है कि भारत उस क्षेत्र को चीन को सौंपने के लिए तैयार है? प्रधान मंत्री ने केवल यही कहा है कि हम उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए युद्ध नहीं करेंगे ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : The whole world is appreciating our foreign policy, particularly which has been adopted during the last 15 months. Only Mrs. Gandhi and Mr. Sathe do not think so.

Our relations with our neighbour countries have improved without affecting our interests. The area of tension has gradually turned into nomalcy. This road has been under construction for the last ten years, but the Government have not taken any action in this connection.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Not "this Government."

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I mean the previous Government. Whatever efforts we are making in the direction of improving relations with China. She should also reciprocate in the same manner. But the construction of this road is a setback in this process of normalizatioin of relations.

The previous Government allowed Pakistan to take one third part of Kashmere. Thousands square miles of land was taken by China during the war in 1962. But the previous Government did not take any action to take back that land.

It is right that that land should be taken back without resorting to war or any conflict but simply through peaceful negotiations. The Miniser should ensure us that there will be no bargaining for even an inch of the land.

We must have friendly relations with China, but at the same time. We must be vigilant. We should be careful about the security of the country.

SHRI A. B. VAJPAYEE : The present Government have already given an assurance that we are trying to get back the land, which is in China's possession, in peaceful manner. We will not buy peace at the cost of surrendering our land.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want a categorical answer whether Government will remain cautions so that 1962 is not repeated ?

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : We are alert. We have learnt lessons from the past and we will see that these incidents are not repeated in future.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द वर्मा) : मैं घोषणा करता हूं कि 24 जुलाई, 1978 से आरम्भ, होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी काम लिया जायेगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर बिचार ।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पास करना :—

   (क) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978

   (ख) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) विधेयक, 1978

   (ग) हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक, 1978

   (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978

   (ङ) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 1978

   (च) विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, 1978, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा की है। इसके साथ-साथ मैं प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच पत्रव्यवहार पर चर्चा की मांग करता हूं। दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह प्राइवेट नहीं है। यह राष्ट्रीय मामला है। जिसका सम्बन्ध समूची सरकार तथा देश के साथ है। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि गृहमंत्री तथा प्रधान मंत्री के बीच क्या हुआ ?. यह पत्र व्यवहार सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मुझे देखकर खेद हुआ है कि इस सप्ताह के सरकारी कार्य में दल-बदल विरोधी विधेयक तथा विस्तृत औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक शामिल नहीं किए गए हैं।

जहां तक दल बदल विरोधी विधेयक का सम्बन्ध है, मैं मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह विधेयक पेश किया जा रहा है क्योंकि हम इस विधेयक पर समुचित चर्चा करना चाहते ह। इसके लिए उचित समय दिया जाना आवश्यक है ताकि हम अपनी राय तथा विचार बना सकें तथा उन्हें व्यक्त कर सकें। आपत्तिजनक बात यह है कि ड्राफ्ट विधेयक की विषय वस्तु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और प्रेस को रिलीज की जा चुकी है, परन्तु हम संसद सदस्यों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है क्योंकि विधेयक सभा में अभी पुरःस्थापित नहीं किया गया । अतः मंत्री जी इसे शीघ्र पुरः स्थापित करें।

विस्तृत औद्योगिक संबंध विधेयक के बारे में काफी समय लगेगा यह बात तो समझ में आती है। पिछली सरकार ने भी बहुत समय लिया था। यह विधेयक तीन प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि इस देश में औद्योगिक विवादों तथा औद्योगिक विधेयकों के कारण खराब हालात के कारण होने वाला औद्योगिक असन्तोष है। दूसरे, मजदूरों के प्रति अन्याय हो रहा है और पूंजीपतियों तथा फैक्टरी मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। तीसरे, इस विषय पर विभिन्न कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। अतः यह बिधेयक भी शीघ्र लाया जाना चाहिए।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : The strikes in industries going on at present are creating current as well as heavy loss of production. So, I request the Government to bring forward a Bill to declare the strikes as illegal so that chaotic conditions in the country can be stopped.

Besides, I would like to say that there should be equal pay for equal work throughout the country. A Bill should be brought forward this purpose also.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह बहुत ही विचित्र बात है कि 24 तारीख से आरम्भ होने वाले सप्ताह में मजूरी, मूल्य तथा आय सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सरकार के प्रवक्ता द्वारा भूतलिगम समिति के प्रतिवेदन का समर्थन किया गया है, परन्तु सदन को भी भूतलिगंम समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण तथा चालू अनुसंधान संस्थान में औरतों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे मित्र श्री वयालार रवि ने कुछ ऐसे मामलों को उठाया है जिन्हें इस सप्ताह की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया । जहां तक श्री मांवलकर द्वारा दल-बदल विरोधी विधेयक तथा व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसे शीघ्र ही लाया जाना चाहिए। दल-बदल विरोधी विधेयक तो सम्भवतः अगले ही सप्ताह प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

औद्योगिक सम्बन्धी विधेयक को भी शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा । श्री कछवाई द्वारा जिन गैर-कानूनी हड़तालों का उल्लेख किया गया है, वह भी इसी विधेयक में आ जायेगी ।

जहां तक भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध, मुझे समझ नहीं आती कि एक ओर तो सदस्य महोदय यह कहते हैं कि उससे सभापटल को गंदा नहीं किया जाना चाहिए जबकि दूसरी ओर वह उसे सभापटल पर रखने की मांग करते है। इस प्रतिवेदन के बारे में कार्य मंत्रणा समिति यदि चाहे तो उस पर विचार करने के लिए कह सकती है। सरकार को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग के गठन के बारे में वक्तब्य

STATEMENT *RE.* GETTING UP OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES COMMISSION

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है जिसका कर्त्तव्य संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को दिए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और इन संरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को निर्धारित अवधियों में रिपोर्ट देना होगा । इसके अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो आमतौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति आयुक्त कहलाता है। समस्या की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह विचार है कि ये मामले उचित रूप से एक ऐसे उच्च स्तरीय आयोग को सौंपें जाने चाहिए जिसमें सार्वजनिक जीवन में सुप्रसिद्ध और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हों।

2. तदनुसार, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है जिसमें अध्यक्ष और संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार से अधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्य-सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. प्रस्तावित आयोग के कार्य मोटे तौर पर वही होंगे जो इस समय संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन विशेष अधिकारी को सौंपे हुए हैं और ये कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रक्रिया का पुनरीक्षण भी शामिल होगा जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

(2) छुआछूत समाप्त करने और इसके कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण भेदभाव को पांच वर्षों के अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हूए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

(3) लागू कानून के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध किए जाने से संबंधित सामाजिक आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना और सुधारात्मक उचित उपायों की सिफारिश करना जिसमें अपराधों की शीघ्रता से जांच करना भी शामिल है।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को प्रदान किए गए संरक्षण न मिलने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

5. अपने कार्यों के निष्पादन के बारे में आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आयोग को, समय समय पर यथा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित अन्य, आयोग को अपना पूरा-पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

6. आयोग अपने कार्य और सिफारिशों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करेगा। किन्तु, यदि आयोग आवश्यक समझे तो अपने कार्य के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को किसी समय दे सकता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, और उसके साथ एक ज्ञापन, जिसमें उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण होगा, और केन्द्रीय सरकार से संबंधित किन्हीं सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए गए होंगे, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

7. आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए, सरकार संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करने का निर्णय कर चुकी है, और इस संबंध में एक विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जा रहा है।

8. सरकार ने संसद के दूसरे सदन के सदस्य श्री भोला पासवान शास्त्री को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय भी किया है। आयोग के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :—

1. श्री शिशिर कुमार,
   मौजूदा अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयुक्त।
2. श्री ए० जयरमन,
   तमिलनाडू से लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य।

3. श्री ठाकुर सिंह नेगी,
   सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ।
4. श्री एस० के० मल्लिक,
   असम-मेघालय के सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा अधिकारी ।

बहु राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक
MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय का बढ़ाया जाना

चौधरी ब्रह्मप्रकाश : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही है, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा उन सहकारी सोसाइटियों से जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही है, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
19वाँ प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र बर्मा : मैं निम्न प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो 20 जुलाई, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है कि

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से, जो 20 जुलाई, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैंने इस प्रस्ताव के साथ असहमति व्यक्त करने का प्रस्ताव दिया है ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) सौराष्ट्र और गुजरात में कोयले की कथित कमी का समाचार

SHRI DHARAMSINGHBHAI PATEL (Porbander) : There is acute shortage of coal in Saurashtra and Gujarat consequent upon which ceramics, textile, vanaspati, chemicals, engineering roofing tiles industries and small scale industries are likely to be closed down. As against their monthly requirement of 3500 wagons, only 2400 wagons of coal are allotted per month during April to June, 1978 and even at this only 40 per cent of the allotted quantity is made available. The Union Ministries of Railways, Energy and Industry must come to the rescue of the industries in Saurashtra and Gujarat and should make managements to supply them to required quantity of coal at the earliest.

(दो) महाराष्ट्र के ताप बिजली स्टेशनों में कोयले की कमी

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : महाराष्ट्र के कुछ तापीय बिजली केन्द्रों की हालत कोल इंडिया लिमिटेड के वैस्टर्न कोल फील्डज़ से कोयले की अपर्याप्त सप्लाई से नाजुक हो गई है। 1 जुलाई, 1977 तक उनके पास 15 से 60 दिन तक का स्टाक रहता था। लेकिन जुलाई, 1977 से पश्चिमी कोल फील्डज़ की उत्पादन स्थिति बिगड़ने के कारण सप्लायी में कमी आ गई है। ऊर्जा मंत्री को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि पश्चिमी कोल फील्डज़ के उत्पादन में सुधार हो ताकि महाराष्ट्र के तापीय बिजली केन्द्रों को पहले की तरह कोयले की पर्याप्त सप्लाई मिल सके।

(तीन) दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु के तथ्यों की उचित जांच करने में सरकार असफल रही है। स्वर्गीय कृष्ण चन्द को श्रीमती गांधी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह समझा जाता था और श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु से मामला काफी कमजोर पड़ गया है।

जिन लोगों ने यह कहा है कि श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु आत्महत्या से नहीं हुई उन्हें धमकी भरे टेलीफोन आए हैं। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि मृत्यु होने तथा गवाह नष्ट करने में कोई न कोई गड़बड़ी हुई है। कुएं से जो भी साक्ष्य मिले हैं, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। कल ही पता लगा है कि कुएं के पास, जहां से श्री कृष्ण चन्द ने कथित छलांग मारी, एक प्रकार का मुबायल आयल छिड़का गया था। पानी के ऊपर जो लकड़ी के मोटे-मोटे तख्ते तैर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। कुएं पर कोई निगरानी नहीं रखी गई। इस मामले की जांच सावधानी पूर्वक शीघ्र की जानी चाहिए।

(चार) आल इंडिया इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन का समाचार

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : आल इंडिया जूनियर इंजीनियर ऐसोसिएशन पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चला रहा है। दिल्ली में तीन जूनियर इंजीनियर अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का छटा दिन है। कलकत्ता में भी कुछ जूनियर एसोसिएशन के कुछ इंजीनियर हड़ताल पर है। इन लोगों द्वारा की जा रही मांगें काफी जायज हैं।

यह बहुत खेद की बात है कि निर्माण तथा आवास मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त ने इस मामले की ओर बेरुखी का रुख अपनाया हुआ है। मैं सदन के सभी वर्गों के लोगों

से यह निवेदन करूंगा कि वह सरकार से भरपूर आग्रह करें कि सरकार एसोसिएशन के लोगों के साथ विचार-विमर्श करके, भूख हड़ताल किए हुए जूनियर इंजीनियरों का जीवन बचाये।

(पाँच) लंदन में एशियाई आप्रावासियों के लोगों पर हमले के समाचार

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Sikar) : For the past some days, incidents of attack on people of Asian origin on account of racial hatred are constantly taking place in U .K. Consequent upon which a feeling of total insecurity has developed among the Asian population there. It is also reported that police are not paying any attention to their complaints. The Asian immigrants have recently observed a general strike in protests. The Government of India should, in cooperation with the Government of Pakistan and Bangla Desh, take up the matter with British Government so that the feeling of insecurity among the Asian people in U. K. is removed and they could lead a respectable life.

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) विधेयक —जारी

AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL—*Contd.*

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वायु प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे सम्बन्धित शक्तियों और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 मदस्य हों, इस सभा के 20 अर्थात् :—

(1) श्री पी० अन्वालागन
(2) श्री मनोरंजन भक्त
(3) श्री गणनाथ प्रधान
(4) श्री दीनेश जोरदर
(5) श्री बी० पी० कदम
(6) डा० कर्ण सिंह
(7) श्रीमती पार्वती कृष्णन
(8) श्री एम० वी० कृष्णप्पा
(9) श्री बी० पी० मण्डल
(10) श्री जगदीश प्रसाद माथुर
(11) श्री आर० के० महालगी
(12) श्री गोविन्द राम मिरी
(13) श्री नथुनी राम
(14) श्री आर० एन० राकेश
(15) श्री राम किंकर
(16) श्री राम मूर्ति
(17) श्री वसंत साठे
(18) श्री चिमन भाई एच० शुक्ल

(19) श्री ए० सुब्बा साहिब

(20) श्री सिकन्दर बख्त

और राज्य सभा के 10,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति आगामी सत्र के पहले सप्ताह तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दस सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

डा० कर्ण सिंह (उधम पुर) : वातावरण में मानव का हस्तक्षेप गत कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। गत पचास वर्षों में इस तरह हस्तक्षेप करने की प्रगति दर अत्याधिक रही है। आज कई देश समृद्ध हो गए हैं। कई नदियां, झीलें तथा समुद्र प्रदुषित हो गए हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां वायु तथा जल प्रदूषण खतरे के स्तर तक पहुंच गया है। वायु और जल प्रदूषण किसी एक देश तक सीमित नहीं है। जब समुद्र प्रदूषित हो जाता है तो इससे अन्य देश भी प्रभावित होते हैं। जब विश्व के किसी एक भाग में वायु प्रदूषित हो जाती है तो यह समूचे विश्व में फैल जाती है, जिसके परिणाम बुरे होते हैं। हमारे जैसे देश में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। वायु प्रदूषण से कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं।

कई औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण औद्योगिककीकरण है। अनियंत्रित व्यर्थ के पदार्थ हवा में फेंक दिए जाते हैं। शहरों में गंदगी जमा होती रहती है। लोग गंदगी की हालत में रहते हैं। जितने अधिक लोग होंगे, उतनी ही अधिक जनसंख्या बढ़ेगी और अन्ततोगत्वा इसका बुरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा।

वन-कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। वन केवल पशुओं के लिए ही नहीं हैं, बल्कि हरियाली मानव के लिए भी आवश्यक है।

मोटर गाड़ियों तथा तापीय संयंत्रों के कारण दिल्ली में प्रतिदिन 240 टन नाइट्रोजन अक्साइड तथा 200 टन सलफर डाइआक्साइड वायु में मिलता है। इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस के कारण दिल्ली की वायु में प्रति दिन 50 टन राख तथा 70 टन सल्फर डाइआक्साइड मिलता है।

भारत के 9 शहरों में वायु प्रदूषण उस स्तर तक पहुंच गया है, जितना कि पश्चिम के किसी भी शहर में है।

धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी, जिसका

मुख्यालय नैरोबी में है। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि यह अपना काम सक्रिय रूप से नहीं कर रहा है।

हमने अपने देश में वातावरणीय योजना तथा समन्वय के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय समिति बनाई थी। स्वर्गीय डा० पीताम्बर पंत इसके चैयरमैन थे। दुर्भाग्य से उनकी मृत्य के पश्चात यह महत्वपूर्ण समिति भी निष्क्रय हो गई है।

इस विधेयक का स्वागत है। किन्तु मंत्री जी के विचारार्थ हमें कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। एक सुझाव यह है कि आवास प्रदूषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। अध्ययनों से पता चला है कि मशीनों आदि से आने वाली आवाज स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है और इससे हजारों श्रमिकों की श्रवणशक्ति कमजोर हो जाती है तथा इसका मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिमाग पर दबाव पड़ता है। मुझे निम्नलिखित सुझाव देने हैं, मेरा पहला सुझाव यह है कि वातावरणीय योजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति को पुनः सक्रिय किया जाये। चूंकि यह अत्यधिक विशिष्ट तथा अत्यधिक तकनीकी मामला है, अतः इसमें पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति की जाये। दूसरा सुझाव यह है कि इसमें आवास प्रदूषण को भी सम्मिलित किया जाये। तीसरे, इस समय कई प्रदूषण विरोधी अधिनियमों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इन्हें तत्काल प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। चौथे, हमारे देश में जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए 1 या 2 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश करने से भविष्य में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसके लिए कछ अनुसंधान संगठन खोलने होंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कुछ प्रोत्साहन भी देना होगा। जब कभी कोई नया उद्योग या औद्योगिक परियोजना या प्रौद्योगिक को स्वीकृति दी जाए तो प्रदूषण पहलू अवश्य दिमाग में रखा जाये। जब कभी हम विदेशी औद्योगिकी खरीदें तो प्रदूषण पहलू ध्यान में रखा जाये। बाहरी देश अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी निर्यात कर रहे हैं जो कि अधिक प्रदूषण पैदा करती है क्योंकि उनके अपने देश में उस टेक्नालाजी की अनुमति नहीं है। जहां तक मोटरगाड़ियों का सम्बन्ध है, हमें उनमें निस्सरर्ण की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें प्रदूषण के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आम जनता को प्रदूषण के खतरे का पता नहीं है। जब तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली, प्रौढ़ शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा में लोगों को इसके खतरे के बारे में नहीं बताएंगे तब तक लोग यह नहीं समझ पायेंगे कि प्रदूषण जहर का काम दे रहा है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि इस वर्ष के अन्त तक हमें यह विधान पारित कर देना चाहिए ताकि कम से कम वर्तमान जनसंख्या तथा पैदा होने वाले बच्चो की प्रदूषण से कुछ सुरक्षा हो सके।

श्री जगन्नाथ राव (वरहामपुर) : मैं इस विधेवक, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण करना है, की सराहना करता हूं। मैं इस समस्या के निपटारे के खण्डशः समाधान के हक में नहीं हूं। वायु प्रदूषण की समस्या को समूचे रूप हल करने का प्रयास होना चाहिये। इस समस्या का समाधान युद्धस्तर पर किया जाना चाहिये। जब किसी कारखाने की स्थापना की जानी हो तो स्थान चयन समिति में केन्द्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड का सदस्य

होना चाहिये ताकि औद्योगिक कारखाना नगर से और भीड़भाड़ वाले स्थान से दूर हो और प्रदूषण कम से कम किया जा सके । पहले तो हमें प्रदूषण समाप्त करना चाहिये। राज्य तथा केन्द्रीय बोर्डों में ऐसे सदस्य होने चाहिये जो वहां स्थायी रूप से हों या नियत अवधि के लिये हों। अंश कालिक सदस्य अधिक कार्य नहीं कर पायेंगे । यह समस्या अनेक वर्षों से चली आ रही है परन्तु सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

प्रदूषण रोकने के लिये विधायी, संस्थागत तथा वैज्ञानिक उपाय किये जाने चाहियें । जहां हम देश के हित में विशेष क्षेत्रों उद्योगों के विकास को चाहते हैं वहां यह भी देखना चाहिये कि प्रदूषण कम से कम हो। हमें प्रदूषण को रोकने के लिये तकनीकी उपाय करने के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिये नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिये ताकि समाज को प्रदूषण से बचाया जा सके। अतः सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिये एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये। यह विधेयक तो वायु प्रदूषण के बारे में हैं। अन्य बातें जैसे भूमि प्रदूषण, शोरगुल का प्रश्न, गन्दगी के प्रश्नों को भी लिया जाना है। अतः इन सब से निपटने के लिये समेकित रूख अपनाने की आवश्यकता है।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि 1972 में स्टाकहाम एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन कराया गया था और उसके आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हमने पानी के प्रदूषण को रोकने के लिये एक विधेयक पास किया था अब यह वायु के प्रदूषण को रोकने के लिये है। अतः एक व्यापक विधेयक लाया जाये ताकि वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। उद्योग नगरों में केन्द्रीत है और इस कारण वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
20वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम और सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : I move : "That this House do agree with the Twentieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 19th July, 1978."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से जो 19 जुलाई 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विधेयक पुरःस्थापित
BILLS INTRODUCED
संविधान (संशोधन) विधेयक
(प्रस्ताव तथा अनुच्छेद 1 आदि का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF PREAMBLE AND ARTICLE/ETC.)

श्री चित्त वसु (बारसट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पेश करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 7 क का अन्तःस्थापन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(INSERTION OF NEW SECTION 7A)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

THE OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक

(धारा 2, 4 आदि का संशोधन)

TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTIONS 2, 4, ETC.)

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं :—

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(धारा 8, 9 आदि का संशोधन)

FACTORIES (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTIONS 8, 9 ETC.)

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण योजना, विधेयक

COMPULSORY MILITARY TRAINING SCHEME BILL

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने का उपबन्ध कने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि देश में समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्ष देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं

अनिवार्य मतदान विधेयक

COMPULSORY VOTING BILL

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से मतदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से मतदान रकरने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (171 अनुच्छेद का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 171)

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत की संविधान को और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

सीमान्त कृषक और कृषि कर्मकार पेंशन विधेयक

MARGINAL FARMERS AND AGRICULTURAL WORKERS PENSION BILL

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमान्त कृषकों और कृषि कर्मकारों को 70 वर्ष की उनकी आयु हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि सीमान्त कृषकों और कृषि कर्मकारी को 70 वर्ष की उनकी आयु हो जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

आयकर संशोधन विधेयक

(धारा 53 का संशोधन)

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 53)

श्री आर० डी० गटानी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री आर० डी० गटानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भूमिगत जल संसाधनों की खोज तथा उपयोग विधेयक

EXPLORATION AND UTILISATION OF UNDERGROUND WATER RESOURCES BILL

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिंचाई के प्रयोजनों के लिए भूमिगत जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि सिंचाई के प्रयोजनों के लिए भूमिगत जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

छोटे किसान सहायताविधेयक

SMALL FARMERS ASSISTANCE BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न सहायकी देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न सहायकी देने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० लकप्पा : : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा 4 और 6 का संशोधन)

SPECIAL MARRIAGE (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF SECTION 4 AND 6)

श्री आर० डी० गटानी (जोधपुर): "मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री आर० डी० गटानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हुं।

उद्योग विकास और विनिमन (संशोधन) विधेयक

(धारा 18 च ख, का संशोधन)

INDUSTRIES (DEVELOPMENT & REGULATION) AMENDMENT BILL

(धारा 18 च ख का संशोधन)

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

डा० वसन्त कुमार पण्डित : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का संशोधन)

COMMISSIONING OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF SECTION 5)

श्री राम जेठमालानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री के० कलप्पा (तुमकुर) : देश में इस समय अनेकों जांच आयोग काम कर रहे हैं। अतः इस विधेयक का पुरःस्थापित किया जाना असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री रामजेठ मलानी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नयी धारा 10ख आदि का अन्तःस्थापन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL (INSERT OF NEW SECTION 10B, ETC.)

श्री रामजेठमलानी : (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री रामजेठमलानी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक

AGRICULTURAL COMMODITIES SUPPORTING PRICE BILL

श्री के० लकप्पा : (तुमकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "गन्ना, दालों और अन्य कृषि अन्य वस्तुओं को लाभप्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि गन्ना, दालों और अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की लाभ-प्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्तःस्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(INSERTION OF NEW ARTICLES 23A, 23B AND 23C)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक, श्री हरिविष्णु कामथ और श्री बी० पी० मण्डल ने क्रमशः संशोधन संख्या 1, 2 और 3 प्रस्तुत किया।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : This Bill which sought to guarantee the right to work to each individual deserves all appreciation. The right to employment are fundamental rights and it will be breach of moral contract on the part of Janata Party Government if they do not guarantee this right to work and employment. Article 41 of the Constitution states that the State shall make effective provisions for securing the right to work to each citizen. Even the election manifesto of the Janata party contained a promise to secure this right. So, it will be a fraud on the Constitution if this right is not secured to each individual. Therefore, what is essential is that this right to employment should be included in the fundamental rights, or unemployment allowance. Should be given in case of unemployment, as is done in West Bengal, Kerala and Maharashtra. The Janata party Government should fulfil their promise by including this right. Among fundamental rights and allowing unemployment allowance in case of unemployment.

This right of work is our democractic right. More giving freedom will not do. This right should be included in fundamental rights.

The root cause of agitation indisciplne, disappointment prevailing in the country is that our youth is uncertain about their future.

[डा० सुशीला नायर (पीठासीन) हुईं।]

[DR. SUSHILA NAIR *in the Chair*]

This right of work is our right of religion also, because bread is essential for our life and we will get our bread only when we have employment.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य काम के अधिकार, चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा और अपंग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता को मूलभूत अधिकारों में शामिल करना है। यदि सरकार इनमें से किसी को भी उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह नागरिकों के प्रति अपने कर्त्तव्य में असफल मानी जायेगी और नागरिकों न्यायालय में जाकर न्यायापालिक की सहायता से सरकार से यह अधिकार लागू कराने का अधिकार होगा। यह समझ नहीं आता कि सरकार को इस विधेयक से सहमत होने पर और सभा को यह आश्वासन देने पर कि वह संविधान का संशोधन करेंगे क्या आपत्ति है? इस विधेयक के प्रस्तावक चाहते हैं कि इस को मूलभूत अधिकारों में अनुच्छेद 41 के रूप में शामिल किया जाये। यदि सरकार समझती है कि बिना रोजगार वाले व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करना संभव नहीं तो इन लोगों को कुछ आर्थिक सहायता यह भत्ता दिया जाये। कुछ पूंजीपति देश के बेकार व्यक्तियों को बेकारी भत्ता दे रहे हैं। यह एक आवश्यक बात है और इसके लिये सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिये।

यह लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता के तीस वर्षों के बाद अभी इस देश में 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार को बड़े गम्भीर प्रयास करने चाहिएं। बच्चों को कम से कम शिक्षा लेने के अवसर तो मिलने ही चाहिए इस दिशा में सरकार को कोई प्रभावशाली पग उठाने ही चाहिएं अपंग लोगों की शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार को भी सहायता देनी चाहिए। वृद्धों को भी सरकार को सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोग अपने जीवन के अन्तिम दिन शांति से बिता सकें।

संविधान के अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत इस एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। अतः इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

श्री ए० वी० पी० इसाहथाम्बी (मद्रास-उत्तर) : इस विधेयक के प्रस्तावक चाहते हैं कि रोजगार के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाय।

गत 30 वर्षों में हम बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सके। बेकार लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ी ही जा रही है। यह एक स्वतन्त्र देश के लिए लज्जा की बात है।

रोजगार का अधिकार तो मूल और आधार भूल अधिकार है। सरकार को अपने सारे साधन जुटा कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ही होगा। मंत्री महोदय को इस दिशा में दी गई तर्कों को स्वीकार करके रोजगार के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करना स्वीकार कर लेना चाहिए।

केरल, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। केन्द्रीय सरकार को उन्हें उत्साहित करना चाहिए और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

प्रस्तावक महोदय ने यह भी कहा है कि 60 वर्षों के ऊपर के अपंग लोगों को बेकारी पेंशन दी जानी चाहिए। तमिल नायडू की सरकार 1967 से ऐसा कर रही है। केन्द्रीय सरकार को इस तरह की योजना बनानी चाहिए जिसे सारे देश में लागू किया जा सके।

14 वर्षों की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात भी इस विधेयक के संदर्भ में की गई है। हमारे संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा की तो व्यवस्था की गई हुई है। शिक्षा के बिना देश में लोकतंत्र पनप नहीं सकता अतः इसकी व्यवस्था सारे देश में होनी चाहिए।

बेकारी के लिए सहायता देने की राशि बेकारी और अपंगों के लिए 400 करोड़ और 150 करोड़ तक फैल सकती है। इस कार्य के लिए भारत सरकार खुले बाजार से ऋण ग्रहण कर खर्चा चला सकती है। बेरोजगारी भत्ता ऋण के रूप में दिया जा सकता है जिसे लोगों को काम मिलने पर वापस लिया जा सकता है।

तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया था यदि केंद्रीय सरकार इस योजना को सारे देश के लिए अपना ले तो अच्छा होगा।

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : The Janata Party had made a commitment to the people that their Government would abolish the right to property and include the right to work among the fundamental rights. The present Bill under discussion seeks to ensure and guarantee the right to work and the right to employment to each able-bodied citizen. There are about 120 millions persons in the country who are unemployed. So it is quite appropriate that the right to employment should be included in fundamental rights. If Government has the necessary will they can mobilise the resources for the payment of unemployment allowance to unemployed people if they are not provided with any employment. For this purpose a ceiling on income and expenditure should be fixed. Then the age of retirement for public servants should be reduced and the limitation of age for recruitment to public service should also be removed. Extravagence in public expenditure should be curbed and the expenditure on the amenities to legislators and Government officials should be brought down.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : The Mover of the Bill deserves congratulations for drawing the attention of the House to a more important subject. It is a matter of great concern that more than two-third of our people are unemployed and Government has failed to take any solid and effective steps to provide work to our unemployed people. This Bill seeks to include among the fundamental rights the right to work and employment that is enshrined among the directive principles. If it is included among the fundamental rights, a citizen will be within his rights to seek the assistance of court if Government fails to provide him work. The question of funds should not be raised in this regard. It is essential to make the right to employment a justiciable right.

It is also quite appropriate to demand that education be made compulsory for each child. It is a matter of great concern that nothing has been done so far to ensure free and compulsory education to our school going children. If democracy is to be preserved in the country, it is essential that the right to education should be included among the fundamental rights.

There are still vast natural resources in the country which have not been exploited so far. If adequate measures are taken to exploit them, vast opportunities can be created for providing employment to unemployed people in the country.

A promise was made that unemployment would be removed within a period of ten years. So an evaluation should be made as to what extent it has been possible so far to remove unemployment. No adequate attention has been paid to this matter so far.

SHRI RAM DAS SINGH (Giridih) : The Bill which seeks to include the right to work among fundamental rights, deserves all support. It is an undisputed fact that the number of unemployed people in our country is gradually increasing, but nothing has been seriously done so far to ensure the work to every able-bodied citizen. The question of paucity of funds should not be raised in this regard. The problem of unemployment is a serious problem, because it gives rise to so many other problems. Therefore, this Bill rightly includes provision for giving unemployment allowance to unemployed people and so it should be unanimously supported.

Our system of education is defective. It is producing educated youngmen who can not stand on their own feet by earning their livelihood. We should have in our country a system of education which should equip our young people to be able to earn their livelihood.

The Government should provide monetary assistance to old, sick and disabled persons who have nothing to fall back upon.

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : विधेयक के प्रस्तावक ने यह सही कहा है कि बेरोजगारों की प्रति पर्याप्त दिखावटी सहानुभूति प्रकट की गई है। हमें कुछ दोस प्रस्ताव बनाने चाहिये ताकि सरकार पद दलित तथा दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों को यह बता सकें कि हम उनके लिये कुछ करना चाहते हैं।

अभी-अभी यह कहा गया है कि यदि हम दिवालिया भी बन जायें तब भी हमें भत्ता देते रहना चाहिये। इस प्रकार की उग्र विचारधारा या इस प्रकार बहुत जोश दिखाने से हम

उत्तरदायी तथा निष्ठावान व्यक्तित्व नहीं कहला पायेंगे जिससे यह पता चले कि हम इस देश में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निदेशक तत्व पवित्र आकांक्षाएं बन कर रह गई हैं। परन्तु सदैव ऐसा नहीं होना चाहिये। उन्हें रातोंरात न सही, परन्तु उन्हें धीरे-धीरे, निश्चित तौर पर लागू किया जाना चाहिये। रातोंरात या एकदम कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, परन्तु हमें इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

अभी तक विश्व में किसी भी देश के लिये बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते समय बेरोजगारी भत्ता देना सम्भव नहीं हो सका है। स्मरणीय बात यह है कि पश्चिम के विकसित देशों में और विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में केवल तभी बेरोजगारी भत्ता दिया गया जब उन्होंने पूर्ण रोजगार अथवा लगभग पूर्ण रोजगार हासिल कर लिया। बेरोजगार भत्ता योजना पूर्ण रोजगार या। लगभग पूर्ण बेरोजगार हासिल करने के बाद ही लागू की जानी चाहिये। उस समय देश को उन थोड़े से बेरोजगार लोगों के लिये इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये। इतने विशाल देश में जहां पर बेरोजगार व्यक्तियों की भारी संख्या है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते समय हम बेरोजगारी भत्ता कैसे दे सकते हैं? यह पश्चिमी देशों तथा विकसित देशों द्वारा पूर्ण रोजगार हासिल करने के बाद ही किया गया है। हमें इस वैध तथा मूल बात को कभी नहीं भूलना चाहिये।

शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क, अनिवार्य तथा एक समान होनी चाहिए। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिये। केवल निःशुल्क नहीं होना चाहिये। कई बार निःशुल्क शिक्षा का अर्थ व्यर्थ शिक्षा होता है। हमें विश्वविद्यालय शिक्षा की विचारधारा का समवर्धन करना चाहिए।

सरकार को वृद्ध, बीमार तथा अपंग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये। यदि हम देश के बजट तथा व्यय को देखें तो हम पता चलेगा कि किस प्रकार ऐशोआराम की चीजों तथा परियोजनाओं पर, जिनका कोई अर्थ नहीं है, बर्बाद किया गया है। उस धन को बचा कर इस देश के वृद्ध, बीमार तथा अपंग व्यक्तियों पर खर्च किया जा सकता था।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : I wellcome the Bill and congratulate the members for bringing forward this Bill. If we want to tackle the problem of unemployment and poverty, we can do so by implementing the provisions of this Bill.

We have to provide work to our young educated people who are facing unemployment and are going from pillar to post to get jobs. If right to work is made a fundamental right, the Government will be committed to provide employment. If employment is guaranteed. it will also help in solving the problem of job reservation and language problem.

Unemployment is responsible for increase in crimes. Many unemployed persons are forced to resort to crimes. If they are provided jobs, our crime situation will also improve.

The Government should make provision for compulsory and free education to all children upto the age of fourteen. Pension should also be guaranteed to old, sick and disabled persons.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Unemployment is uniform among the illiterates and educated. Only effective steps can remove unemployment in this country.

Right to property has been the main hurdle in the way over solving this problem. People welcomed the effective steps like nationalisation of banks etc. and the matter came before the court because fundamental rights were invalued.

There is resentment on account of unemployment which is heading to dacoity and looting etc. We should devise way and means to provide employment to all the deserving candidates so that they could get opportunity for developing their personalities.

Some State Governments have agreed to sanction unemployment allowance. What are the hurdle in sanctioning such a allowance by the Central Government and the remaining State Governments.

(श्री एन० के० शेजवालकर पीठासीन हुए)।

SHRI N. K. SHEJWALKER *in the chair*

The Central Government should consider th's proposal seriously. A number of schemes have been formulated under 6th Five Year Plan for removing unemployment. These schemes, if implemented properly will go a long way to solving the unemployment problem. With these words I fully support this Bill.

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : मैं इस विधेयक को लाने के लिये शास्त्री जी को बधाई देता हूं। इस देश में बेरोजगारी बहुत वर्षों से चल रही है। रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में बेरोजगारी की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि उसकी असली संख्या है गांव के बेरोजगार लोग तो इन दफ्तरों में अपने नाम दर्ज ही नहीं करवाते। यह समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण साल के अधिक भाग में बेकार रहते हैं। बेरोजगारी पिछले 30 वर्षों के दौरान हर साल बढ़ती ही गयी है।

चीन, रूस आदि देशों में तो बेरोजगारी नाम मात्र को नहीं है। पूंजीपत्ती देशों में भी यह समस्या हमारे ही देश की तरह है। इस समस्या को साहस के साथ हल किये बिना काम नहीं चलेगा। यह एक समाजिक समस्या है। इस समस्या से और भी कई समाजिक बुराइयां पैदा होती हैं।

अब प्रश्न यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाये? पहले भी सुझाव दिये गये हैं कि बेरोजगारी का भत्ता बेरोजगार लोगों को दिया जाये। मैं इसका समर्थन करता हूं। कुछ राज्यों ने इसे लागू करके एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है। इससे स्थिति सुधारने में काफी योगदान मिलेगा। जब तक समाजिक-आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं लाया जाता, उस समय तक आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इस विधेयक का उदेश्य बहुत ही पवित्र है।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Our party has promised to provide employment to the people but we could not do so till now.

We have to cut a very sorry figure when confronted by youngmen in search of jobs. The youths of the country are the worst suffers of the unemployment problem.

It has been stated by the Prime Minister that Government will tackle the problem of unemployment in ten years. But may I know if we have achieved any thing in this direction during the last 16 months ? My submission is that we should have a time-bound programme to combat this problem. Until we our, to achieve results with in a specified period, we will not be able to solve this problem.

In this connections. I may submit that either the Government should make right to work a fundamental right or give unemployment allowance to the unemployed or remove the age restriction for entry into Govenment service. It has been stated that Government has so many to give unemployment allowance. My submission is that the black money in the country should be unearthed for this purpose.

The Government should have adequate attention to adult education. Free education should be given to children.

With these words, I submit that this Bill be passed.

श्री ए सुन्ना साहिब (पालघाट)* : स्वतन्त्र भारत की सरकार के लिए, गरीबी और निरक्षरता निवारण को ही मार्गदर्शी सिद्धान्त माना जाना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि देश ने तरक्की की है परन्तु इसके बावजूद भी देश बेरोजगारी तथा निरक्षरतता की समस्या से भयभीत रहा है। हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण किये हुए है।

आप को मालूम ही है कि केरल सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता देने सम्बधी एक योजना का आरम्भ किया गया है। ऐसे युवकों को कुछ भत्ता देकर उनकी सेवाओं का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों के लिए किया जा सकता है।

श्री शास्त्री द्वारा, सम्पूर्ण देश में इस प्रकार की योजना के आरम्भ किये जाने पर 400 करोड़ रुपये खर्च लाने का अनुमान लगाया है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा की जा सकती है। इस राशि को ऋण समझा जाना चाहिये। तथा नौकरी मिलने पर इसे वसूल कर लिया जाना चाहिये। मेरा मत है कि सरकार को, श्री शास्त्री के सुझाव स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह देश की वास्तविक आवश्यकताओं तथा वित्तीय स्थिति के लगभग अनुरूप ही है।

लोकतंत्र का आधार शिक्षा ही होती है। शिक्षा के अभाव में स्वस्थ्य तथा कारगर लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश को आजाद बनाये रखना है, तो हमें देश से निरक्षरता तथा बेरोजगारी का उन्मूलन करना होगा। इसके लिए सरकार को संविधान का भी सहारा लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिये। काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिये। 60 वर्ष से बड़ी आयु वाले बूढ़ों को उपयुक्त वित्तीय सहायता देने तथा 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa) : Through this Bill, the attention of the House has been drawn to a very important matter. Our country in confronted with the serious problem of unemployment. Now the time has come when we will have to solve this problem.

Our Janata Party in its election manifesto, we promised to the people that either we would provide work to all or give unemployment allowance. It is high time that some concrete steps should be taken in this regard.

The problem of illiteracy is also very serious one. Let us take it the campaign of removing illiteracy as Mustafa Kamal Pasha did in Turkey. Mustafa Kamal Pasha himself used to teach in the schools. Let us emulate his example and devote at least one hour to this cause so that this problem could be solved.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह बहुत ही खुशी की बात है कि जनता पार्टी में भी श्री शास्त्री जैसे लोग हैं, जो कि प्रगतिशील हैं। मैं श्री शास्त्री के विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह काफी खेदजनक बात है कि 30 वर्ष की आजादी के बाद भी, अभी तक बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने सम्बन्धी प्रगतिशील विधेयकों के माध्यम में, हमारा संविधान बाधक बना हुआ है। मेरा विचार यह है कि संविधान के माध्यम से लोगों को आकांक्षायें मुखरित होनी चाहिये।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

आज बेरोजगारी की समस्या सम्पूर्ण देश में विस्फोट रूप धारण किये हुए है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बेरोजगार लोगों की रोजगार देने के लिये, सरकार को उन्हें उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध करवानी चाहिये। इस दिशा में श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक एक सक्रिय कदम कहा जा सकता है तथा इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार गरीबी को 10 वर्षों में दूर कर लेगी। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी परन्तु बहुत खेद की बात है कि अभी तक इस दिशा में एक भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों के कष्टों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा अनुमान है कि सरकार ने बेरोजगारी की समस्या की वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। मेरा सरकार से भरपूर अनुरोध है कि वह बेरोजगारी उन्मूलन सम्बन्धी संविधान संशोधन लाने के लिए यथाशीघ्र प्रयत्न करना चाहिए।

SHRI KALYAN JAIN (Indore) : During last elections. the Janata Party declared that if they came to power, the fundamental right of personal property will be scrapped. It was also stated that in its place, right to employment would be given to the pepole. But it is a sorry state of affairs that even after a lapse of 15 months, the party has not put forth any programme in this regard.

It is all the more painful that on one hand crores of people are unemployment whereas on the other hand a handful of people are enjoying all the services of life. Until and unless, this not treated as a national problem no immediate solutions will be chalked out. In this connection. I am of the opinion that the Bill brought powered by Shri Shastri should be accepted after which Government will be able to do something. The moment this Bill is passed, the Government will be compelled to think as to what should be the income and expenditure ratio, what should be the policy in regard to agriculture and industry, and how the land reforms should be undertaken. Some people here got surplus money, this money should be confiscated. In this way, a lot of money will be aavilable to the Government, which could be utilized for giving employment to the people.

श्री हरि विष्णु काम (होशंगाबाद) : हाल ही के कुछ वर्षों की सब से चिन्तनीय बात यह है कि बेरोजगारी उत्तरोतर बढ़ती जा रही है। जनवरी 1977 से 1979 तक इसमें लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज हमारे देश में 150 लाख लोग भूखे, बीमार बेकार वस्त्रहीन तथा आश्रयहीन हैं। भूखा व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है।

सभापति महोदय : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखियेगा।

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 24 जुलाई, 1978/2 श्रावण, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven hours of the clock on Monday, the 24th July, 1978/Shravan 2, 1900 (Saka).

L313LSS/78—210—GIPF.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]